लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
२० सितम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
On 11.11.89
Parliament Library

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . . . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ . . . १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

अंक ४३—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९. २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, ३४२०—३४४८

१२५४ से १२६६

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५६, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८६, २३६१, २३६१-क और २३६३ से २३६६ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५६०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६६ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७६—६४

अनुक्रमणिका १—१३८

350 LSD—10

लोक सभा

मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जम्मू तथा काश्मीर में प्रवेश के लिये आज्ञा-पत्र

*१९३६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में जम्मू तथा काश्मीर में प्रवेश करने के लिये कितने व्यक्तियों ने आज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये आवेदन किये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : १,३२,९९९ ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन में से कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये और किन कारणों से ?

सरदार मजीठिया : उन में से बहुत थोड़े से अस्वीकृत किये गये हैं, केवल ३८ ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं यह जानना चाहता था कि इन आवेदन-पत्रों के अस्वीकार किये जाने के क्या कारण थे ?

सरदार मजीठिया : सामान्यतः हम यह देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीजनों के आवेदन-पत्र अस्वीकार न किये जायें। पाकिस्तानियों के अतिरिक्त अन्य विदेशियों के आवेदन-पत्रों पर भी कोई आपत्ति नहीं की जाती है । पाकिस्तानियों के आवेदन-पत्रों को भी विधीक्षा के बाद स्वीकार कर लिया जाता है किन्तु जिस मामले में हम यह देखते हैं कि कारण इतने प्रबल नहीं हैं, तो हम आज्ञा-पत्र जारी करने से इन्कार कर देते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : जिन आवेदन-पत्रों को विधीक्षा के बाद नामन्जूर किया गया उन में से कितने आवेदक पाकिस्तानी थे और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जिन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र नामन्जूर किये गये उनकी राष्ट्रीयता क्या थी ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास पृथक पृथक आंकड़े नहीं हैं ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

*१९३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ और १९५५ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीनो सेवाओं अर्थात सेना, समुद्र सेना तथा वायुवल के कितने सेना-छात्र प्रविष्ट किये गये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :
१९५४—३२७
१९५५—३६०

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अकादमी के देहरादून से खडकवसला में स्थानान्तरित कर देने से सेना-छात्रों के प्रशिक्षण में कोई सराहनीय परिवर्तन हुआ है ?

सरदार मजीठिया : मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि "सराहनीय परिवर्तन" से

अभिप्राय क्या है। किन्तु खडकवसला में पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होगा जब कि देहरादून में दो वर्ष का था, और उसके विपरीत देहरादून में पाठ्यक्रम को दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष कर दिया गया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि खडकवसला में स्थानान्तरण के बाद सेना-छात्रों को क्या अतिरिक्त सुविधायें दी जा रही हैं ?

सरदार मजीठिया : अतिरिक्त सुविधायें हैं, अधिक बड़े मैदान अधिक बड़े भवन, कक्षाओं के उत्तम कमरे, उत्तम आवास-स्थान, प्रशिक्षकों के लिये अधिक उत्तम आवास स्थान आदि।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं इन सेना-छात्रों के राज्यवार आंकड़े जान सकता हूं ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस एकेडेमी में भरती होने के क्या नियम हैं, और सभी सूबों का ठीक से प्रतिनिधित्व हो इसके लिये भरती करने का क्या तरीका अपनाया जाता है ?

सरदार मजीठिया : लड़कों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी पड़ती है और उसके बाद यदि सेवा संवरण बोर्ड द्वारा उनको उपयुक्त समझा जाता है तो उन्हें ले लिया जाता है।

सुपारी पर आयात शुल्क

*१९४१. **श्री बी० के० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपारी पर आयात शुल्क में की गई कमी को किस तारीख से लागू किया गया है ; और

(ख) वर्ष १९५५-५६ के लिये आयात शुल्क से प्रत्याशित आय पर इस का प्रभाव किस सीमा तक पड़ेगा ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) ३० अप्रैल, १९५५।

(ख) १९५५-५६ के आयव्ययक प्राक्कलन, शुल्क की पिछले दिनों लागू दर के हिसाब से, ६०५ करोड़ रुपये के थे। वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों में ३.४ करोड़ रुपये की एक रकम वसूल कर ली गई है, और इस दर से सम्भव है कि शुल्क में कमी किये जाने पर भी आय व्ययक प्राक्कलन तक की वसूली हो जायेगी अथवा संभव है कि उससे भी बढ़ जाये।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कमी का निर्णय किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री ए० सी० गुह : मैं यह कह सकता हूं कि इस सभा में कई बार यह कहा गया था कि यह शुल्क उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। मुख्य कारण यही था। यह शुल्क कुछ सीमा तक 'रक्षात्मक भी था। हमने यह अनुभव किया कि यदि कमी कर दी गई तो भी इससे रक्षात्मक प्रयोजन पूर्ण हो जायेगा।

श्री बी० के० दास : वर्ष १९५४-५५ में सीमा शुल्क में क्या कमी हुई है जब कि प्राक्कलित अतिरिक्त वसूली की सीमा तीन करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी ?

श्री ए० सी० गुह : मैं नहीं समझ सकता कि कमी से क्या तात्पर्य है।

अध्यक्ष महोदय : कमी के कारण जो अनुमानित कमी हुई है।

श्री बी० के० दास : मेरा प्रश्न पिछले वर्ष के सम्बन्ध में था ।

श्री ए० सी० गुह : मुझे उसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात का परीक्षण कर लिया गया है कि इस कमी से उत्पादकों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री ए० सी० गुह : मैं ने पहले ही बता दिया है कि इस कमी से रक्षात्मक प्रयोजन भी इसी प्रकार पूर्ण हो जायेगा । उत्पादकों के हितों पर इस कमी के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री वोडयार : क्या यह सच है कि आयातकों ने सुपारि ों को उस समय तक नहीं उठाया जब तक कि शुल्क में कमी नहीं कर दी गई, और यदि हां, तो १ फरवरी से १ मई तक विभिन्न पत्तनों में कुल कितनी मात्रा छोड़ दी गई थी ?

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य प्रश्न को दोबारा कहेंगे ?

श्री वोडयार : क्या यह सच है कि आयातकों ने आयात करने वाले पत्तनों से सुपारियों को उस समय तक नहीं उठाया था जब तक कि शुल्क में कमी नहीं कर दी गई, और यदि हां, तो ऐसी सुपारी की कुल मात्रा क्या थी जो कि १ फरवरी से १ मई तक विभिन्न पत्तनों पर पड़ी रही ?

श्री ए० सी० गुह : प्रचलन यह है कि जो चीज पत्तन पर पड़ी रहती है उसे कमी का लाभ नहीं दिया जायेगा । केवल उन्हीं आयात की गई वस्तुओं पर कम शुल्क लिया जायेगा जो कि कमी की घोषणा किये जाने के बाद आयात की गई हैं ।

श्री बासप्पा : क्या आयात किये गये माल की कीमत शुल्क में कमी किये जाने के बाद बढ़ गई थी ?

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार में फुटकर कीमतों में लगभग १० रुपये से १२ रुपये तक की सामान्य कमी हुई है । शुल्क में २० रुपये की कमी की गई है और यह कमी फुटकर कीमतों में हुई कमी में दिखाई नहीं पड़ी है । फिर भी लगभग १२ रुपये की समग्र कमी हुई है ।

श्री बी० के० दास : जब गत वर्ष शुल्क बढ़ाया गया था, तो आशय यह था कि मध्य जन लाभ को खजाने में वृद्धि करने के लिय ले लिया जाय । क्या इस कमी के कारण मध्य जन का लाभ कम हो जायेगा ?

श्री ए० सी० गुह : मैं ने पहले ही बता दिया है कि शुल्क में २० रुपये की कमी की गई है और उपभोक्ता के लिये कीमतों में लगभग १० रुपये से १२ रुपये तक की कमी हुई है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस कमी के कारण ६० प्रतिशत ले लिया गया है, किन्तु मध्य जन का लाभ इस कमी के कारण पूर्णतया नहीं लिया गया है । उन्हें फिर भी कुछ लाभ रहेगा ।

सम्पदा शुल्क

*१९४२. **श्री गिडवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा शुल्क से जो रुपया इकट्ठा होता है वह आशाओं से कहीं कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्रोत से राजस्व को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जाने की प्रस्थापना है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) यदि प्रश्न का सम्बन्ध १९५४-५५ के आरंभिक प्राक्कलनों से है तो उत्तर 'हां' में है ।

(ख) यह प्राक्कलन उस समय बनाया गया था जब कि हमें कोई अनुभव नहीं था और हमारे पास कोई आंकड़े भी नहीं थे जिस पर इसे आधारित किया जाता, अतः हमारे आंकड़े वास्तव में एक अनुमान मात्र थे और वह पहले वास्तविक आंकड़ों अथवा ज्ञात झुकावों पर आधारित कोई औपचारिक प्राक्कलन नहीं थे वे अत्यधिक आशावादी सिद्ध हुए ।

(ग) इस स्रोत से प्राप्त होने वाला राजस्व मुख्यतया तीन बातों पर निर्भर करता है, अर्थात धनवान व्यक्तियों की मृत्यु, विमुक्ति सीमा तथा शुल्क की दर तथा प्रशासनिक व्यवस्था । जबकि किसी निश्चित समय में धनवान व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कोई भविष्य वाणी नहीं की जा सकती है, विमुक्ति सीमा तथा शुल्क की दरें संविधि द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्त ऐसे उपाय किये जा रहे हैं जिनसे कि यह सुनिश्चय हो जाये कि तमाम ऐसी सम्पदाओं पर जिन पर शुल्क लगाया जा सकता है ठीक ढंग से शुल्क लगाया जाये, वह उपाय यह हैं ;

(१) पदाधिकारियों का प्रशिक्षण जिसमें विदेशों में भेजना भी सम्मिलित है ।

(२) मृत्युओं के बारे में जानकारी के प्राप्त करने के संतोषजनक प्रबन्ध ।

(३) महत्वपूर्ण नगरों में पृथक सम्पदा शुल्क सर्किलों का निर्माण ।

जहां तक शुल्क के वैध परिहार का सम्बन्ध है, सरकार इस समय कराधान जांच आयोग की सिफारिशों का परीक्षण कर रही है । सभी महत्वपूर्ण नगरों में विशेष सम्पदा शुल्क सर्किलों के निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी : १९५३-५४ तथा १९५४-५५ के लिये इस स्रोत से अनुमानित आय क्या थी और इन्हीं वर्षों में हुई वास्तविक आय क्या थी ?

श्री एम० सी० शाह : १९५४-५५ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में हमने चार करोड़ का उपबन्ध किया था । उसी वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन १.२६ करोड़ रुपये के थे । उस अवधि में १.२३ करोड़ रुपये की मांग की गई थी और ८५,००,००० रुपये सम्पदा शुल्क के रूप में एकत्रित किये गये ।

श्री गिडवानी : गत दो वर्षों में सरकार ने इस शुल्क के एकत्र करने में कितना धन व्यय किया ?

श्री एम० सी० शाह : अधिक व्यय नहीं किया गया, क्योंकि हमने यह काम वर्तमान आय-कर पदाधिकारियों को सौंप दिया है । केवल कतिपय विशेष सर्किलों के बारे में, जिन्हें हमनें कई बड़े नगरों में स्थापित किया है, हमें व्यय करना पड़ता है ।

श्री गिडवानी : कितने मूल्यांकन बोर्ड अब तक नियुक्त किये गये हैं और किन किन स्थानों पर ?

श्री एम० सी० शाह : कोई मूल्यांकन बोर्ड नियुक्त नहीं किये गये हैं। हमारे पास पहले ही मूल्य निर्धारी थे और जब भी कभी कोई तालिका नियुक्त की जानी होती है तो लेखा कराने वाले व्यक्ति को आयकर प्राधिकारियों के पास जाना पड़ता है और तब उसकी अपनी इच्छा का एक मूल्य निर्धाता और सरकार का एक मूल्य निर्धाता एक तालिका बनाते हैं।

पवन शक्ति संसाधनों का विकास

***१९४३. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पवन शक्ति संसाधनों के विकास से सम्बन्धित कोई प्रस्थापनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्थापनायें किस प्रकार की हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) (१) सामान्य रूप से यह ज्ञात करना कि भारत में सब से उपयुक्त क्षेत्र कौन से हैं जहां पवन शक्ति मितव्ययी रूप से प्राप्त की जा सकती है।

(२) विशेष चुने हुए स्थानों पर छोटी छोटी प्रयोगात्मक पवन चक्की इकाइयां स्थापित करना और ग्राम्य प्रयोजनों के लिये, जल खींचने तथा विद्युत उत्पन्न करने की दृष्टि से इन्हें प्रयुक्त करने की सम्भावयता का निश्चय करना।

(३) अनुभव के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की ऐसी पवन चक्कियों को स्थानीय रूप से बनाना जिन को चलाना मितव्ययतापूर्ण हो।

(४) बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न करने के लिये बड़े बड़े पवन जनिमों की अग्रिम इकाइयों को स्थापित करना और उन स्थानों की खोज करना जहां उनको स्थापित किया जाये।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस काम में प्रगति देने के लिये एक स्थायी डाइरेक्टोरेट की स्थापना की जा रही है और क्या माननीय मंत्री महोदय उसके फंक्शन पर और उसके कार्यक्रम पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी, एक कमेटी नियुक्त हुई है जिसका काम यह है जो कि मैंने स्टेटमेंट में बताया है, उसके मुताल्लिक काम कर रही है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस समय तक जिन जिन स्थानों का पता लगाया गया है और इस कमेटी को जो कार्य भार दिया गया है उसमें हिमालय का कोई उल्लेख नहीं है और क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर इस प्रकार की प्रभावशाली हवा चलती है जिसके कि कारण बिजली अच्छी मात्रा में पैदा की जा सकती है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सारे देश में सर्वे किया जा रहा है। राजस्थान में एक अनेमोमीटर स्टेशन स्थापित किया है। सौराष्ट्र, बेलगांव और कोयम्बटूर में स्थापित किये जाने की आशा है और धीरे धीरे सारे देश का सर्वे किया जायेगा।

कोयले के निक्षेप

***१९४४. श्री विश्व नाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत

का भूतत्वीय परिमाप बिहार में करनपुर और रामगढ़ के निकट कोयले के निक्षेपों को खोजने में सफल रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री विश्व नाथ राय : क्या इन स्थानों के निक्षेपों का उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है और कोई अन्य कार्यवाही सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर अच्छी प्रकार से विचार किये जाने के उपरान्त ही की जायेगी।

श्री विश्व नाथ राय : क्या सरकार को इन स्थानों पर कोयले के निक्षेपों की टनों में मात्रा के सम्बन्ध में कोई अनुमान है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : निक्षेपों के सुपरिवर्तित प्राक्कलन पूर्ववर्ती प्राक्कलनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। रामगढ़ कोयला क्षेत्र के सम्बन्ध में वे कोई १३,३४० लाख टन है जो कि १००० फुट की गहराई तक उपलब्ध हो सकेंगे। कोयले की पट्टी को तिगुनी मोटाई की गहराई तक पाये जाने वाले खनन योग्य निक्षेपों का अनुमान ७८० लाख टन लगाया गया है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या कानपुर के कोयला क्षेत्र निजी उपक्रम द्वारा चलाये जायेंगे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ?

डा० के० एल श्रीमाली : इस मामले पर अभी विचार करना है।

भारत का रक्षित बैंक
(रिजर्व बैंक आफ इण्डिया)

***१९४६. श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का रक्षित बैंक (रिजर्व बैंक आफ इंडिया) को मंत्रणा देने के लिये निदेश समिति द्वारा उसके प्रतिवेदन के अध्याय ३३ की कण्डिका १७ में की गयी सिफ़ारिशों के अनुसार एक मन्त्रणा परिषद् बना दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना और इसके ठीक ठीक कार्य क्या हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) अभी नहीं श्रीमान्। इस प्रश्न को राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड की स्थापना, और बोर्ड और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया दोनों के ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के योग्य बन जाने और उस प्रणाली के कार्यकरण में कुछ अनुभव प्राप्त करने के उपरान्त ही लिया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एस० एन० दास : क्या कृषि ऋण सम्बन्धी वर्तमान स्थायी मन्त्रणा समिति को किसी प्रकार सशक्त बना दिया गया है, यदि हां तो किस प्रकार से ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि पहले ही से एक स्थायी मन्त्रणा समिति है, और इसके अतिरिक्त ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण ने एक मन्त्रणा परिषद बनाये जाने का भी सुझाव दिया है। वर्तमान

मन्त्रणा समिति की अन्तिम बैठक शीघ्र ही होगी और इस के पश्चात् मन्त्रणा समिति को पुनर्निर्माण के प्रश्न को लिया जायेगा। परन्तु मन्त्रणा समिति के अतिरिक्त, यह मन्त्रणा परिषद् एक पृथक निकाय होगी और यह रिज़र्व बैंक और खाद्य और कृषि मन्त्रालय को और राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड को भी मन्त्रणा दिया करेगी। यह एक अधिक बड़ा निकाय होगा और यह गोदाम बोर्ड द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने और उस बोर्ड के कार्य-करण के बारे में अनुभव प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थापित की जायेगी।

श्री एस० एन० दास : क्या यह देखने के लिये कि ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशें राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं कोई संगठन बनाया गया है, और यदि हां, तो किस संगठन को यह कार्य करना है ?

श्री ए० सी० गुह : वित्त मन्त्रालय के पक्ष पर हमने एक विधेयक पारित किया है और खाद्य और कृषि मन्त्रालय एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध एक अन्य विधेयक सभा में पुरः स्थापित करेगा, और तभी यह कार्य राज्य सरकारों को दिया जायेगा। इस बीच रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिये मन्त्रणा दे रहा है।

श्री एस० एन० दास : क्या, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की वर्तमान शाखा अर्थात कृषि ऋण विभाग को यह देखने के लिये विभिन्न राज्य सरकारें ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशों को शीघ्र ही कार्यान्वित करती हैं, किसी प्रकार से सशक्त बना दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं ने पहले ही बता दिया है कि रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपने सहकारी संगठनों को सशक्त बनाने के लिये मन्त्रणा देने सम्बन्धी कार्यवाही कर रहा है और रिजर्व बैंक अपने कृषि-ऋण विभाग के द्वारा केवल यही काम कर सकता है— कार्य-भार की आवश्यकता के अनुसार इसे सशक्त बनाना।

शिक्षा पर बालोघ की रिपोर्ट

*१९४७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रचना के सम्बन्ध में एक अंग्रेज अर्थशास्त्री श्री टी० बालोघ की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए सरकार किस प्रकार के परिवर्तन करने का विचार रखती है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने जो योजनायें बनाई हैं, उनकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी।

(ख) सरकार केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और माध्यमिक शिक्षा आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सिफ़ारिशों के आधार पर मौजूदा शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने के लिये कार्यवाही कर रही है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में योग्यता के प्रश्न

पर विचार करने के लिये एक समिति भी बनाई है जिसकी रिपोर्ट का इन्तज़ार है ।

(ग) योजना आयोग के साथ इस विषय पर विचार हो रहा है ।

मैं माननीय मेम्बर को यह भी बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट के बारे में उनके प्रश्न के पार्ट (क) में जो कहा गया है, वह सही नहीं है । भारत सरकार ने श्री टी० बालोघ की पंचवर्षीय योजना के ऊपर कोई विचार करने के लिये आमंत्रित नहीं किया है और मि० बालोघ ने भी भारत सरकार के पास कोई रिपोर्ट पेश नहीं की । मि० बालोघ ने दिल्ली के एक समाचार पत्र में एक निबन्ध लिखा है और उस निबन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कुछ विचार प्रकट किये हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अपने श्न के भाग (ग) में मैंने मंत्रालय द्वारा प्रस्थापित योजना की रूपरेखा के सम्बन्ध में जानकारी दिये जाने के लिये कहा था । परन्तु दिये गये उत्तर में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है । क्या मैं योजना का संक्षिप्त विवरण जान सकता हूं ?

डा० एम० एम० दास : दिये गये उत्तर में आप की बात का उत्तर आ जाता है परन्तु यदि माननीय सदस्य इसका ब्योरा जानना चाहते हैं, तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजना के लिये जो योजना बनाई गई थी, वह योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकी थी क्योंकि, उसमें एक बहुत बड़ी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी । अतः शिक्षा मन्त्रालय को लक्ष्यों को, जो कि अभी तक विचाराधीन हैं, कम करने का परामर्श दिया गया था । वे घटाये गये लक्ष्य यह हैं :--

(१) ६ से ११ वर्ष तक की आयु वर्ग के ६५ प्रतिशत बच्चे स्कूल में जायें, जबकि मूल योजना में ७५ प्रतिशत बच्चों के लिए उपबन्ध किया गया था ।

(२) वर्तमान प्राईमरी स्कूलों में से केवल एक चौथाई स्कूलों को ही बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाये, जब कि मूल योजना में एक तिहाई स्कूलों के लिये कहा गया था ।

(३) मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को ५० रुपये प्रतिमास के हिसाब से वेतन दिया जाये जबकि मूल योजना में ७५ रुपये की प्रस्थापना थी । इसी प्रकार एक अप्रशिक्षित शिक्षक को ४० रुपये प्रतिमास के हिसाब से वेतन दिया जाये जब कि मूल योजना में ५० रुपये की प्रस्थापना थी ।

(४) ११ से १४ वर्ष तक की आयु वर्ग के २५ प्रतिशत बच्चे स्कूल जायें जबकि मूल योजना में ३० प्रतिशत की प्रस्थापना थी ।

(५) १४ से १७ वर्ष तक के आयु वर्ग के १५ प्रतिशत बच्चे शिक्षा ग्रहण करें जब

कि मूल योजना मे २० प्रतिशत की प्रस्थापना थी।

(६) केवल १००० स्कूलों को ही बहुप्रयोजनीय स्कूलों में बदला जाये, जब कि मूल योजना में २००० स्कूलों की प्रस्थापना थी।

(७) सहायक छात्र-सेना दल के लिये उपबन्धित राशि को ३८ करोड़ रुपयों से घटा कर केवल १२ करोड़ रुपये कर दिया जाये।

(८) कनिष्ठ प्रविधिक स्कूलों की संख्या घटा कर ४०० कर दी जाये जब कि मूल योजना में ५०० की प्रस्थापना थी, और प्रविधिक कर्मचारियों, प्रविधिक शिक्षकों के लिये क्वार्टर, बनाने, तथा विद्यार्थियों को सुविधायें देने की प्रस्थापनाओं को उपलब्ध धन राशि के अन्दर ही रखने के लिये बहुत कम कर दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : एक निराशापूर्ण विवरण है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति।

श्री एस० एन० दास : योजना को कार्यान्वित करने के लिये मंत्रालय द्वारा पहले कितनी राशि की मांग की गई थी और अब घटाई हुई कुल राशि कितनी है ?

डा० एम० एम० दास : मूल योजना में तो १०८० करोड़ रुपये का व्यय अन्तर्ग्रस्त था, परन्तु योजना आयोग के परामर्श पर हमें अपने लक्ष्य घटाने पड़े हैं अतः कुल प्राक्कलन ४००-६०० करोड़ का होगा।

भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण

***१९४८. श्री वीरस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण कब पूर्ण हो जायेगा; और

(ख) इस पर लगभग कितना व्यय आयेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कोई विशेष कालावधि नहीं बताई जा सकती है।

(ख) लगभग ४१ लाख रुपया प्रतिवर्ष।

श्री वीरस्वामी : यह सर्वेक्षण किस प्रयोजन से किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : इसका प्रयोजन यह है कि देश की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों का, अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके देश की संस्कृति का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाये।

श्री वीरस्वामी : क्या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से पृथक संविधान में उल्लिखित भाषाओं के आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हेडा : हैदराबाद राज्य में जब पिछली जनगणना की जा रही थी तो उस समय एक ग्राम-वार भाषा सम्बन्धी

सर्वेक्षण किया गया था। मानचित्रों में प्रत्येक बोली दिखाई जा रही है और विभिन्न ग्रामों को उन के ठीक ठीक स्थानों पर दिखाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अखिल भारतीय सर्वेक्षण का उद्देश्य वही है अथवा कुछ और ?

डा० एम० एम० दास : हमें इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है कि उस सर्वेक्षण के निर्देश पद वास्तव में क्या थे। अथवा वास्तव में क्या किया गया था। अतः उस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री वीरस्वामी : क्या अग्रेतर भाषा सम्बन्धी उलझनों को दूर करने के लिए संविधान में उल्लिखित भाषाओं के अनुसार राज्यों को बनाना आवश्यक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति ! शान्ति ! मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

असैनिक स्कूल मास्टर

*१९५०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेना में अन्य असैनिक पदालियों की तरह असैनिक स्कूल मास्टरों की भी कोई स्थायी संस्थापना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सेना में असैनिक स्कूल मास्टर सैनिक शिक्षा निदेशकों के स्थान पर सेवामुक्त किये गये हैं और सैनिक निदेशकों के प्राप्त होने पर वे हटाये जा सकते हैं। इसलिए सेना में असैनिक स्कूल मास्टरों की कोई स्थायी पदाली नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : सेना में असैनिक स्कूल मास्टरों द्वारा कई वर्षों तक काम किये जाने से प्राप्त अनुभव को दृष्टि में रखते हुए ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने सरकार को इन्हें अन्य असैनिक इकाईयों के समान जो कि स्थायी आधार पर हैं, एक स्थायी संस्थापना न बनाने पर बाध्य किया है ?

सरदार मजीठिया : जैसे मैंने कहा है कि स्थायी पदाली तो सैनिक शिक्षा निदेशकों की है और वे धीरे धीरे लिये जा रहे हैं। इसलिये इन्हें अवश्य ही अस्थायी प्रकार का होना है।

श्री भागवत झा आजाद : इन व्यक्तियों द्वारा सेना विभागों में इतने वर्षों तक काम करने के उपरांत इन्हें पदच्युत करते समय क्या सरकार इन असैनिक स्कूल मास्टरों को कोई वैकल्पिक नौकरी देने की प्रस्थापना करती है ?

सरदार मजीठिया : हां श्रीमान, अवश्य उन २०२ व्यक्तियों में से जिन्हें सेवा निवृत्ति के नोटिस दिये गये थे, छै को सैनिकों के रूप में ले लिया गया है; इसका अर्थ यह है कि वे युद्ध सेनाओं के योग्य हैं। ९५ स्कूल मास्टरों को रक्षा संस्थापनाओं में वैकल्पिक असैनिक पद दिये गये हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सैनिक निदेशकों के स्थानों पर भर्ती करते समय क्या इन स्कूल मास्टरों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने कहा उन्हें रक्षा संस्थापनाओं में असैनिक पद दिये गये हैं। जब नये निदेशक नियुक्त किये जाते हैं तो उन्हें निश्चय ही अवसर प्राप्त होता है, परन्तु जो सेना में रहे हैं उन्हें प्राथमिकता ही दी जाती है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

***१९५१. डा० सत्यवादी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून में प्रविष्ट किये गये छात्र-सैनिकों में यदि अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों के कोई छात्र सैनिक हैं तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) १९५४-५५ में वहां कितने हरिजन छात्र सैनिकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जनवरी १९५५ से खड़गवसला को स्थानान्तरित हो गई है । इस समय देहरादून में केवल मिलिटरी कालिज है । १९५५ में अनुसूचित जाति / आदिम जाति के दो छात्र सैनिक प्रविष्ट किये गये थे। एक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवसला में और दूसरा मिलिटरी कालिज देहरादून में ।

(ख) कोई भी नहीं ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन संस्थाओं में दाखिले के लिये हरिजनों का कोई कोटा मुर्करर किया गया है या नहीं ?

सरदार मजीठिया : नहीं, कोटा तो कोई मुर्करर नहीं किया गया । जैसे जैसे विद्यार्थी सूटेबल पाये जाते हैं, उनको लिया जाता है ।

डा० सत्यवादी : इस दाखिले के लिये जो उम्मीदवार आये थे, क्या मैं जान सकता हूं कि उन में से हरिजन उम्मीदवार कितने थे ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं क्योंकि यह स्तम्भ केवल १९५३ में ही चालू किये गये थे । इस से पूर्व ऐसा कोई पृथक् स्तम्भ नहीं था जिस में उनको यह बताना होता कि वह अनुसूचित जातियों के थे।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन संस्थाओं में जो हरिजन विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिये आते हैं, यदि वह सब प्रकार से फिट होते हैं तो उन को कोई आर्थिक सहायता विशेष रूप से दी जाती है या देने का इरादा है ?

सरदार मजीठिया : उनको आर्थिक सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि सभी सेना-छात्रों का प्रशिक्षण व्यय रक्षा विभाग वहन करता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय हरिजन उम्मीदवारों की संख्या प्रदेशवार बतला सकते हैं बरखिलाफ उन लोगों के जो कि दूसरी जातियों के वहां भरती हुए हैं ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : रक्षा मंत्रालय ने इस सभा में रक्षा मंत्री द्वारा कुछ समय पूर्व दिये गये इस आश्वासन को, कि यह देखने के लिये, कि हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भरती होने के लिये सभी सुविधायें दी जाती हैं समुचित कार्यवाही की जायेगी, पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ? कल मैंने वाद विवाद के समय इसका उत्तर दिया था । हम सभी सुविधायें देने को तैयार हैं परन्तु बरीयता का कोई प्रश्न नहीं है । हम

सर्वोत्तम सेना-छात्र चाहते हैं और प्रशिक्षण खड़गवसला में दिया जाता है। यदि कोई बालक सेना की सेवा के लिये उपयुक्त तथा अर्ह होता है, तो हम यह जानना नहीं चाहते हैं कि वह किस जाति का है।

मिलिटरी कालिज देहरादून

***१९५५. डा० रामा राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिटरी कालिज, देहरादून के लिये अन्तिम परीक्षा तथा चुनाव कब किया गया था ;

(ख) कुल कितने विद्यार्थी चुने गये थे;

(ग) कितने नेपाल के राष्ट्रजन गोरखा थे; और

(घ) अगली परीक्षा कब होगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मिलिटरी कालिज के जुलाई १९५५ के पाठ्यक्रम में भरती किये जाने के लिये अभ्यर्थियों की परीक्षा जनवरी, १९५५ में हुई थी। उक्त पाठ्यक्रम के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव जुलाई, १९५५ में किया गया था।

(ख) २४।

(ग) कोई नहीं।

(घ) अगली परीक्षा जनवरी, १९५५ में होगी।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं ?

श्री भक्त दर्शन :

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं। प्रश्नकर्त्ता दिये गये उत्तर से संतुष्ट हैं।

सीमान्त सुरक्षा पुलिस

***१९५६. श्री वल्लाथरास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत की सीमा की रक्षा करने के आशय से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के इस बचन पर कि उसका समस्त व्यय तथा दायित्व उसके द्वारा वहन किया जायेगा, बनाया गया विशेष पुलिस बल अब भी कार्य कर रहा है; और

(ख) क्या उक्त दल को सेवायुक्त रखने की आवश्यकता एक स्थायी आवश्यकता है, और यदि हां, तो क्या उसे स्थायी आधार पर बनाये रखने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). उक्त बल को अस्थायी आधार पर रखा जा रहा है। उसे स्थायी बना देने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री वल्लाथरास : इस विशेष पुलिस संस्थापन पर १९५४-५५ में कितना व्यय किया गया था ?

श्री दातार : यह आंकड़े आयव्ययक में दिये गये हैं। जहां तक इस बल विशेष का सम्बन्ध है १,२३,००० रुपये व्यय किये गये थे।

श्री वल्लाथरास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत तथा चीन के परस्पर सम्बन्धों में उत्तम मित्रता एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या सरकार ने शीघ्र से शीघ्र सभी चौकियों को हटा लेने की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री दातार : यह बल केवल एक अस्थायी प्रकार का है, और स्वयं इसी बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री वल्लाथरास : क्या १९५३ से १९५५ तक की अवधि में तिब्बत की ओर से भारत में अनधिकार प्रवेश की कोई घटनायें हुई हैं और क्या भारतीय संघ के पुलिस बल तथा तिब्बत की सेना या पुलिस बल की कोई झड़पें हुई हैं ?

श्री दातार : इस समय इस विषय सम्बन्धी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भक्त दर्शन क्या गवर्नमेन्ट के ध्यान में यह बात आई है कि इन हमारे सोमावर्ती सिपाहियों को कहीं कहीं पर तो १५,००० फुट की उंचाई पर बर्फ और ठंड में रहना पड़ता है ? क्या यू० पी० सरकार ने मांग की है कि इन के लिये पक्के मकान बनाये जायें और अन्य दूसरे प्रकार के इन्तजाम किये जायें ?

श्री दातार : क्योंकि यह बल अस्थायी है इसलिये इस प्रक्रण पर उनके लिये स्थायी उपबन्ध करने का कोई प्रश्न नहीं है।

खनिज तेल

***१९५८. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २२ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को स्टैन्डर्ड वैक्युम आयल कम्पनी के साथ हुए क़रार के निर्बन्धनों के अन्तर्गत खनिज तेल के मूल्य के निर्धारण का प्रश्न उठाये जाने पर उस के सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिका· होगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : स्टैन्डर्ड वैक्युम आयल कम्पनी के साथ हुए क़रार को किन्हीं बातों को बताना लोक हित में नहीं होगा।

श्री एन० बी० चौधरी : क़रार के वास्तविक उपबन्धों को ज्ञात करने के लिये की गई देशव्यापी मांग को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार हमें कोई संकेत देगी कि मूल्य के सम्बन्ध में कौन से सिद्धान्त अन्तर्गत होंगे क्या वह मैक्सिको को खाड़ी सत्र के समनरूप होंगे ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि क़रार की शर्तों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा। जो कुछ मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, उसके अतिरिक्त मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि राष्ट्रीय हितों को पूर्ण रूप से सुरक्षा की गई है और क़रार करते समय पुर्ण सावधानी से काम लिया गया है और तेल के मुल्यों को विनियमित किया जायेगा।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस परियोजना सम्बन्धी शर्तों को अन्तिम रूप देने में तेल शोधन कारखानों के सम्बन्ध में स्टैन्डर्ड वैक्युम तथा बर्मा आयल कम्पनियों से किये गये क़रारों से प्राप्त अनुभवों को विचाराधीन रखा जायेगा ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां, हम अनुभव से सदैव लाभ उठायेंगे।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सभा में अनेक बार यह प्रश्न उठाया गया है कि आसाम क्षेत्र से प्राप्त पैट्रोलियम से सुवित किये गये पैट्रौल के मूल्य मैक्सिको की खाड़ी के मूल्य पर आधारित किये जाते हैं, क्या मैं जान

सकता हूं कि हमें इस असंगतता का कारण बताना क्यों लोक हित में नहीं होगा, क्योंकि यह व्यापार सम्बन्धी एक असंगतता है कि स्थानीय वस्तुओं से उत्पादित किसी वस्तु का मूल्य मैनिसको की खाड़ी के मूल्य पर आधारित किया जाये ?

डा० के० एल० श्रीमाली : कारण यह है कि सरकार अन्य समवायों से बातचीत प्रारम्भ कर रही है और इसलिये हमने स्टैन्डर्ड वैक्युम आयल कम्पनी से जो क़रार किया है उसकी शर्तों को बताना राष्ट्रीय हित में नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, श्रीमान् ?

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, श्रीमान् ?

अध्यक्ष महोदय : अब दो प्रश्न हैं। अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

चीन को भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल

*१९५९. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५५ में भारतीय विद्यार्थियों का कोई प्रतिनिधि मंडल चीन को जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल मे कितने व्यक्ति होंगे और उन्हें किस आधार पर चुना जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी ।

(ख) ३१ । चुनाव विश्वविद्यालयों ने किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि विद्यार्थियों के इस दल का नेतृत्व करने के लिए किसी एक वाइस चासलर को चुना जा रहा है और क्या गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि स्वयं विद्यार्थियों के बीच में से ही नेतृत्व करने के लिए किसी को चुना जाए ?

डा० एम० एम० दास : पेकिंग विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के माध्यम से अपने आमंत्रण देश के दस विश्वविद्यालयों को भेजे हैं और भारत सरकार ने आमंत्रण सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को वैसे ही भेज दिये हैं । प्रवरण के सम्बन्ध में, भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है ।

डा० रामा राव : क्या इन विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रतिनिधियों का प्रवरण करने में, मैं जान सकता हूं कि प्रतिनिधि मंडल में कुछ राज्यों के एक से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि क्यों हैं जबकि आन्ध्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के एक भी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि इस प्रतिनिधि मंडल में नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि पेकिंग विश्वविद्यालय ने भारत के कुछ विश्वविद्यालयों को आमंत्रण भेजा था---मेरा अभिप्राय है कि आमंत्रण-पत्र भेजते समय पेकिंग विश्वविद्यालय ने भारत के विश्वविद्यालयों के नाम दिये थे ।

श्री श्यामनंदन सहाय : वे दस विश्वविद्यालय कौन कौन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमें उन विस्तृत बातों पर नहीं जाना चाहिए । हमें उनमें अभिरुचि नहीं है ।

हीरे की खानें

*१९६२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितनी हीरों की खानें काम कर ह हैं; और

(ख) १९५०–५३ तक के वर्षों में वर्षानुसार उनका उत्पादन कितने मूल्य का हुआ ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या १७**]

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या इस देश में हीरों के आयात में वृद्धि हो रही है ?

डा० के० एल० श्री माली : एक समिति पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त की गई है और उसके प्रतिवेदन पर विचार करना होगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या हमारे देश में हीरों की खानों के विस्तार सम्बन्धी कोई निर्धारण किया गया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जैसा कि मैंने पहिले कहा था, एक समिति नियुक्त कर दी गई है और उसके प्रतिवेदन पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : पन्ना हीरा-क्षेत्र के प्रश्न की जांच करने के लिए, न कि सम्पूर्ण देश में हीरों की खानों का निर्धारण करने के लिए, एक समिति नियुक्त की गई है ।

डा० के० एल० श्रीमाली : हीरा खनन उद्योग के कुछ पहलुओं पर विचार करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए सिफ़ारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ।

विदेशी भाषा स्कूल

***१९६४. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में विदेशी भाषा स्कूल में कितने विद्यार्थी निर्वचन में प्रशिक्षित किए गए; और

(ख) उनमें कितने विद्यार्थी पुरस्कृत थे और कितने अपुरस्कृत ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) दो ।

(ख) दोनों पुरस्कृत थे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितनी विदेश भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है और वे विदेशी भाषायें क्या क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : लगभग दोनों ही प्रश्न एक ही हैं और मैं कह सकता हूं कि भाषायें ये हैं : अरबी, बर्मी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी, फारसी, रूसी, और तिब्बती ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह प्रशिक्षण केवल उन लोगों तक सीमित है जो नौकरी में हैं या नये प्रार्थियों का भी प्रवरण किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : साधारणतया, प्रार्थियों को नौकरियों में से प्रवरण किया जाता है—रक्षा मंत्रालय में या अन्य मंत्रालयों में—परन्तु, यदि कुछ स्थान खाली होते हैं तो हम बाहर वालों को भी लेते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि अधिकारियों को, जब वे विदेशी भाषा स्कूल में भाग लेते हैं और परीक्षायें पास करते हैं तब उनको, कुछ योग्यता वेतन मिलता है, परन्तु यदि कोई साधारण वायु सैनिक उसी परीक्षा को पास करता है तो उन्हें इसका अधिकार नहीं है और प्रायः उन्हें इन कक्षाओं में पढ़ने की अनुमति भी नहीं दी जाती ?

सरदार मजीठिया : प्रार्थियों का प्रवरण पूर्णतया विशेषताओं के आधार पर किया जाता है और इसलिए, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या कोई प्रवेश परीक्षा है जो लोगों को इस विदेशी भाषा स्कूल में प्रवेश करने के पहिले पास करनी होती है और जिसके आधार पर विशेषता की जांच होती है ?

सरदार मजीठिया : कोई अर्हता परीक्षा नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इंटरप्रेटरशिप का जो कोर्स है वह केवल रक्षा विभाग और वैदेशिक विभाग के कर्मचारियों के लिए ही निश्चित किया गया है? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो गैर सरकारी लोग हैं या दूसरे विभागों के जो कर्मचारी हैं उनपर इस कोर्स में शामिल होने पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

सरदार मजीठिया : मैं पहिले ही उस प्रश्न का उतर दे चुका हूं कि वह सच नहीं हैं ।

आयकर अपीलें

*१९६७. **डा० सत्यवादी** : क्या वित्त मंत्री अपीलीय सहायक आयुक्त के पास उन विलम्बित पड़ी अपीलों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्हें १ अप्रैल, १९५५ को एक वर्ष से अधिक हो गया है?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : उन अपीलों की कुल संख्या जो एक अप्रैल १९५५ को एक वर्ष से अधिक समय की हो गई हैं और अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास निलम्बित हैं, २९,००२ है ।

डा० सत्यवादी : क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि इन अपीलों का जल्दी फ़ैसला करने के लिए और ज्यादा अपील सुनने वाले अथारिटीज मुकर्रर किया जायें ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि पच्चीस और अपेलेट असिस्टेन्ट कमिशनर्ज़ बहाल किए जायेंगे और वह धीरे धीरे बहाल होने वाले हैं ।

डा० सत्यवादी : क्या ऐसी भी कोई हिदायत दी जा रही है कि इन अपीलों का फ़ैसला करने के लिए कोई खास डेट मुकर्रर कर दी जाय यानी इस अरसे में अपील का फ़ैसला कर दिया जाये?

श्री बी० आर भगत : हम ने यह आदेश दिया है कि आम तौर से एक अपील में एक साल से ज़्याद न लगे ।

श्री बर्मन : सब से पुरानी अपील कितने समय से फैसले के लिए पड़ी है ?

श्री बी० आर० भगत : एक दम मैं यह नहीं बता सकता, परन्तु कुछ अपीलें १९५२-५३ से फ़ैसले के लिए पड़ी हैं ।

श्री धूलेकर : इन २९,००२ अपीलों में से कितनी अपीलें १९४० और १९४७ के बीच में की गईं ?

श्री बी० आर० भगत : यह विवरण में अभी नहीं दे सकता ।

श्री बोगावत : इन २९,००० से कुछ अधिक अपीलों में कितनी धनराशि और कितने करदाता फंसे हुए हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इन अपीलों का निर्णय नहीं हुआ है, और हम नहीं कह सकते कि यह धनराशि कितनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह निर्धारित कर की धन-राशि जानना चाहते हैं जिसके सम्बन्ध में ये अपीलें अनिश्चित पड़ी हैं ।

श्री बी० आर० भगत : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या कुछ अपीलें ऐसी भी हैं जो दो या तीन वर्ष से भी अधिक समय से पड़ी हैं ?

श्री बी० आर० भगत : कुछ अपीलें ऐसी हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उनकी संख्या क्या है?

श्री बी० आर० भगत : मैं उन अपीलों की संख्या बता चुका हूं जो एक वर्ष से अधिक समय से पड़ी हैं।

रक्षित तथा सहायक टुकड़ियां

***१९६८. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायु सेना और नौसेना के लिए रक्षित तथा सहायक टुकड़ियां बनाने और रखने के लिए कोई कार्यवाही की गई है।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : निकट भविष्य में सहायक वायु सेना की कुछ टुकड़ियां बनाने का विचार है। नौसेना के लिए ऐसी ही व्यवस्था नहीं है परन्तु नौसेना में सक्रिय सेना से हटाये गये व्यक्तियों की धीरे धीरे एक रक्षित टुकड़ी बनाई जायेगी।

श्री भागवत झा आजाद : सहायक वायु सेना की कुछ टुकड़ियां बनाने का अधिकार सरकार को देने वाला अधिनियम कब पारित हुआ था और तत्पश्चात् कितना समय व्यतीत हो गया है।

सरदार मजीठिया : अधिनियम वर्तमान संसद द्वारा पारित किया गया था और माननीय सदस्य एक सदस्य हैं तथा वह यह जानते हैं। जैसा कि मैं पहिले ही बता चुका हूं तथ्य यह है कि इस सेवा के बहुत ही थोड़े समय से आरम्भ होने के कारण, लोगों ने रक्षित टुकड़ी बनाने के लिए सेना नहीं छोड़ी अतः यह रक्षित टुकड़ी का कार्य पीछे पड़ा है।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार ने सहायक वायु सेना की टुकड़ियां नहीं बनाई हैं इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इसके मार्ग में इतने विलम्ब के यदि कोई कारण और बाधायें हैं तो, वे क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : निश्चय ही माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि मैं वर्तमान अधिकारियों को नौकरी से हटा कर रक्षित टुकड़ियों में भेजूं।

श्री जी० एस० सिंह : क्या इस टुकड़ी को बनाने में देरी का कारण इसमें भरती किये जाने वाले उपयुक्त व्यक्तियों का अभाव है, या यह वित्तीय कारणों से हुआ है ?

सरदार मजीठिया : यह वित्तीय कारणों से नहीं है। मैं पहिले कह चुका हूं कि इस टुकड़ी के बनाने के लिए हमारे पास भूतपूर्व सैनिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग

***१९६९. श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अधीन माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बंध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या व्यय किया है और प्रथ पंच वर्षीय योजना काल में क्या व्यय करेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) योजना जिसकी मुख्य विशेषता विद्यमान उच्च स्कूलों को बहु प्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करना है, अक्टूबर १९५४ से कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) जी हां, परन्तु सब राज्यों ने नहीं ।

(ग) अब तक निम्न राशियां स्वीकृति की गई हैं:—

१९५४–५५	२,००,४१,८८१ रुपये
१९५५–५६	२,७१,६३,७०७ रुपये

(अब तक स्वीकृत हुई योग राशि)

मार्च १९५६ के अन्त से पहिले ही २.५ करोड़ रुपये और स्वीकृत होने की सम्भावना है ।

श्री एस० एन० दास : क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वित करने सम्बन्धी वित्तीय सम्भावनाओं को संदर्शित करने के लिए कोई प्राक्कलन बनाया गया है और यदि हां, तो राशि क्या है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक वर्तमान योजना काल का सम्बन्ध है, कुल आवर्तक व्यय दोनों केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए १,३९६ लाख रुपये आता है। दोनों केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मिलाकर कुल आवर्तक व्यय १,५९८ लाख रुपये है ।

श्री एस० एन० दास : भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस धन राशि में से कितनी केवल केन्द्र ने और कितनी राशि उन योजनाओं पर व्यय की गई है जिनसे राज्यों का भी सम्बन्ध है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार की पूर्णतया कोई अपनी महान योजनायें नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार उपयुक्त आधार पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दे रही है । केन्द्रीय सरकार ६६ प्रतिशत अनावर्तक व्यय और २५ प्रतिशत आवर्तक व्यय दे रही है । शेष राज्य सरकारों को देना पड़ता है ।

श्री एस० एन० दास : भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या मैं उन उच्च स्कूलों की संख्या जान सकता हूं जो बहु-प्रयोजनीय स्कूलों म परिवर्तित कर दिए गये हैं और उन स्कूलों की संख्या क्या है जो उच्च स्तरीय माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिए गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : हमने राज्य सरकारों से प्रतिवेदन मांगा है । अभी तक, हमें कुर्ग सरकार का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोला है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सम्पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगेगा । पाठ्यचारिकाओं और पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रश्न का भाग (ग) यह था, कितना व्यय किया गया है और किया जाएगा । माननीय मंत्री ने स्वीकृत धनराशि बताई है । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह बताने वाले प्रतिवेदन कि कितना धन वितरित

किया गया है। या वास्तव में व्यय किया गया है; अभी हमें राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं। हमने वे राशियां जो गत वर्ष स्वीकृत हुई थीं और अब तक चालू वर्ष में स्वीकृत की गई हैं, बताई हैं। मैंने वह राशि भी बता दी है जिसकी चालू वर्ष में स्वीकृति मिलने की सम्भावना है।

भारतीय उच्च-आयोग, लन्दन

***१९७०. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलैंड में भारतीय उच्च-आयोग (हाई कमिशन) के शिक्षा विभाग के मुख्य कार्य क्या क्या हैं; और

(ख) जो भारतीय विद्यार्थी अध्ययन के लिए इंगलिस्तान जाते हैं उन्हें यह विभाग क्या सहायता देता है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). शिक्षा विभाग इंगलिस्तान में भारतीय विद्यार्थियों की भलाई की देख-भाल करता है। यह उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश पाने और उद्योगों तथा सरकारी विभागों में प्रशिक्षण सुविधाएं पाने में सहायता देता है, और उनके स्वागत तथा आवास की भी व्यवस्था करता है, और जहां आवश्यक हो, विनिमय सुविधाएं, वापसी यात्रा तथा वित्तीय सहायता देता है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह सच है कि इंगलैंड में भारतीय उच्च-आयुक्त के कार्यालय के शिक्षा विभाग के विरुद्ध एक आम शिकायत यह है कि विद्यार्थियों को प्रवेश के प्राप्त करने में सहायता नहीं दी जाती है और यदि वे सीधे विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें शीघ्र प्रवेश प्राप्त हो जाता है ?

डा० एम० एम० दास : हमें इस शिकायत का पता नहीं है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस कार्यालय का कोई निरीक्षण किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री से पूछा जाना चाहिए।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इंगलिस्तान में भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है ?

डा० एम० एम० दास : आज कल इंगलिस्तान में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या १,९९८ है।

श्री एन० एम० लिंगम : इंगलैंड में भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालय से संबद्ध शिक्षा विभाग ने कितना व्यय किया है और इस व्यय में कितना विद्यार्थियों को दी गई सहायता पर किया गया है और कितना व्यय प्रशासकीय कार्यों पर ?

डा० एम० एम० दास : इंगलिस्तान में भारतीय उच्च आयोग के हमारे शिक्षा विभाग के लिए १९५५–५६ के लिए आय व्ययक अनुमान ४,७३,७०० रुपये का है। यहां मेरे पास इन आंकड़ों का पृथक रूप से ब्यौरा नहीं हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रश्न संख्या १९३९ का उत्तर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य के पास प्राधिकार है ?

श्री रघुनाथ सिंह : जी नहीं; परन्तु मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा समय है और प्रश्न प्रत्यक्षतः कुछ महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

अमरीकी नागरिक

*१९३९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री, उन अमरीकी नागरिकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो भारत में इस समय

(१) व्यापार
(२) अध्ययन और
(३) धर्म प्रचार
का कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :
(१) ३०२ ।
(२) २०७ ।
(३) १५७९ ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें अमेरिकन एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) लोगों की जो कि हिन्दुस्तान में हैं, कितनी तादाद है ?

श्री दातार : भिन्न भिन्न शाखाओं में विशेषज्ञ हैं । उदाहरणार्थ पुराविधिक विशेषज्ञ लगभग २०६ हैं; दन्त चिकित्सक भी हैं तथा कलाकार भी हैं जिन की संख्या लगभग १५ है ?

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच है कि पूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत कुछ विशेषज्ञ ऐसे प्रतिवेदन भेज रहे हैं जो राष्ट्र के सम्मान के लिये अपमानजनक हैं तथा जो इस देश के किसी अधिकारी अथवा संस्था को दिखाये बिना भेजे जाते हैं ?

श्री दातार : मेरा उनके भारत को पर्यटन से सम्बन्ध है । मैं उनके प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूं ।

श्री भगवत झा आजाद : १९५३-५४ की तुलना में १९५४-५५ में धर्म प्रचार कार्य श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिशतता की इतनी अधिक वृद्धि के कारण क्या हैं ?

श्री दातार : धर्मप्रचारकों के सम्बन्ध में यह सत्य है कि उनकी संख्या कुछ बढ़ गई है । ऐसा कई कारणों से है । एक धर्म प्रचारक मिशन ने कार्य समाप्त कर दिया तथा उनके स्थान पर और मिशन आ गये । कुछ धर्मप्रचारक अन्य कार्य भी करते हैं । उदाहरणार्थ अध्यापक, डाक्टर, दंत चिकित्सक, नर्सें आदि हैं । इसलिये कुछ मामलों में वह चले गये तथा अनुमति दे दी जाती है ।

श्री सी० आर० चौधरी : दी गई संख्या में से, कितने अपने देश की गुप्त सूचना विभाग की सेवा के विशेषज्ञ हैं ?

श्री दातार : मैं इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन धर्मप्रचारकों के कार्य में, अपने एजंटों द्वारा मक्खन, घी, तेल आदि वितरित करना भी है ।

श्री दातार : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि सरकार ने सभी विदेशी धर्मप्रचारकों के जिनमें अमरीकी धर्मप्रचारक भी हैं भारत में प्रवेश पर उस समय तक प्रतिबन्ध लगाया

है; अथवा लगाने का विचार कर रही हैं, जब तक कि वह अध्ययन, चिकित्सा अथवा अन्य हितकारी कार्य के लिये आते हैं ?

श्री दातार : इसमें प्रतिबन्ध आदि का प्रश्न नहीं है । जब भी कभी धर्म-प्रचारक आते हैं तब स्वाभावतः भारत के हित पर ध्यान अवश्य रखा जाता है । यही एक मुख्य बात है जिस पर यह विचार किया जाता है । जब भी कभी ये धर्मप्रचार के मिशनों के खोलने का प्रस्ताव होता है तब भी इसी पर विचार किया जाता हैं । इस प्रकार भारत के हित का अधिक महत्व है ।

छात्रवृतियां

***१९४० सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में अ-स्वायतशासी क्षेत्रों के कितने विद्यार्थियों को सरकार छात्रवृतियां देगी; और

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ७२ ।

(ख) ५,४०,६०० रुपये ।

सेठ गोविन्द दास : १९५५–५६ में जितने विद्यार्थी गये, उनकी संख्या क्या पहले से कम थी, और अगर कम थी तो इसका क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे खेद है कि मेरे पास पहले वर्ष के आंकड़े नहीं हैं ।

सेठ गोबिन्द दास : इस सम्बन्ध में क्या कोई ऐसी निश्चित योजना सरकार के पास है जिसके अनुसार यह विद्यार्थी भेजे जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : वे भारत से बाहर नहीं जाते हैं । भारत में अध्ययन के लिये इन विद्यार्थियों को बुलाया जाता है ।

सेठ गोविन्द दास : जो आते हैं उनसे ही मेरा मतलब है । इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

डा० एम० एम० दास : दो योजनाओं के अधीन अस्वापत्तशासी क्षेत्रों से विद्यार्थी बुलाये जाते हैं । सामान्य सांस्कृतिक योजना है तथा कालिज उद्योग तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना भी है । इन दो योजनाओं के अधीन इन अस्वा-यत्तशासी देशों से विद्यार्थी बुलाये जाते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : जहां जहां से विद्यार्थी बुलाये जाते हैं उस सम्बन्ध में क्या उन सरकारों से लिखापढ़ी होती है, और क्या उनकी हर देश से कोई संख्या निश्चित है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, इन प्रत्येक देशों के लिये निश्चित कोटा निर्धारित है ।

अल्प सूचना प्रश्न

हिन्दुस्तान हाउसिंग फेक्टरी लिमिटेड, दिल्ली

अल्प सुचना प्रश्न संख्या १०. श्री गिडवानी : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्त है कि सरकार ने मैसर्स बसाखा सिंह वालैन बर्ग लिमिटेड से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के प्रबन्ध से सम्बन्धित समझौते को समाप्त करने का निश्चिय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समझौता समाप्त करने की प्रस्तावित कार्यवाही के आर्थिक प्रभाव क्या है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मैसर्स बसाखा सिंह वालैनबर्ग ने १० लाख रुपये की कार्यवाहक पूंजी की व्यवस्था की थी तथा वे बढ़े हुए उत्पादन और बिक्री द्वारा इसे आत्म निर्भर बनाने के लिए आवश्यक और अधिक धनराशि की व्यवस्था करने में असमर्थ थे । उनकी अतिरिक्त सक्रिय पूंजी देने की असमर्थता तथा समझौते की शर्तों से छुटकारा पाने की उनकी प्रार्थना के आधार पर सरकार ने समझौते को समाप्त करना उचित समझा । इसलिये सरकार ने मैसर्स बसाखा सिंह वालैनबर्ग कम्पनी लिमिटेड के सूद को हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड की अंश पूंजी में लगा कर, अपने हाथ में ले लिया । जब तक गैर सरकारी संस्था का समझौता था उस काल की हानि, उस निर्णय के आधार पर निश्चित की जायगी जिसकी बात चीत हो रही है । स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १८]

श्री गिडवानी : मैं विवरण में देखता हूं कि समवाय की हानि प्रारंभिक तिथि से १६-८-५५ (जिस तिथि को सरकार ने कारखाने को हाथ में लिया) को १४ से १५ लाख रुपये है तथा इसे हानि में सम्वाय द्वारा दिये जाने वाले पट्टे का धन भी सम्मिलित है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि समवाय से इन पट्टे के धन को लेने की सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री सतीश चन्द्र : संस्था में सरकार बराबर की सहभागी थी तथा समवाय हानि पर चल रहा था । समन्वय अब किया जायगा ।

श्री गिडवानी : सीमेंट कंक्रीट के उत्पादन के लिये फैक्टरी में कितने मूल्य के यन्त्र होंगे ? जैसा बताया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न कारणों से उस सामग्री का उत्पादन नहीं किया जा सका, तो प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, कुटीर उद्योगों में कार्य करने वाले बढ़इयों द्वारा बताई गई दरों से फैक्टरी में बने दरवाज़ों तथा खिड़कियों की दरें कम क्यों नहीं हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि फैक्टरी में और किस प्रकार की सामग्री का उत्पादन होता है जिससे फैक्टरी आर्थिक आधार पर कार्य कर सके तथा और अधिक हानि न हो ?

श्री सतीश चन्द्र : हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के दो वर्ष के कार्यकाल में फैक्टरी को लगभग ३० लाख रुपये के मूल्य के आर्डर मिले थे। इन आर्डरों को पूरा नहीं किया गया क्योंकि वस्तुओं में प्रतिद्वन्द्विता थी । यह सच है कि फोम कंक्रीट रूफिंग स्लैब के आर्डर पर्याप्त नहीं थे परन्तु प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट सैक्शन ठीक काम कर रहे हैं ।

श्री गिडवानी : लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) भाग १, १९५४ द्वारा प्रतिवेदित, फैक्टरी के लेखे अपूर्ण तथा अनियमित पाये गये हैं। तो क्या यह सच है कि लेखा परीक्षक के नवम्बर १९५४ के

प्रतिवेदन का उत्तर नहीं भेजा गया ? क्या यह भी सच है कि १९५४-५५ के १३वें प्रतिवेदन में प्राक्कलन समिति ने प्रतिवेदित किया है कि फैक्टरी की वित्त स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तथा एक स्वतन्त्र पत्रित लेखापाल समवाय के वित्तीय लेखों की जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त होना चाहिये ? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री सतीश चन्द्र : समवाय के लेखों के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना चाहिये। समवाय की वित्त स्थिति अच्छी नहीं थी यह तो फैक्टरी के इतिहास से प्रत्यक्ष है।

श्री कामत : यह १४ से १५ लाख रुपये की कुल हानि, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के समवाय बनने के पश्चात् से है अथवा यह कुल हानि इस संस्था के सरकारी हाउसिंग फैक्टरी बन जाने से है ?

श्री सतीश चन्द्र : १४ से १५ लाख रुपये की धनराशि १९५३ में इसके हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी बन जाने के पश्चात् से है। मैसर्स बसाखा सिंह वालैन-बर्ग एण्ड कम्पनी लिमिटेड के समझौते के अनुसार, जो कि न्यूनतम अवधि ३ वर्ष से पूर्व ही समाप्त हो गया यह निश्चित हुआ था कि सरकार केवल ५ लाख रुपये की हानि उठायेगी। परन्तु ३.८३ लाख रुपये पट्टा-धन के रूप में सरकार को मिल जायेंगे। इस प्रकार कुल हानि लगभग १.७ लाख रुपये दो वर्ष में हुई।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रबन्धकों ने वार्षिक १.४ लाख रुपये के अवक्षयण की छूट मांगी है तथा क्या सरकार को प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की जानकारी है कि इस प्रार्थना को स्वीकार करने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त होनी चाहिये ?

श्री सतीश चन्द्र : फैक्टरी के कार्यों के विचारार्थ एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही है। परन्तु जहां तक पट्टे की पूंजी का सम्बन्ध है, मैसर्स बसाखा सिंह वालैनबर्ग एण्ड कम्पनी लिमिटेड के समझौते के अनुसार जो अवक्षयण आय-कर प्राधिकारी स्वीकृत करेंगे वह सरकार के द्वारा, समवाय को दी गई आस्तियों का किराया होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय ने इस फैक्टरी को अपने हाथ में लेना स्वीकार कर लिया है तथा यदि हां, तो इसका भविष्य क्या होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : फैक्टरी निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के नियंत्रण में रख दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर देना उसी मंत्रालय के लिये ठीक होगा क्योंकि इस परिवर्तन के आदेश अभी जारी नहीं हुये हैं मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। भविष्य में सभी प्रश्न निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री को सम्बोधित होने चाहियें।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं........

अध्यक्ष महोदय : अंतिम उत्तर ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

श्री सारंगधर दास : मैं कुल हानि जानना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया है कि फैक्टरी निर्माण,

आवास, तथा संभरण मंत्रालय को सौंप दी गई है तथा उसके मंत्री को ही सभी प्रश्न सम्बोधित होंगे ।

श्री सारंगधर दास : यह संगत प्रश्न है । कुल हानि क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रारंभ में ही उन्होंने बता दिया है ।

श्री सारंगधर दास : वह केवल इसी काल का है ।

श्री कामत : अगले सत्र में हम इस पर विचार करेंगे ।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

ब॰-प्रयोजनीय स्कूल

*१९३८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान माध्यमिक स्कलों को बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : अब तक स्वीकृत बहु-प्रयोजनीय स्कलों की संख्या दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १९]**

इस प्रकार के स्कलों की पूर्ण स्थापना सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा बाद में बतायी जायेगी ।

त्रिपुरा की खानें

*१९४५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व चिपरा की खानों में कार्य के लिये अनुज्ञप्ति दे दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनुज्ञप्ति किस विशेष क्षेत्र के लिये दी गई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). त्रिपुरा के किसी क्षेत्र में खानों के कार्य के लिये हाल में कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है ।

ऐतिहासिक स्मारक

*१९४९. **कर्नल जैदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई ऐतिहासिक स्मारक, उनके अत्यधिक निकट अनियंत्रित भवन निर्माण कार्यों के कारण नष्ट हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) पुरातन स्मारक रक्षण अधिनियम १९०४ के संशोधन का, जिससे इस प्रकार के मामले उस अधिनियम के अन्तर्गत आ जायं, प्रश्न विचाराधीन है ।

खानों का निदेशालय

*१९५२. **श्री संगण्णा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में खानों का अलग निदेशालय बनाने के विषय में, केन्द्र को प्राविधिक अथवा अन्य प्रकार की सहायता के लिये लिखा है; और

(ख) यदि , तो क्या परिणाम हुये ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०**]

ओरियन्टल पब्लिक (खुदा बख्श) लाइब्रेरी, पटना

*१९५३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, बिहार सरकार की ओरियन्टल पब्लिक (खुदा बख्श) लाइब्रेरी पटना में सुधार करने की कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां । लाइब्रेरी के एक भाग को शीतोष्ण नियन्त्रित बनान की योजना प्राप्त हुई है ।

(ख) प्रस्ताव की जांच के लिये राज्य सरकार से कुछ आवश्यक सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

आई० ए० एस०/आई० पी० एस०

*१९५४. { **श्री एच० जी० वैष्णव** :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बता कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य के लिये आई० ए० एस० (अखिल भारतीय प्रशासन सेवा) और आई० पी० एस (अखिल भारतीय पुलिस सेवा) पदाधिकारियों की वार्षिक भर्ती का कोई अभ्यंश निश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यंश निश्चित करने की क्या कसौटी है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को किस आधार पर आई० ए० एस०, और आई० पी० एस० पदाधिकारियों का अभ्यंश निर्धारित किया जाता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, जहां तक इन सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाओं द्वारा भर्ती का संबंध है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदालियों में वार्षिक भर्ती की संख्या वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निश्चित की जाती है । राज्य पदालियों की वास्तविक कमी के अनुसार किसी विशिष्ट वर्ष की वास्तविक भर्ती में अन्तर पड़ सकता है ।

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा में सीधे भर्ती होने वालों की संख्या उन के द्वारा अभिव्यक्त प्राथमिकता और योग्यता सूची में उनके अपने स्थान तथा प्रत्येक राज्य पदालि के लिये एक निश्चित अनुपात में "बाहर वालों" की संख्या निर्धारित करने की सरकार की नीति का ध्यान रखते हुए विभिन्न राज्यों में आवंटित की जाती है, ताकि अखिल भारतीय सेवाओं का स्तर कायम रखा जाये । विभिन्न राज्यों की अखिल भारतीय पुलिस सेवाओं में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण यथासंभव संबद्ध राज्यों या पड़ोसी (ग) भाग के राज्य से आने वाले सफल अभ्यर्थियों में से किया जाता है ।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१९५७. **श्री एम० डी० रामस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३४ के

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरानी प्रथा के अनुसार १९५५-५६ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). जैसा पहले बताया गया है, सरकार ने १९५५-५६ में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की, छात्रवृत्तियों को, जिन्हें उनकी वार्षिक परीक्षा पास कर लेने पर अगली बड़ी श्रेणी में प्रवेश दिया गया है, सरकार ने पुनर्नवीन करने का निर्णय कर लिया है। अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को नवीन छात्रवृत्तियां देने के बारे में, आया पिछले साल वाले सिद्धान्त का इस वर्ष भी पालन किया जाये, यह प्रश्न विचाराधीन है।

चीन के लिय भारतीय विद्यार्थी

***१९६०. श्री जनार्दन रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि चीन और भारत के बीच विद्यार्थियों के विनिमय की योजना के अनुसार, सरकार सरकारी छात्रवृत्ति पर उपयुक्त स्नातकों को चीन भेजने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो ये विद्यार्थी वहां कौन से विषयों का अध्ययन करेंगे ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अध्यन के लिये ये विषय सोचे गये हैं :—

कला सम्बन्धी विषय अर्थात चीनी भाषा और साहित्य, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक अर्थ व्यवस्था तथा विधि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि तथा जर्राही, ललिन कला की विभिन्न शाखाएं, स्थापत्य कला आदि।

विस्थापित सरकारी कर्मचारी

***१९६१. सरदार अकरपुरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से विस्थापित सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने १९५२ में वार्द्धक्यता प्राप्त कर ली थी, अभी भी नौकरी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). कोई विस्थापित सरकारी कर्मचारी, जिसने १९५२ में या उससे पूर्व वार्द्धक्यता प्राप्त कर ली थी, अब सेवा विस्तार पर नहीं है। जो कर्मचारी सेवा निवृत्त होने के उपरांत पुनः नौकरी में लिये गये थे, उनमें से ४ कर्मचारी अभी भी नौकरी कर रहे हैं। उपरोक्त जानकारी में वे लोग नहीं आते रेलवे मंत्रालय पर भारतीय लेखा परीक्षण विभाग में हैं या इन विभागों के अधीन हैं।

चूने के पत्थर के निक्षेप

***१९६३. श्री हेम राज** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मकोट, कांगड़ा ज़िले में अच्छे गुण-प्रकार के चूने के पत्थर के संग्रह पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वहां से कितना चूने का पत्थर मिलने की संभावना है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २१]

केन्द्रीय अधिनियमों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू होना

***१९६५. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् के किन किन अधिनियमों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य तक विस्तार करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट १० ,अनुबन्ध संख्या २२] राज्य सरकार के साथ कुछ और अधि-नियमों का विस्तार करने के बारे में पत्र व्यवहार हो रहा है ।

रिवाल्वर

***१९६६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५४ से ३१ मार्च १९५५ तक रक्षा सेवाओं के लिये किन फर्मों से रिवाल्वर खरीदे गये थे और उन पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(ख) क्या भारतीय आयुध फैक्ट-रियों में रिवाल्वरों के निर्माण के बारे में कोई उपबंध है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कुल कितने रिवाल्वर बनाये गये हैं; और

(घ) रिवाल्वर बनाने के बारे में भारत कब स्वावलम्बी होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). १-४-५४ से ३१-३-५५ के अन्दर रक्षा सेवाओं के लिये कोई रिवाल्वर नहीं खरीदा गया और न ही आगामी कुछ वर्षों में रिवाल्वर खरीदने का इरादा है । असैनिक उपयोग और इन सेवाओं के लिये स्वचालित पिस्तौल के रूप में उपयोग करने के लिये ३२ रिवाल्वर बनाने का काम आयुध फैक्टरियों द्वारा आरंभ किया गया है । आयुध फैक्टरियों में सेना के लिये ऐसे शस्त्रों के उत्पादन के बारे में अधिक जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

निकल के सिक्के

***१९७१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री निम्न बातों के सम्बन्ध में विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८ से १९५४-५५ के वर्षों में सरकार ने कितना निकल खरीदा था;

(ख) यह किस से खरीदा गया था और उसका क्या मूल्य दिया गया था; और

(ग) चार आना और आठ आना के निकल के सहायक सिक्कों के टंकन के

लिये उपरोक्त अवधि के अन्दर कितना निकल प्रयोग में लाया गया था ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). भारत सरकार की बम्बई और कलकत्ता की टकसालों के संबंध में अपेक्षित जानकारी पृथक पृथक देने वाले दो विवरण सभापटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या २३**]

व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तियां

*१९७२. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक स्थापनाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तियों के लिये अभ्यर्थी चुनने का क्या तरीका है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : अपेक्षित जानकारी देन वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या २४**]

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

१०२८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक मोटर गाड़ियों की कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) उन में से कितनी दुर्घटनाएं घातक सिद्ध हुई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १६-९-५५ तक ७७९ ।

(ख) ६५ ।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क

१०२९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू पर, उत्पादन शुल्क लगाने के कारण पंजाब में १९५३-५४ और १९५४-५५ में सरकार को कितनी आय हुई है ; और

(ख) इन वर्षों में यह शुल्क इकट्ठा करने के लिये प्रशासन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या २५**]

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

१०३०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन संबंधी सुविधाओं के कारण केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय हाल में पंजाब में खोले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यालयों के क्या नाम हैं" और वे कहां खोले गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). पंजाब में केन्द्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं, उन का विवरण संबद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २६**]

ये कार्यालय कब खोले गये थे, यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

अन्दमान द्वीपसमूह

१०३१. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९५४ में सर्किट कोर्ट सेशन द्वारा अन्दमान द्वीपसमूह में कितने मामले निबटाये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : दो पहली मिसलेनिअस अपीलें, एक पहली अपील और दंड विधान (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा ४३८ के अन्तर्गत भेजा हुआ एक (रेफरेन्स) मामला।

अनुज्ञप्ति प्राप्त बन्दूक आदि

१०३२. श्री इब्राहीम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त १९५५ को भारत में राज्यवार विदेशियों के अतिरिक्त असैनिक लोगों के कब्जे में, कितने अनुज्ञप्त बन्दूक आदि अस्त्र थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जिन राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं, उन के संबंध में अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २७]

अन्य राज्यों सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होने के उपरांत सभा पटल पर रखी जायेगी।

टंगस्टन अयस्क

१०३३. श्री इब्राहीम : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में टंगस्टन अयस्क का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) कितना अयस्क निर्यात किया गया है और किन देशों को निर्यात किया गया है ; और

(ग) इसके लिये आन्तरिक मांग क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) १९५२ — १० टन
१९५३ — १५ टन
१९५४ — १ टन

(ख) केवल १० टन टंगस्टन अयस्क संयुक्त राज्य अमरीका को भेजा गया था।

(ग) देश में इस समय अयस्क की मांग नहीं है।

प्रारंभिक पाठशालाएं (हैदराबाद)

१०३४. श्री एम० आर० कृष्ण : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सरकार के द्वारा उस राज्य में प्रारंभिक पाठशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिये कुछ राशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : हां, श्रीमान।

भूमि के अन्दर सुरंग

१०३५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग के जैसलमेर राज्य में एक दस मील लंबी भूमि के अन्दर सुरंग मालूम की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह भारतीय इतिहास पर क्या प्रकाश डालती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जैसलमेर स्थित सैनिक इंजीनियरी (सेवा) दल द्वारा बनाये जाने वाले कुएं के लिये हाल में खुदाई करते समय १८० फुट की गहराई पर ७ फुट ऊंची और लगभग ५ फुट चौड़ी प्राकृतिक गुफा मालूम की गई थी । यह सुरंग नहीं है, अपितु यह चट्टान में कुछ फुट लंबी गुफा है ।

(ख) इस जनश्रुति को छोड़ कर, कि एक ओसवाल जैनी, जिसने लुधर्व में मन्दिर बनवाया था, एक भूमिगत रास्ते से जैसलमेर से लुधर्व तक पूजा करने के लिये आया करता था, इस के बारे में और कोई ऐतिहासिक तथ्य मालूम नहीं हुआ है । इस समय इस की तिथि का निश्चय नहीं किया जा सकता ।

छावनी यातायात विनियम

१०३६. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रक्षा मंत्री उन सैनिक अधिकारियों तथा जवानों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्हें यातायात के विनियमों के उल्लंघन के अपराध में निरुद्ध रखा गया है तथा जिनका प्रथम मई १९५५ से भारत की सभी छावनियों में छावनी पुलिस द्वारा चालान किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायगी ।

छात्रवृत्तियां देने के लिये बोर्ड

१०३७. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये वर्ष १९५५-५६ के लिये बोर्ड फिर से बनाया गया है, या पुराना बोर्ड अभी भी काम कर रहा है; और

(ख) यदि नया बोर्ड बनाया गया है, तो बोर्ड के नये सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) यह बोर्ड १९५५-५६ के वर्ष के लिये फिर से बनाया गया है ।

(ख) १९५५-५६ के वर्ष के लिये फिर से बनाये गये बोर्ड के सदस्यों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २८]

प्रादेशिक सेना

१०३८. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिये कन योग्यताओं की आवश्यकता होती हैं; और

(ख) प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसतन कितनी राशि व्यय की जाती है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) कोई भी व्यक्ति जो भारत का अधिवासी है, प्रादेशिक सेना में भर्ती हो सकता है बशर्ते कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो और उसकी अवस्था एक निश्चित सीमा के अन्दर हो । प्रादेशिक सेना अधिनियम, १९४८ की धारा ६ तथा प्रादेशिक सेना नयिम १९४८ के नियम ४ में सारा व्यौरा दिया हुआ है ।

(ख) यह सूचना देना ज़न-हित में न होगा, क्योंकि इसकी सहायता से प्रादेशिक सेना को वर्तमान संख्या मालम की जा सकती है।

अधिग्रहीत जमीनें

१०३९. श्री झूलन सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४२-४३ में बिलासपुर कांधी, देहरादून में सैनिक प्रयोजना से कुल कितने क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) इसका कितना भाग वस्तुतः मालिकों को लौटा दिया गया है; और

(ग) शेष के भाग के बारे में क्या फैसला किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३६६·१४ एकड़।

(ख) १६६·५३ एकड़।

(ग) कुल १९९·६१ एकड़ भूमि में से १०·५ एकड़ भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है जिससे वह विस्थापित ग्रामीणों को, जिनकी बिखरी हुई ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है, एक स्थान पर कृषि के लिये भूमि दे सके। शेष के क्षेत्र की अभिरक्षा सेवाओं की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सेवाएं

१०४०. श्री जे० आर० मेहता : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी भी केन्द्रीय सेवाएं हैं जिनके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई परीक्षाओं द्वारा किये गए प्रवरण उस समय तक मान्य हैं जब तक कि सभी सफल अभ्यर्थी सेवायुक्त न हो जायें, जबकि कुछ दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में उसी प्रकार के किए गए प्रवरण केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य हैं तथा जिनमें परिणामतः पिछली परिक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के सेवा में लिए जाने से पूर्व ही नए प्रवरण किये जाते हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो कौन कौन सी केन्द्रीय सेवाएं इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं ; और

(ग) इन दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों से विभेदपूर्ण व्यवहार करने के कारण क्या हैं?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

टैक्निकल संस्थाओं को ऋण

१०४१. श्री के० सी० सोधिया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैक्निकल संस्थाओं को विद्यार्थियों का छात्रावास बनाने के लिये ऋण के रूप में १९५४-५५ और १९५५-५६ (अब तक) कितनी राशि दी गई; और

(ख) प्रत्येक संस्था को कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) (क) तथा (ख). मांगी गई जानकारी का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २९]**

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

१०४२. श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या **वित्त** मंत्री पुर्ननिर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में इस समय कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): जहां तक सरकार को विदित है, इस समय पुर्ननिर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में तीन भारतीय कार्य कर रहे हैं ।

अमेरिकन सहायता

१०४३. सरदार अकरपुरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक अमेरिका ने भारत को विभिन्न प्रोद्योगिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी सहायता के देने का वचन दिया है ;

(ख) वास्तव में कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) इसमें से कितनी सहायता का लाभ उठाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). स० रा० अमेरिका ने भारत अमरीकी प्रोद्यौगिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५१-५२ तथा १९५४-५५ के बीच (जिसमें विकास सहायता भी शामिल है) २४४० लाख डालर (लगभग ११६ करोड़ रुपये) की सहायता मंजूर की है ।

(ग) अधिकृत सहायता का पूर्णतः लाभ उठाया गया है तथा परस्पर प्रवर्तन करार किये गए हैं जिनमें सब धन को उन परि-योजनाओं पर व्यय करने की बद्धता दी गई है जिनके बारे में दोनों देश सहमत हैं ।

हीरों का चोरी छिपे ले जाना

१०४४. श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में गोआ से भारत में चोरी छिपे लाये गये हीरों का मूल्य क्या है; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में सरकार ने गोआ की सीमाओं पर चौर्यानियन विरोधी तथा निवारक कर्मचारीवर्ग पर कितना व्यय किया है?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में गोआ से चोरी छिपे लाये गये हीरों के सम्बन्ध में कोई मामले नहीं पकड़े गए ।

(ख) भारत सरकार ने गोआ और दमन की सीमाओं पर नियुक्त चौर्यानियन विरोधी तथा निवारक कर्मचारीवर्ग पर १९५३-५४ में २४,१०,१५९ रुपये तथा १९५४-५५ में २५,४१,७६४ रुपये व्यय किए थे ।

मध्य भारत में केन्द्रीय कर

१०४५. श्री अमर सिंह डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत राज्य से आयकर के रूप में १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितनी राशि वसूल की गई है, और कितनी राशि वसूल करना शेष है ; और

(ख) उक्त वर्षों में मध्य भारत में स्थित केन्द्रीय अफीम और उत्पादन शुल्क

विभागों की शाखाओं से सरकार को कितनी आय हुई है?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) मध्य भारत में १९५३-५४ और १९५४-५५ में आयकर से क्रमानुसार ८२.६ लाख और ५७.८ लाख रुपये वसूल हुए; पहली अप्रैल १९५५ को वसूल की जाने वाली शेष रकम ४९.२ लाख रुपये थी।

(ख) मध्य भारत में उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) से १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमानुसार १,४७,८२,००० और १,९७,६२,००० रुपये की असल आमदनी हुई।

१९५३-५४ और १९५४-५५ में मध्य भारत में उत्पादित अफीम से हुई आय के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और ज्योंही ये उपलब्ध हो जाएंगे सदन की मेज पर रख दिये जाएंगे।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २–प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

मंगलवार,
२० सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

Preservation 3-4-92
Fumigated On 11-11-83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना .	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७ . . .	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८ . . .	२८८२—२९५४
खण्ड २ . .	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५ . .	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें .	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम . .	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति— . . .	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . .	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३ .	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५ .	३०५०—९३

स्तम्भ

अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—

कार्य मंत्रणा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . ३०९७—९९

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . ३०९९—३१९८

नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . . ३०९९—३१११

खण्ड ५५६ से ६०९ . ३१११—६४

खण्ड ६१० से ६४९ . ३१६४—९८

अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—

लोक लेखा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . ३१९९

सभा का कार्य . . . . . . ३१९९—३२०१

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

खण्डों पर विचार—असमाप्त . ३२०१—७१

खण्ड ६१० से ६४९ . . ३२०१—५१

खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . . ३२५१—६८

अनुसूची १ से १२ और खण्ड १ . . . . ३२६८—७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३२७१—७२

विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत ३२७२—९२

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—

असमाप्त . . . . . ३२९२—३३२२

अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ३३२३—२६

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खण्डों पर विचार—समाप्त . . ३३२६—६०

अनुसूची १ से १२ और खण्ड १ . . . . ३३२६—६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . ३३६०—३४२८

अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . . ३४२९—३०

आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के

विवरण . . . . ३४३०—३१

आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

का प्रतिवेदन ३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१–३२, ३४३३—३५

१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

पुरःस्थापित ३४३२–३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में—

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव— स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३४८३ —३५३२

अंक ३८—मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४–३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९ —४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमां के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९–८०

	स्तम्भ
अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम	३६८१—८२
अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम	३६८१—८२
कार्य मंत्रणा समिति—	
पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३६८२—८३
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	३६८३
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	३६८३—३८३४
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	३८३८—५२
अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५	
लोक लेखा समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	३८५३
तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	३८५३—५४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	३८५३—३९६३
पांडिचेरी विधान सभा	३९६३—७२
अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३९७३—८६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	३९८६
फल उत्पाद आदेश	३९८६
सभा का कार्य	३९८६—८९
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	३९८९—४०३७
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	४०३९—९२
सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४०३७—३८
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४०३८
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४०३८—३९
अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १६ सितम्बर, १९५५[1]	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२३१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८—३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक सभा

मंगलवार, २० सितम्बर १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०३ म० प०

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव--जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा में प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेत पत्र के बारे में चर्चा होगी। इस के लिये निश्चित ६ घंटों में से ३ घंटे १५ मिनट कल बीत गये थे। मैं नहीं जानता कि गणपूर्ति के अभाव में जो २० मिनट कल नष्ट हो गये उन्हें शामिल किया जाय या नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) हम साढ़े पांच बजे उठे थे। अतः वह समय बीस मिनट नहीं बल्कि आध घंटा है।

अध्यक्ष महोदय : तब तो प्रश्न और भी बड़ा है। यदि माननीय सदस्य पांच बजे बाद न बैठेंगे तो सभा का कार्य एक अक्तूबर तक समाप्त नहीं होने पायेगा। यदि हम किसी सत्र में ही योजनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो पंच वर्षीय योजना में क्या कर सकते हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब सभा में चर्चा प्रारम्भ की जायेगी। दो बजकर पैंतालीस मिनट के बाद लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी।

श्री विश्व नाथ रेड्डी (चित्तूर): प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के बारे में कल काफी कहा जा चुका है। इस विषय पर श्री बंसल का भाषण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के लिये भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य बन कर गये थे। इस के अतिरिक्त मेरे मित्र श्री कासलीवाल ने इस बारे में जो लेख लिखा है उसे भी माननीय सदस्यों को अवश्य पढ़ना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं समझौते के सिद्धान्तों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता। केवल दो चार बातों के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। पहले मैं करार को तोड़ने के अधिकार को लेता हूं। ब्रिटेन को अपने उपनिवेश के उत्पादन व्यापार को तोड़ने का अधिकार है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका ने कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के आयात व्यापार पर यह अधिकार अपने हाथ में ले रखा है। मैं समझता हूं कि भारत को भी कुटीर-उद्योग-उत्पादन-व्यापार के सम्बन्ध में ऐसा ही अधिकार अपने हाथ में लेना चाहिये था। १९४९-५० में राजकोषीय आयोग ने भी यही राय दी थी। हमें करार के अन्तर्नियमों से कुटीर-उद्योग-उत्पादनों को पृथक रखना

[श्री विश्व नाथ रेड्डी]

चाहिये था ? हमें अब भी इस के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

हम ने रूस और चीन से जो करार किये हैं उन पर भी भली भांति विचार किया जाना चाहिये । ये देश प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत नहीं हैं । इन देशों द्वारा जो व्यापार किया जाता है वह भी राज्य-स्तर पर किया जाता है । सम्भव है कि ये देश भी आगे चल कर सामान्य करार के अन्तर्गत आ जायें । उस समय हम हानि में रहेंगे । अतः इन देशों के साथ किये गये करारों में भी हमें कुछ वस्तुओं के बारें में आदान-प्रदान को तोड़ने का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिये था ।

कल जब मैं माननीय मंत्री का भाषण सुन रहा था तो मैं ने यह सोचा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सम्पर्क प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार से स्थापित करने के पक्ष में हैं किन्तु मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उन्हों ने अपने विचार इस के विपक्ष में प्रकट किये हैं । यदि उस निधि का उस से सम्पर्क हो जाय तो वह अमरीका और ब्रिटेन के लिये लाभ की वस्तु सिद्ध होगी जिस का हमें ध्यान रखना चाहिये ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार को आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीयवाद कहा गया है । यह राष्ट्रीयता का विरोधक है । इस से देशों के बीच में प्रशुल्क की जो दीवारे खड़ी हैं उन का महत्व बहुत कम हो जायगा । सभा को ज्ञात है कि इस समझौते सम्बन्धी सम्मेलन में भारत ने सदैव सक्रिय भाग लिया है । इस समझौते में जो जो बातें तय हुई हैं उन से अल्प-विकसित देशों के निर्यात-व्यापार को यथेष्ट लाभ होगा । विशेषतः अन्तर्नियम १८ हमारे लिये निश्चित रूप से लाभकारी है ।

कल श्री बंसल तथा अन्य सदस्यों ने करार के अन्तर्गत नये उद्योगों को दिये गये रक्षण का उल्लेख किया था । पिछले सात वर्षों से हम भी एक सदस्य के नाते इस करार में सम्मिलित हुए हैं फिर भी मैं पूर्ण रूप से यह नहीं समझ पाया हूं कि अब तक हम ने इस करार से क्या लाभ उठाये हैं । १९५३—५४ में करार के अन्तर्गत देशों से हमारे निर्यात व्यापार का प्रतिशत केवल २५.८ रहा और आयात-व्यापार केवल २१.३१ प्रतिशत । हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा व्यापार बढ़ेगा ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के दो उद्देश्य रहे हैं :—एक तो विश्व व्यापार में वृद्धि और दूसरे, विभिन्न देशों की चल मुद्राओं का पारस्पारिक आदान-प्रदान । हम देखते हैं कि यह दोनों उद्देश्य सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री के० के० बसु ने कल यह कहा था कि इस करार की कुछ बातों से अमरीका सहमत नहीं होगा किन्तु यह उन का भ्रम है । वहां के राष्ट्रपति ने पहले ही अपनी सम्मत्ति प्रकट कर दी है ।

अन्त में मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह इस करार को स्वीकार करे ।

श्री एस० वी० रामास्वमी (सैलम): प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त विश्व व्यापार में बड़ी उथल पुथल मच गई थी किन्तु द्वितीय युद्ध के बाद ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई । इस का एकमात्र कारण प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बंधी सामान्य करार है । इस में ३४ देशों ने भाग लिया है । इस के अन्तर्गत १२३ करार हुए हैं और ४५,००० वस्तुओं के बारे में ये करार किये गये हैं । फिर भी अभी ब्रिटेन और अमरीका का इन करारों में गहरा हाथ है । रूस और चीन इन में सम्मिलित नहीं हुए हैं

इस करार ने देश और देश के बीच में आर्थिक प्रतिबंधों को दूर करने का अच्छा प्रयत्न किया है। किन्तु हमें यह विदित नहीं हो पाया है कि प्रत्येक देश ने करार की वस्तुओं के बारे में कितनी आर्थिक सहायता की है। श्री जी० डी० सोमानी ने ठीक ही कहा है कि इस करार में जापान का शामिल होना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जापान का व्यापार आर्थिक सहायता के बल पर बहुत बढ़ता रहा है। भारत सरकार आयात में काफी रियायतें देती रही है जिस कारण हमारे आन्तरिक व्यापार को बहुत हानि होती है और राजस्व में भी कमी हो जाती है। कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन से हमें ज्ञात होता है कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के कारण हमारे राजस्व में ८५ लाख रुपये की हानि हुई है। हम अपने देश को ऐसे व्यापार से हानि में नहीं रखना चाहते। पता नहीं हमें इस वर्ष कितनी हानि हुई है। इसी प्रकार राष्ट्र मंडल की वस्तुओं को आयात में वरीयता देने के कारण आयोग के कथनानुसार हमारे राजस्व में साढ़े तीन करोड़ रुपये ची हानि हुई है।

अब मैं कुछ आंकड़े सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिन से यह विदित हो जायगा कि इस करार से हमें विशेष लाभ नहीं हुआ है। १९४८–४९ में भारत को आयात-निर्यात में ९९ करोड़ रुपये की रियायत दी गई, १९५२-५३ में १५५ करोड़ रुपये की और १९५३–५४ में केवल १३४ करोड़ की रियायत दी गई। मैं माननीय मंत्री से यह पूछता हूं कि जब १९५२–५३ में हमें १५३ करोड़ रुपये की रियायत मिली तो १९५३-५४ में उस में और वृद्धि के बजाय कमी कैसे हो गई ?

१९४८–४९ में ८९ करोड़ रुपये की मशीनरी के आयात में १९ करोड़ रुपये की रियायत मिली १९५२–५३ में ९४ करोड़ रुपये की मशीनरी पर २५ करोड़ रुपये की और १९५३-५४ में ८९ करोड़ रुपये की मशीनरी के आयात पर भारत को केवल २१ करोड़ रुपये की रियायत प्राप्त हुई। यहां भी वही प्रश्न उपस्थित होता है कि रियायत में वृद्धि होने के बजाय १९५३–५४ में यह कमी क्यों हुई है।

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं जानना चाहता हू कि माननीय सदस्य का आशय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह बताना चाहते हैं कि मशीनरी आदि वस्तुओं पर हमें अधिक रियायत प्राप्त करने पर जोर देना चाहिये किन्तु उस रियायत में कमी होने के क्या कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यहां रियायत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य देशों से हम जो भी सामान आयात करते हैं उस के आयात-शुल्क में कुछ कमी कर दी जाती है। केवल इसी को हम रियायत कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि इस रियायत का सम्बन्ध प्रशुल्कीय रियायत से है ? ऐसी रियायत की तो यहां कोई चर्चा नहीं की जा रही है।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : श्रीमान् ने इसे ठीक समझा है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मुझे खेद है कि मेरी बात को मंत्री लोग नहीं समझ पाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरे विषय को लीजिये।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अच्छा, अब मैं अन्तर्नियम १८ के बारे में कुछ शब्द कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम कुछ रियायत करते हैं तो उन्हें कहना चाहिये कि हम कुछ रियायत करना चाहते हैं । अतः यह जानने के लिये कि क्या प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार लाभदायक है या नहीं, यह प्रश्न कुछ संगत नहीं । फिर भी माननीय सदस्य को अपने स्वतन्त्र विचार रखने का अधिकार है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अन्तर्नियम १८ के सम्बन्ध में हमें दो बातें कहनी हैं । एक तो यह कि इस की भाषा को समझने में कुछ कठिनाई होती है । पैरा ४(क) और ४(ख) की रियायतें उन देशों को मिल सकेंगी जिन का रहन सहन का स्तर निम्न हो, परन्तु निम्न स्तर के लिये कोई कसौटी निश्चित नहीं की गई है । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उसे स्पष्ट करेंगे ।

दूसरी बात परित्यागों के दावों के संबंध में । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उस पर भी प्रकाश डालेंगे । ब्रिटेन और अमरीका ने परित्यागों के दावों की बात कही है ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह साधारण लोगों की समझ से बाहर है और कुछ रूखा विषय भी है । गैट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में एक बात अभी तक नहीं बताई गई है कि इस का जन्म युद्ध के दौरान हुआ था । १६४२ में मित्र राष्ट्रों में एक परस्पर समझौता हुआ था और बाद में हेवाना घोषणा पत्र जारी हुआ और यह गैट उसी का फल है । अतः हमें इस प्रकार का यूरोपीय साम्राज्यवाद समझते हैं, न कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करार ।

आप स्वयं राजकोषीय आयोग के सदस्य थे । मैं ने बताया कि गैट में कुछ मौलिक दोष हैं क्यों कि एशिया और यूरोप के कुछ कम विकसित देश ही नहीं, बल्कि पूर्णतया विकसित देशों ने भी इस में सहयोग नहीं दिया । अतः हमें इसकी सफलता के सम्बन्ध में बहुत संदेह है । हम योरोपीय आर्थिक व्यवस्था से बंधे हुए हैं, पर हमें उस में से बाहर निकलना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम प्रयास बांडुंग सम्मेलन था । उस में इस संबंध में एक संकल्प भी रखा गया था । चीन, पूर्वी तथा मध्य योरोप के देश इस गैट की सीमा में नहीं आते । हमें यह देखना है कि क्या यह अपेक्षित लाभ पहुंचा सकेगा । श्री बंसल, जो गैट के जनरल सेक्रेटरी हैं, ने भी यही संदेह प्रकट किया था कि भारत जैसे अल्प विकसित देश को इस संगठन का सदस्य बनने से कोई लाभ न हो कर कुछ असुविधायें ही होंगी ।

श्री बंसल ने साम्राज्यीय अधिमान के बारे में भी कहा पर हमारी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि उस का उस के सम्बन्ध मे क्या रुख है । हमें साम्राज्यीय अधिमान को समाप्त कर देना चाहिये । सरकार इस सम्बंध में चुप क्यों है ? वह क्यों अपना औचित्य प्रमाणित नहीं करती ? यदि हमें इस से लाभ हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सरकार अब भी इस सम्बध में मौन है । एशिया के कम विकसित देश जैसे भारत और चीन, जनता के हित को ध्यान में रख कर अपनी नीति निर्धारित करते हैं । चीन ने गत ६ वर्षों में आश्चर्यजनक उन्नति कर ली । शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा औद्योगिक मामलों में हमारे देश की स्थिति भी काफी संतोषजनक है । हमें गैट को इस दृष्टिकोण से देखना है कि हम अपनी उन्नति में किसी प्रकार की बाधा न आने दें ।

हम यह नहीं चाहते कि हम इस से बाहर रहें पर चीन तथा भारत जैसे देशों को इस में कोई सुविधा नहीं मिलेगी, अतः हमें यह देख कर एक बीच का मार्ग ढूढ़ना है कि हमारे देश के हित को कोई हानि न हो । हम देश में समाज वादी

अर्थ व्यवस्था चाहते हैं, अतः इस प्रकार का करार हमारे लिये सुविधाजनक नहीं सिद्ध होगा ।

इन कारणों को ध्यान में रखकर हम इस पक्ष में नहीं हैं कि हमारी सरकार इस करार को माने ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : हमारे सामने सबसे कठिन प्रश्न यह है कि क्या गैट हमारे लिये सुविधाजनक है या नहीं । सभी लोग मानते हैं कि यह हमारे लिये सुविधाजनक है । जन सँख्या तथा क्षेत्र को ध्यान में रख कर हमारा देश जितना बड़ा है उस के परिणाम में उस का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम है । और हम ने पैरों पर खड़े होकर ही उसकी उन्नति करनी है। अब प्रश्न गैट में शामिल होने का है, उस से हानि भी है और लाभ भी । हमारे लिये जो असुविधायें हैं वही दूसरों के लिये सुविधायें हैं; और जो दूसरों के लिये सुविधायें हैं वही हमारे लिये असुविधायें हैं । फिर प्रत्येक देश के लिये अलग अलग व्यापार करार करना सम्भव भी नहीं है । इसलिये हम ने १९४७ में भी गैट में शामिल होने का निश्चय किया था । मैं शिष्टमंडल को धन्यवाद देता हूँ कि उस ने हमें कुछ ऐसी सुविधायें दी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे लिये अच्छी स्थिति पैदा कर सकेंगी ।

अन्तर्नियम १८ के संशोधित रूप को देखने से पता लगेगा कि संसार के देशों को चार श्रेणियों में बांट दिया गया है ; हमें अपना आयात बढ़ाना होगा । कम विकसित और कम उद्योग वाले देशों को इस करार से हानि होती थी अतः इस शिष्टमंडल ने इस कठिनाई को काफी मात्रा में कम कर दिया है और हो सकता है कि प्रति वर्ष धीरे धीरे हमें और सुविधायें मिलती रहें ।

कुछ मित्रों ने कहा कि हमें उन देशों से बड़े बड़े करार करने चाहियें जो गैट में शामिल नहीं । इस सम्बन्ध में गैट में कोई प्रतिबन्ध नहीं है पर इस में कम विकसित देशों को बहुत असुविधायें होंगी । और ऐसे करार तभी ठीक प्रकार चल सकते हैं जब हम उनसे बहुत कुछ आयात कर सकें और वह हम से बहुत आयात करें ।

पिछले सम्मेलन में भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का जो नेतृत्व अपने हाथों में लिया वह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । आशा है कि हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पूर्व अनुभव के आधार पर इस उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार निभाने में सफल होगा ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल): गैट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । पर यह एक जटिल और भीषण प्रश्न है और यदि नियम और अन्तर्नियम अच्छी तरह नहीं बनाये जायेंगे तो बहुत हानि होने की सम्भावना है । हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग चाहते हैं । व्यापार और वाणिज्य के मामले में, समानता, पारस्पारिक सुविधा तथा राष्ट्रीय हित पर ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा भारत जैसे कम विकसित देशों को आर्थिक व्यवस्था को हानि होने का डर है ।

कई सदस्यों ने बताया कि संशोधित गैट में से बहुत सी असुविधाजनक बातें निकाल दी गयी हैं । पर भूतकाल में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को काफी हानि हुई है । अभी भी अभ्यंश के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध है । हम आन वाले तीन वर्षों में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा पायें गे । उस के लिये हमें फिर से करार करना पड़ेगा । हमारे समक्ष ये सब कठिनाइयां हैं ।

फिर निर्यात सहायता का प्रश्न लीजिये । अमरीका निर्यात सहायता के द्वारा अन्य देशों के साथ जो कुछ कर रहा है उस पर कठोरता बरतना आवश्यक है । संभरण ऋण संगठन

[श्री एन० बी० चौधरी]

बहुत से देशों में हैं वह वहां की व्यापार संस्थाओं को मदद करते हैं पर भारत के पास कोई साधन नहीं है ; अतः भारत को हानि हो रही है ।

साम्राजीय अधिमान से हमें कितनी हानि हुई है, यह हम सब जानते हैं । इस संबंध में बाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय मंत्री स्पष्टीकरण अवश्य करें ।

श्री बटलर ने कहा है कि गैट के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का घनिष्ठ संबंध होना चाहिये । अतः हमें इस प्रश्न पर भी भली प्रकार विचार कर लेना चाहिये कि इस से हमारे व्यापार को क्या लाभ या हानि होगी । राज्य व्यापार संगठनों के सम्बन्ध में भी हमें ध्यान रखना है । बहुत से राज्यों में ऐसे संगठन हैं, पर क्या ऐसे संगठनों को गैट के अधीन ठीक प्रकार कार्य करने की सुविधा रहेगी ।

आज अमरीका और ब्रिटेन 'प्रशुल्क अस्थायी सन्धि' की बात कहते हैं, पर इस संबंध में भी हमें भली भांति सोच लेना चाहिये कि क्या वे कोई प्रतिबन्ध भी लगा रहे हैं । हम जानते हैं कि आज भी अमरीका और ब्रिटेन के कुछ व्यापार अधिनियमों के कारण व्यापार में गतिरोध है । गैट के अन्तर्नियम १८ में अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिये सहायता देने की व्यवस्था है पर योजना आयोग के प्रतिवेदन से पता लगता है गैट द्वारा सहायता नहीं मिली अतः हमारे कार्य में बाधा पड़ी ।

अन्त में मैं एक बात और कहता हूं । गैट के अन्तर्नियमों को स्वीकार करते समय एक संकल्प भी पारित किया गया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उसे सभा-पटल पर रखें और उस के साथ उस का श्वेत पत्र भी । वह संकल्प इस संबंध में है कि पिछड़े देशों को चाहिये कि वे समृद्ध देशों को उन अपने देशों में पूंजी का विनियोजन करने का अवसर दे कर अपने देशों को उन्नत बना दें । मैं इस का विरोध करता हूं कि विदेशी पूंजी को देश में फिर से न आने दिया जाय । भूत काल के अनुभव और साम्राज्यीय अधिमान आदि बातों को ध्यान में रख कर यह अवश्यक है कि विदेशी पूंजी को विनियोजित पूंजी के रूप में देश में न आने दिया जाय क्योंकि इस से देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत खतरा है ।

मैं समझता हूं कि इस बात के लिये पर्याप्त कारण है कि गैट के अन्तर्नियमों का संशोधन किया जाय क्योंकि बिना ठीक प्रकार सुधार किये यह हमारे देश के लिये लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकता ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मुझे इस विषय में बड़ी रुचि रही है और मैं इस का पिछले दो वर्ष से अध्ययन कर रहा हूं । मैं इस सदन को स्पष्टतः बता देना चाहता हूं कि केवल कुछ आंकड़ों अथवा पुस्तकों के आधार पर इस विषय के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत देना हमारे लिये बड़ा गलत होगा । यह एक व्यवहारिक विषय है । केवल वे व्यक्ति ही जो दिन प्रतिदिन ऐसे मामलों में भाग लेते हैं इस के विषय में ठीक ठीक परिणाम निकाल सकते हैं ।

मैं कराधान जांच आयोग द्वारा व्यक्त कुछ मन्तव्यों को सदन के सम्मुख रखूंगा : इस के अतिरिक्त इस पुस्तक 'भारत और अन्य देश के बीच विनिमय स्तरबन्धी प्रशुल्क छूटों का विश्लेषण' के आंकड़े आप के सामने हैं । यदि हम इन दोनों प्रलेखों के आंकड़ों का ध्यान से अध्ययन और तुलना करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रायः परस्पर विरोधी हैं । अतः मेरी राय में यदि हम इसी समय किसी ऐसे निश्चित परिणाम पर पहुच जाते हैं, जिस पर चल कर शासन को कोई खतरा मोल लेना

पड़े, तो मैं कहूंगा कि हम एक गलत काम कर रहे हैं ।

मैं ने विरोधी पक्ष के अपने मित्रों के भाषण ध्यान से सुने हैं। इन का कहना है कि इस करार के विभिन्न अनुच्छेदों में दिये गये उपबन्धों से भारत को हानि पहुचने की सभावना है । केवल सभावना ही नहीं है उन का कहना है इस आशंका का निश्चित आधार भी है । मेरा निवेदन है कि जबतक हम उन सब दुष्ट राजनीतिज्ञों और भिन्न भिन्न राष्ट्रों के, जो हमें धोखा देना चाहते हैं, सम्पर्क में नहीं आते हैं, हम उन के तर्क नहीं सुनते हैं तथा उन से मिलने का प्रयत्न नहीं करते हैं तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में भारत अकेला नहीं रह सकता है । जब हम दूसरे राष्ट्रों के सम्पर्क में आते है और यह समझने का प्रयास करते हैं कि वह कितनी चतुराई से हमें धोखा देते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं और कष्टों में डालते हैं, तब ही हम उन की चालाकियों को समझ कर उन को रोकने का उपाय कर सकते हैं । अतः मेरे विचार में कुछ आवश्यक प्रत्यक्ष विषयों की ओर ही हमें शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहिये और ऐसे उपबन्धों के प्रति सावधान रहने के लिये कहना चाहिये। मैं ने इन अनुच्छेदों को देखा है । मेरे विचार में पुनरीक्षित करार के अनुच्छेद ४ और १६ में ऐसे उपबन्ध हैं जिन के विषय में हमारे शासन को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिये । वास्तव में, इस करार की भाषा बड़ी लचर और जटिल है, उस में अनेकों किन्तु परन्तु और अपवाद हैं । इस के आधार पर परिस्थिति के अनुसार हम कोई भी नीति और प्रणाली, जिस में हमें लाभ दिखाई देता हो, अपना सकते हैं। इस विषय में मेरा माननीय मन्त्री से यह निवेदन है कि उन्हें इस सम्बन्ध में बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ कार्य करना चाहिये । उन्हें संसार के सभी राजनीतिज्ञों और अर्थ शास्त्रियों से मिल कर कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिये जिस से भारत अपनी औद्योगिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके ।

साम्राज्य अधिमान के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा विचार है कि कराधान-जांच-आयोग के प्रतिवेदन में यह निश्चित मत प्रगट किया गया है कि साम्राज्य अधिमान की इस नीति से हमें लगभग ३ करोड़ रुपये की हानि होती है । मेरा मत यह है कि भारत जैसे नवजात राष्ट्रों को संसार के बलिष्ठ राष्ट्रों के समक्ष आने के लिये कुछ न कुछ मूल्य चुकाना ही पड़ेगा । और हम जब तक परिपक्कता को प्राप्त नहीं कर लेते हमें साम्राज्य अधिमान का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा । परन्तु इस के साथ हमें यह भी देखना होगा कि कहीं हम केवल इंगलैंड और राष्ट्र मंडल के अनुचरमात्र बन कर न रह जायें । हमें जहां तक सभव हो सके उन से लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिये। मैं ने सुना है कि पिछली बार हमारें वित्त मन्त्री ने इंगलैंड के कपड़ा उद्योग को कुछ और रियायतें दी हैं । ये रियायतें क्या हैं और इन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमें अभी तक मालूम नहीं है । तब भी हमें अपने आयात और निर्यात के आंकड़ों तथा जटिल व्यापारिक विषयों का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु हमें इस बात पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिये कि हमारी सरकार इस मौके पर हमारा साथ नहीं छोड़ेगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री को इस करार के लिये हार्दिक बधाई देता हूं । मैं इसे विश्वसत व्यापारियों के मध्य एक आदरणीय करार कहूंगा । जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं ने एक कार्यालय की दीवार पर मोटे अक्षरों में एक सार्थ का नाम लिखा देखा था । उस के नीचे सार्थ के संस्थापक का चित्र था और उस के नीचे लिखा था "मेरे सार्थ के साझेदारों

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

से कोई लिखित करार नहीं किया जायगा, जो लिखित करार चाहता है वह कृपया बाहर ही रहे।" यह उसी प्रकार का एक करार है यद्यपि इस पर कई देशों के हस्ताक्षर हुए हैं तथापि इस के पीछे कोई दण्ड विधान नहीं। किसी दण्ड विधान के न रहते हुए भी यह कार्यान्वित किया जा रहा है। इस से प्रकट होता है कि संसार के देशों का एक दूसरे के साथ व्यवहार सुधर रहा है। हम भी इस करार की शर्तों का ठीक ठीक पालन करने में समर्थ रहे हैं इस से हमारी प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ गई है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है इस में कुछ इस प्रकार की बात है कि किसी न किसी को कुछ न कुछ अधिमान दिया गया है अथवा किसी व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिमान नहीं दिया गया है। परन्तु मैं इस में कोई ऐसी बात नहीं देखता। जब कभी हम ने अपने हितों की दृष्टि से कुछ करने में अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने का प्रयत्न किया है हम उस में सफल हुए हैं। हमें बिना किसी कठिनाई के दक्षिण अफरीका से अपने व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद कर सके हैं। करार के अनुच्छेदों के उपबन्ध हमें एक विस्तृत मुक्त क्षेत्र प्रदान करते हैं। उस के भीतर हम अपने देश के हितों की दृष्टि से जो भी उचित समझें कर सकते हैं।

मुझे अभी तक यही दिखाई पड़ा है कि हम ने अपने स्वार्थ मात्र की दृष्टि से इस का कोई लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया। मैं अवश्य कहूंगा कि हमें स्वार्थी बनना चाहिये और अपने हितों की रक्षा के लिये स्वार्थी बनना ही पड़ता है। श्रीमान्, मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमें दूसरों के प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यही तो कहेंगे "आप कितने स्वार्थी हैं ?" किन्तु यदि हम उन के कहे अनुसार स्वार्थारहित बनना चाहेंगे तो इस का परिणाम होगा हमारे देशवासियों का भूखों मरना। अतः यदि इस दृष्टिकोण से अर्थात् अपने हितों की रक्षा करने के लिये हम थोड़ा सा स्वार्थी भी बन जायें तो हम कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे।

इस व्यापारिक करार में ब्रह्मा भी हस्ताक्षरकर्ता है। उस ने भी इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं। किन्तु क्योंकि हमारा ब्रह्मा से एक पृथक स्वतन्त्र करार हुआ है अतः हमारे ऊपर इस दृष्टि से सब से बुरा प्रभाव पड़ा है। ब्रह्मा हमारा ऋणी देश था, और यह ऋण जो, आज इग्लैंड द्वारा १९३७ में निश्चित किये गये ऋण से कहीं अधिक होता——कम से कम यह दस गुणा अधिक अवश्य होता——अभी तक नहीं चुकाया गया है। यह ऋण ५५ करोड़ रुपये का है परन्तु हमने आज तक ब्रह्मा के साथ बड़े भाई जैसा बर्ताव किया है। हम ने पाकिस्तान के साथ बड़े भाई जैसा बर्ताव किया है। हम ने श्रीलंका के साथ भी बड़े भाई जैसा बर्ताव किया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम विश्व भर के बड़े भाई हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हो सकता है, परन्तु मैं नहीं जानता। किन्तु जहां तक इन तीन देशों का सम्बन्ध है उन्हों ने सदैव हमें ठुकराया है। यह कहने से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि वह भारत को बुरा कहते हैं (पाकिस्तान को छोड़ कर) मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उन्हों ने हमेशा हमें बुरा समझ कर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। श्रीलंका हमारे साथ बुरा व्यवहार करता रहा है, हमारे राष्ट्रजनों को निकालता रहा है। जब मैं ब्रह्मा में था मैं सदा 'शोषण' शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न करता रहा था। ब्रह्मा वालों का भारत के विरुद्ध एकमात्र यही आरोप रहा है कि भारतीय श्रमिक, भारतीय कुली तथा रिक्शा खींचने वाले जो दो ब्रह्मियों को

दो मील तक दो ग्राने में खींच कर ले जाता है, उन का शोषण करते रहे हैं। इस प्रश्न ने मुझे गड़बड़ में डाल दिया कि ग्राखिर इस शब्द 'शोषण' का ग्रर्थ क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वहां शोषण तो होता है, परन्तु प्रश्न है किस के द्वारा।

श्री वेलायुधन : चेट्टियारों के विषय में ग्राप क्या कहेंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हां, मैं ग्रभी उत्तर देता हूं। यद्यपि यह विषय से बाहर है। ग्राप यह नहीं जानते कि ब्रह्मा की ग्रर्थ व्यवस्था में चेट्टियारों ने क्या भाग लिया है। ग्राप को इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है कि चेट्टियारों द्वारा दिये गये ऋणों पर ही ब्रह्मी कृषक ग्रौर भूमि पति ग्रौर वास्तव में ब्रह्मा की संपूर्ण कृषि-ग्रर्थव्यवस्था अधनि थी ग्राप को इस की लेशमात्र भी कल्पना नहीं। आप यह नहीं जानते कि चोट्टियारो को इन ऋणों को वसूल करने में कितना खतरा मोल लेना पड़ता था। इन चोट्टियारों को ग्रपने प्राणों को हथेली पर रखना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में चेट्टियार शोषक नहीं था। यह हो सकता है कि कोई ग्रन्य व्यक्ति बारम्बार यह बात कहे किन्तु ऐसा करना हमारे लिये शोभा नहीं देता है। केवल इसलिये कि हम चेट्टियारों से मतभेद रखते हैं, विशेषकर हम में से उन व्यक्तियों को जो भारत में रह कर पूंजीवाद के एक विशेष ग्रर्थ को ही समझते रहे हैं।

इस प्रश्न की ग्रोर लौटते हुए कि भारत ने कैसे ब्रह्मा के साथ बड़े भाई जैसा बर्ताव किया है, मैं इस सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा सारे संसार को १६ पौंड प्रति टन के हिसाब से चावल दे रहा था हमें उसे ३५ पौंड प्रति टन के हिसाब से मूल्य देना पड़ा था। क्यों ? उस समय हमारे देश के हितों की कैसे रक्षा हो रही थी ? सर्व प्रथम हमें घरेलू ग्रावश्यकता की वस्तुग्रों को रक्षण प्रदान करना चाहिये। जब हम किसी देश की वस्तुग्रों को किसी प्रकार का रक्षण देते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वह हमें ग्रथवा हमारी वस्तुग्रों को क्या रक्षण देता है। हम ३५ पौंड प्रति टन के हिसाब से मूल्य दे कर ब्रह्मा को यह रक्षण दे रहे थे कि वह हमारा ५५ करोड़ रुपये का ऋण शीघ्र चुका सके। तत्कालीन खाद्य मन्त्री ने इस प्रश्न की इस प्रकार व्याख्या की थी। फिर भी ब्रह्मा हमारे साथ सौदा करते समय सदैव लाभ में रहा है। जब कभी वहां के उत्पादनों का ग्रायात भारत में हाता है वह उस पर ऊंचा प्रशुल्क लगा देता है। नई भाषा में हम कह सकते हैं वह उस व्यापार का 'राष्ट्रीयकरण' कर देता है। ताकि उस में निजी व्यापारी भाग न ले सकें ग्रौर वह हम से ग्रधिक से ग्रधिक मूल्य प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने निजी व्यापारियों को मलाया, स्याम, श्रीलंका ग्रौर दक्षिण ग्रफरीका के साथ व्यापार करने की ग्रनुमति दे रखी है पर भारत के साथ नहीं। मैं नहीं समझ सकता कि ब्रह्मा ने यह रवैया क्यों ग्रपनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या चावल के बारे में भी ऐसा ही था ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : चावल के सम्बन्ध में भी यही स्थिति थी।

श्री वेलायुधन : ग्राप इसे समझते नहीं हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हम इसे वर्षों तक नहीं समझेंगे।

भारत सरकार की इस नीति से मैं सहमत नहीं हूं। हमारा ग्रफरीका के कई देशों के साथ भी बहुत ग्रधिक व्यापार था। किन्तु निस्वार्थ नीति के कारण हमें वहां भी हानि उठानी पड़ रही है। ग्रभी-ग्रभी हमारे साथ पाकिस्तान ने फिर वैसा ही व्यवहार किया है जैसा कि उस ने पटसन ग्रौर पान की पत्तियों के बारे में किया था। इस समय जो ग्रवरोध लगाया गया उस के

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

कारण हमारे देशवासियों को बड़ी हानि और कष्ट हुआ। फिर भी हम ने इस देश के साथ एक उभय-पक्षीय करार किया है। इस करार के सिद्धान्त हमारे लिये लाभकारी नहीं हैं। हम सदैव इस प्रकार कार्य करते हैं जिस में पाकिस्तान को लाभ पहुंचे। इसलिये मेरा कहना है कि इन देशों के साथ करार करते समय—यह करार आदरणीय होने चाहियें क्योंकि इन के पीछे कोई दण्ड-विधान नहीं रखा जा सकता है —हमें सदैव तथा सर्वप्रथम अपने देश के हितों का ध्यान रखना चाहिये। इस विषय में बहुत भांति के विनाशात्मक तथा रचनात्मक सुझाव दिये जा चुके हैं। मैं इस विषय में श्री सोधिया के साथ सहमत हूं कि इस में से अनेक बातें ऐसी हैं जो सरलता से हमारी समझ में नहीं आ सकती हैं, परन्तु जैसे कि व्यापारी कहते हैं कि ऐसे करार करते समय अपने उपभोक्ता तथा व्यापारियों के हितों का सर्व प्रथम ध्यान रखा जाना चाहिये। कोई भी व्यापारिक करार ऐसा नहीं होना चाहिये जो हमारे देश की उत्पादन क्षमता को धक्का पहुंचाने वाला हो। जहां तक अपने देश के उत्पादनों को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न आता है हमें उन वस्तुओं को रक्षण प्रदान करने में बड़ा उदार होना चाहिये जो अपने ही देश में सस्ते दामों पर बिकती हैं ताकि हमारे किसी उद्योग विशेष को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। हमें इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिये। इतना कहना पर्याप्त होगा कि यद्यपि हमारा एक बड़ा राष्ट्र है तथापि हमारा देश अभी औद्योगिक राष्ट्र नहीं है। हमारे अधिकांश देशवासी कृषक हैं। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है हम लोग अभी अपने पैरों पर खड़ा होने सीख रहे हैं। अतः अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिये हमें अभी ऐसे अवरोध लगाने की आवश्यकता पड़ेगी जो कि देश के औद्योगिक विकास के लिये अपेक्षित हों।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह भविष्य में अपने अत्यन्त निकट के देशों, पाकिस्तान, ब्रह्मा, अथवा श्रीलंका के साथ करार करते समय अत्यन्त सतर्क रहें। हम उन्हें मित्र कहते रहते हैं परन्तु वे हमें कभी मित्र समझ कर व्यवहार नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब और किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलना है, अतः मैं अब माननीय मन्त्री को बोलने के लिये कहता हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भाषणों को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि मैं वास्तव में भाग्यवान हूं क्योंकि इस सभा के अनेक माननीय सदस्यों ने प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का बड़ा समर्थन किया है, यद्यपि श्री बसु और उन के मित्र ने इस के लिये अपना सहयोग नहीं दिया है।

प्रारम्भ में मैं ने सभा को उकता कर, इस करार की यथासम्भव विशद रूप से चर्चा की थी, ऐसा करने के लिये मुझे खेद नहीं है। यद्यपि कुछ माननीय सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुपक्षीय करारों के द्वारा इस के विनियमन के प्रश्न का अध्ययन किया था, मुझे ऐसा लगा कि उन में से कुछ भाषणों में प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का वास्तविक महत्व स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया अन्तिम वक्ता का भाषण बहुत कुछ सही था। उन्हों ने कहा कि यह एक 'जैन्टलमैन्स एग्रीमेंट' (अनौपचारिक करार) है। आज कल किसी को 'जेंटलमैन' कहने का फैशन नहीं है मैं यह कहना चाहूंगा कि यह करार बहुत कुछ एक अन्तर्राष्ट्रीय कलब के सदस्यों के करार जैसा है। वस्तुतः तत्संवादी रियायतों को रोक देने के अतिरिक्त इस करार के उल्लंघन

के लिये कोई दाण्डिक उपबन्ध नहीं है। यदि कोई महत्वपूर्ण उल्लघन ही तो हो सकता है कि अन्य देश, जिन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, भी यथासमय अपनी रियायतें रोक दें। इस को छोड़ कर यदि कोई देश आर्थिक स्वावलम्बन पसन्द करता है और विदेशी व्यापार के सम्बध में ध्यान न दे कर केवल उन्हीं देशों के ऊपर अत्यावश्यक पदार्थों का व्यापार छोड़ देता है, तो मैं नहीं समझता कि उस देश का कोई कुछ कर सकता है।

आप ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या पूर्वीय यूरोपीय देश प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के पक्ष हैं अथवा उस के पक्ष बनने जा रहे हैं। जेकोस्लेवेकिया को छोड़ कर के इस के पक्ष नहीं हैं। जेकोस्लेवेकिया पूर्वी यूरोपीय गुट में जाने से पूर्व, अर्थात् साम्यवादी घाट से पूर्व, जिससे जेकोस्लोवाकिया में लोकतन्त्रीय सरकार उखड़ गई थी, पक्ष बना था। जेकोस्लेवेकिया १९४७ से प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पक्ष था और वह उस का पक्ष रहा आता है। अतः यह करार ऐसा है जो अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाता है क्योंकि यह व्यापार नियम निर्धारित करता है, जिस का पालन यदि प्रत्येक देश एक निश्चित सीमा तक करे तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुलभ हो जाता है। अपवाद तो होते ही रहेंगे ये केवल अभी ही नहीं है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय सहमति अधिक मात्रा में है। मैं समझता हूं कि उन बातों में से प्रत्येक के गुणावगुणों पर अलग अलग विचार करना आवश्यक है।

कुछ माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक बार पुनः कुछ माननीय सदस्यों और विशेषकर मेरे माननीय मित्र श्री बंसल, डा० कृष्णास्वामी, श्री जी० डी० सोमानी, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री कासलीवाल, श्री विश्वनाथ रेड्डी और अन्य लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो अत्याधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। इस से इस बात का पता लगता है कि इस सभा में ऐसे लोग भी हैं जो इन सब बातों का, तात्पर्य समझते हैं और जो इस मामले विशेष में सरकार को बुद्धिमतापूर्ण तौर विवेचनापूर्ण सहयोग दे सकते हैं।

जहां तक उठाई गई शंकाओं का सम्बन्ध है, श्री के० के० बसु का प्रमुख स्थान है। वह करार की किन्हीं विशिष्ट बातों का उल्लेख तो कर नहीं सके, परन्तु उन्हों ने उस की सामान्य रूप से आलोचना की है। मैं समझता हूं कि यह उन का इस प्रकार का कार्य करने का पहला या अन्तिम अवसर नहीं है। उन्हों ने पूछा कि हमारे पौण्ड पावने का क्या हुआ, हम ने उन का किस प्रकार उपयोग किया। उन्हों ने बताया कि हम उनका उचित उपयोग करने में असफल रहे हैं क्योंकि हमें उन देशों से मशीनरी अथवा अन्य जिन चीजों की आवश्यकता है उन का संभरण कर हमारी सहायता नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि यह उन की विषद कल्पना की ही खोज है। यदि उन ी जानकारी का सूत्र यही है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। जहां तक मशीन आदि का सम्बन्ध है जो भी देश हमें संभरण कर सकता है हम उससे ले लेते हैं और वे अपनी क्षमतानुसार संभरण करते हैं। मैं नहीं समझता कि पौण्ड पावने और उन देशों की मशीन आदि के संभरण की क्षमता में कोई परस्पर सम्बन्ध है। पौण्ड पावने सम्बन्धी एक कठिनाई हमारे सम्मुख वास्तव में एक बार आई थी और हमें डालर क्षेत्रों से आयात बन्द कर देना पड़ा था। यह भी एक बड़ा अस्थायी दौर था। हम यदि चाहें तो अपने पौण्ड पावनों का उपयोग गैर डालर क्षेत्रों से आयात करने में कर सकते हैं। इस में कोई रुकावट नहीं है।

दूसरा आरोप जो उन्हों ने लगाया है यह है कि हमें इस करार के लिये चिन्ता ही

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

क्यों करनी चाहिये जो कांग्रेस सरकार से पहले वाली सरकार ने किया था । कालानुसार उन का कथन ठीक हो सकता है । यदि आप कोई प्रत्यक्ष मान्य कारण नहीं ढूंढ सकते तो अप्रत्यक्ष कारण ढूंढ सकते हैं जो उतना मान्य भल ही न हो किन्तु ऊपर से सत्य जान पड़े । यद्यपि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मंडल १९४६ में भेजा गया था, उस का अनुसमर्थन ऐसे समय में किया गया था जब कि कांग्रेस सरकार सत्तारूढ थी ? १९४९ में जब इस सभा में हम ने इस पर प्रशुल्क संशोधन विधेयक के आधार पर चर्चा की थी, तब कांग्रेस का ही पूरा शासन था । हमारे ऊपर ह्वाइट हाल अथवा संसार के अन्य किसी भी भाग का नियंत्रण होने का कोई प्रश्न ही नहीं था । तत्पश्चात् श्री के० के० बसु ने तुलनात्मक मूल्यों का उल्लेख किया । इस के विषय में कठिनाई यह है कि इस शताब्दी में आंकड़ों का उपयोग कोई भी और किसी भी प्रयोजन के लिये कर सकता है । आंकड़ों का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति जो भी चाहे लगा सकता है, इस का सब के लिये समान अर्थ नही होता । मेरे मित्र ने बड़ी स्पष्टता से दिखाया है कि ये भाव प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के कारण गिर गये हैं हमें यह समझना कठिन जान पड़ता है कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार जो तुलनात्मक दृष्टि से हानि न पहुंचाने वाला है, भारत जैसे देश के लिये मूल्य स्तर निर्धारित कर सकता है । उन के आरोप का सार यह था कि हमारे निर्यात पदार्थों के जो मूल्य हमें मिले वे १९५३ की अपेक्षा १९५५ में बहुत कम थे । स्पष्टतः में नहीं समझता कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का इस से कोई सम्बन्ध है । यद्यपि उस ने अपने एक संकल्प में कहा था कि भाग कि करार पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को विश्व मूल्य स्थिर करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये, तथापि मैं नहीं समझता कि उस ने मूल्यों को गिराने के लिये कुछ किया है । वास्तव में यदि वह इस प्रकार का कोई कार्य करें, तो मुझे विश्वास है कि श्री के० के० बसु यह कहेंगे कि किसी देश की घरेलू नीति का विनियमन करना देश के मूल्यों में स्थायित्व लाना उस देश की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करना है ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार १९४७ से चला आ रहा है । संसार के मूल्यों में पहले जितने उतार-चढ़ाव अब नहीं हुआ करते । एक बात, जिस पर श्री के० के० बसु ध्यान देना भूल गये, यह है कि कभी-कभी मूल्यों में घटा-बढ़ी सभी स्तरों पर हुआ करती है । यदि निर्यात किये जाने वाले पदार्थों का मूल्य गिरता जा रहा है, तो आयात पदार्थों का मूल्य भी गिरता जायेगा । समग्र व्यापार सन्तुलन की स्थिति बहुत कुछ समान रहती है । अतः यदि वास्तव में वह सरकार पर ठोस आरोप लगाना चाहते हैं तो उन्हें यों ही कुछ पदार्थों के मूल्य पर निर्भर रहने के बजाय प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के पक्ष अथवा विपक्ष की व्यापार शर्तों का उद्धरण देना चाहिये । माननीय सदस्यों को भली भांति विदित है कि कोरियाई युद्ध के परिणामस्वरूप बाजार में तेजी आ गई थी । बढ़े हुए मूल्य कभी भी कायम नहीं रह सकते; वे कम हो ही जाते हैं । मैं नहीं समझता कि इस प्रयोजन के लिये प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार की किस प्रकार आलोचना की जा सकती है । जैसा कि मैं कह चुका हूं यह ऐसा विषय है जिस पर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों की भांति समय-समय पर प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के पक्षों ने विचार किया है । इन कठिनाइयों के कारण

का पता लगाना बड़ा सरल है । किन्तु हल ढूंढ़ निकालना कहीं कठिन ।

दूसरी बात यह कही गई थी कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के कारण हम अपने व्यापार का विभिन्न दिशाओं में विकास नहीं कर सकते । मैं इसका तात्पर्य नहीं समझ सका । जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री के० सी० सोधिया ने कहा है, आप को हमें यह बातें उन के ऊपर छोड़नी होंगी जो वास्तव में यह कार्य कर रहे हैं । मुझे किसी भी देश को निर्यात करने और किसी भी देश से आयात करने के सम्बन्ध में, कोई भी कठिनाई नहीं जान पड़ती है। प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बंधी सामान्य करार के उपबधों से कभी कोई रुकावट नहीं पड़ती है । माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हम उन देशों से भी व्यापार करते रहे हैं जो प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामाय करार के पक्ष नहीं हैं, जैसे कि रूस और चीन । तम्बाकू के निर्यात के सम्बन्ध में हम ने पिछले वर्ष चीन के साथ एक काफी बड़ा सौदा किया था । वस्तुतः हम ने चीन को पर्याप्त लाभ-प्रद मूल्यों पर तम्बाकू दिया था । हां, उस के बाद जब उस ने माल खरीदा, तो उस ने मूल्य घटा दिये । मैं मूल्य घटाने के लिये चीन को दोष नहीं दे सकता ।

जब वस्तु विनियम के आधार पर हम ने संभरण किया तो हमने मुंह मांगा मूल्य लिया। जब वस्तु विनिमय नहीं हुआ तो वे आये और जितना भी मूल्य वे दे सकते थे, दिया । उन्होंने कम दाम दिये क्योंकि देश में प्रतिद्वंदिता थी । मैं इसे चीन के विरुद्ध नहीं ठहराता। हम रूस से व्यापार करते हैं और खरीदने या बेचने से हमें किसी ने भी नहीं रोका है । हम ने पहले ही उस से वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार किया है और आशा करते हैं कि हमारा व्यापार बढ़ेगा ।वस्तुतः एक इस्पात सयंत्र के संभरण के लिये रूस के साथ करार करने से हमें किसी ने भी नहीं रोका है और न संभरणकर्ता की साख का प्रश्न ही इस प्रश्न में उठता है, जो मेरे माननीय साथी ने उठाया है जो उन के बराबर बैठे हैं। कुछ भी हो हम रूस से क्यों क्रय कर रहे हैं ? मुख्यतः इस कारण कि भुगतान के लिये दीर्घकालिक प्रबन्ध होने जा रहा है । यहां संभरणकर्ता की साख का प्रश्न है जिस के विरुद्ध विश्व बैंक के मिस्टर यूजिनी ब्लैक ने कुछ कहा है । कुछ भी हो, यह हमारे अनुकूल है और हम जहां कहीं से भी माल उपलब्ध हो स्वीकार करने को तैयार है । अतः प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य होने के कारण ही हम अपने व्यापार का विभिन्न क्षेत्रों में किवकास नहीं कर सकते, यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

एक और बात रेंडाल आयोग के सम्बंध में कही गई थी । यह दुःख की बात है कि हम में से अधिकांश लोग अपने देश की अपेक्षा विदेशों में क्या हो रहा है इस के विषय में कुछ अधिक जानते हैं । मेरे माननीय मित्र श्री बसु भारत सरकार की अपेक्षा अमरीका के विषय में अधिक जानते हैं। मुझे आशंका है कि उन्होंने रेंडाल आयोग के प्रयत्न को गलत समझा है और मैं उन से इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिये कहूंगा क्योंकि रेंडाल आयोग प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का घोर विरोधी था । सम्पूर्ण संसार में श्री बसु जैसे लोग हैं, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका में भी है । रेंडाल आयोग प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार को घृणा की दृष्टि से देखता है और यही चीज आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अमरीका के राष्ट्रपति को बताने का प्रयत्न किया है । मैं उन से क्षमा मांगने का विचार नहीं रखता और न ही हमें इस से कोई वास्ता है कि वे क्या करते हैं ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

एक और बात उन्होंने यह कही थी कि करार में फेर बदल की गुंजाइस होनी चाहिये । मैं लगभग ४० मिन्टों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अनुच्छेद १८ में फेर बदल की काफी गुंजाइश है । और श्री बसु का कथन है कि इससे भी अधिक गुंजाइश की आवश्यकता है । यदि वह हमें बतायें कि यह क्या है और यदि दो तीन वर्षों में हमें सब जानकारी हो जाय तो सम्भव है कि हम जब करार पर पुर्नविचार करें तो मैं या मेरे उत्तराधिकारी करार करने वाले पक्षों के साथ अधिक अच्छी तरह बातचीत कर सकें ।

राज्य व्यापार के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों और विशषकर श्री बसु ने प्रश्न उठाया है । यह कहा गया है कि यह करार राज्य व्यापार के विरुद्ध है। मुझे आशंका है कि इसमें गलती नहीं है व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार का एक पूरा अनुच्छेद–अनुच्छेद १७ राज्य द्वारा व्यापार के बारे में है । इस करार में राज्य द्वारा व्यापार पर प्रतिबन्ध की बात तो दूर रही यह स्पष्ट व्यवस्था है कि राज्य द्वारा व्यापार पर भी विभद न करन का सिद्धान्त और इस करार के दूसरे उपबन्ध लागू होने चाहिये । सभा के सामने बैठे सदस्यों ने चकोस्लोवाकिया की चर्चा की है जिस का सारा विदेश व्यापार राज्य द्वारा किया जाता है । चकोस्लोवाकिया ने भी इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं और इस बात से इस करार पर हस्ताक्षर करने वाले दूसरे देशों को कोई व्यग्रता नहीं होती ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस करार से बाहर के देशों के साथ व्यापार करने में कोई रुकावट नहीं है । साम्यवादी दल के नेता द्वारा इस सभा में उठाये गये प्रश्न पर बहस में मेरे माननीय मित्र श्री करमरकर ने भी कहा था कि हमारा विचार है कि जिन देशों में राज्य द्वारा व्यापार की व्यवस्था है उनके साथ हम भी राज्य द्वारा व्यापार करें और हम इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं । यह इसलिये कि जिन देशों में राज्य द्वारा व्यापार की व्यवस्था है उन्हें इस देश के व्यक्तियों के साथ व्यापार करने में कुछ कठिनाई होती है और यहां के व्यक्तियों को उन देशों के साथ व्यापार करने में कठिनाई का अनुभव होता है । मेरे माननीय मित्र कह सकते हैं कि यह तो नकल करने वाली बात है जो कि चाटुकरिता का उत्तम रूप माना जाता है । इस सम्बन्ध में तो इस करार में केवल यह उपबन्ध है कि यदि राज्य द्वारा व्यापार की व्यवस्था है तब भी किसी देश से भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये। यह बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम किसी देश से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भेदभाव बरतें ।

मेरे माननीय मित्र डा० कृष्णास्वामी ने शोधन सन्तुलन के सम्बन्ध में प्रो० मीड द्वारा लिखी गई बड़ी अच्छी पुस्तक की ओर मेरा ध्यान दिलाया है । यह बड़ी दिलचस्प किताब है, इसलिये कल रात मैंने इसे पढ़ा । मैंने देखा कि इस पुस्तक का विषय हमारी बहस से असंगत है परन्तु फिर भी रुचिकर है । १९०२ में जर्मनी ने ढ़ोरों के आयात पर रोक लगा दी किसी विशेष देश से नहीं क्योंकि सम्बन्ध देश के साथ उस का द्विपक्षीय करार था बल्कि परोक्ष रूप से यह रोक लगायी गयी । रोक यह थी कि जर्मनी में ऐसे ढ़ोरों का आयात न किया जाय जो समुद्र तल से ३०० मीटर ऊंचे स्थानों में पाले गये हों या जो गर्मी में ८०० मीटर ऊंचे स्थान पर ले जाये जाते हों। यह रोक स्विटजरलेंड के सम्बन्ध में ही लागू हो सकती थी जहां ढ़ोरों को गर्मी में अधिक ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाता है । भेद भाव नहीं किया जाना

चाहिये और इस प्रकार के भेदभाव का निषेध होने के अतिरिक्त इस करार में राज्य द्वारा व्यापार पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : क्या आप का मतलब है कि आप इस करार पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से निजी रूप से व्यापार कर सकते हैं जब कि उन देशों के साथ, जहां किसी विशेष वस्तु का विदेश व्यापार सरकार के हाथ में है, राज्य व्यापार के आधार पर व्यापार कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्यों नहीं ? मैं ने अपने माननीय मित्र को एक उदाहरण दिया तो है। सोडा एश का केन्द्र द्वारा आयात किया जा रहा है। पिछले वर्ष सब से कम दाम पूर्वी जर्मनी ने बताये थे—मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र यह तो मानेंगे कि वहां राज्य द्वारा व्यापार होता है—और हम ने इस सोडे की सारी मात्रा पूर्वी जर्मनी से खरीदी। इस वर्ष पूर्वी जर्मनी ने सोडा बेचने का प्रस्ताव नहीं किया। इसलिये हमें कुछ सोडा चीन से और कुछ उन देशों से खरीदना पड़ा जहां व्यापार गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस में कोई रोक नहीं। मैं सस्ते से सस्ता माल खरीदूंगा और यदि मैं राजनीतिक कारणों से अधिक दाम देता हूं तो यह मूर्खता है।

श्री के० के० बसु : मेरा प्रश्न यह है कि जिन देशों में व्यापार राज्य के हाथ में है वहां से हमारी सरकार माल खरीदे और अन्य देशों से भी माल खरीदा जाय। क्या इस में बाद में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, विचार धारा की कठिनाई तो है परन्तु मुझे वास्तविक कठिनाई कोई दिखाई नहीं देती। मैं तो पैसा देता हूँ और माल ले लेता हूँ। जहां तक माल का सम्बन्ध है, इस में कोई कठिनाई नहीं है। रूस को भी जो अदायगी करनी होती है स्टर्लिंग में की जाती है। लंदन के बाजार में यह आदायगी की जाती है। रूस को स्टर्लिंग में धन दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझा नहीं। कठिनाई क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यही तो मैं कहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी देश की ओर से जहां व्यापार राज्य के हाथ में है, कोई हमें माल देता है। दूसरी ओर किसी देश में व्यापार गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथ में है। उन दोनों में से जो भी माल बेचने के लिये तैयार हो हम उस से खरीद लेते हैं।

श्री के० के० बसु : मैं यह कह रहा हूं कि सोडा हम पूर्वी जर्मनी से खरीदते हैं जहां व्यापार राज्य के हाथ में हैं। साथ ही हम लोगों को अन्य देशों से सोडा खरीदने का परमिट देते है। सम्भव है कि मूल्यों में कुछ अन्तर हो।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: पिछली बार जो सौदा किया था उस में ऐसा हुआ है। एक से हम ने १६ पौण्ड १० शिलिंग के हिसाब से सोडा खरीदा है और दूसरे से १७ पौंड को दर पर। इस का कारण यह था कि १६ पौंड १० शिलिंग की दर पर केवल तीन या चार हजार टन सोडा मिल सका था। बाद की मात्रा १७ पौंड की दर पर खरीदनी पड़ी। हो सकता है कि एक बार तो ऐसे देश से सोडा खरीदा गया जहां व्यापार राज्य के हाथ में है और दूसरी बार किसी गैर-सरकारी व्यक्ति से। व्यावहारिक रूप से मुझे इस में कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। इस बात को छोड़ दीजिये कि किसी देश में व्यापार राज्य के हाथ में है या नहीं सम्भव है कि किसी देश में उतनी मात्रा में माल न मिल सके जितनी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मात्रा में कि हमें चाहिये । मूल्य प्रत्येक देश में भिन्न हो सकता है ।

मैं एक और उदाहरण देता हूँ । मुझे इस्पात की जरूरत है । मैं सभी देशों—रूस, चेकोस्लोवाकिया आदि से इस्पात खरीद रहा हूँ । परन्तु पूर्वी योरूप के और देशों से इस्पात नहीं मिल सकता । मैं जापान, अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के उन देशों से भी इस्पात खरीद रहा हूं जहां इस्पात और कोयला होता है । सम्भव है कि एक ही प्रकार के माल के मूल्य भी भिन्न भिन्न हों परन्तु मुझे तो माल वहां से खरीदना है जहां मिल सके और जहां आवश्यक हो मैं कुछ अधिक मूल्य देने के लिये भी तैयार हूँ । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इस करार से ऐसा करने में क्या बाधा पड़ती है । सारी दिक्कत तो यह है यदि मैं किसी ऐसे देश से माल खरीदना पसन्द करता जो अधिक दाम मांगता है तो हो सकता है कि इस का पर्याप्त कारण हो । सम्भव है कि वह जल्दी माल देने को तैयार हो, यह कहे कि एक पौण्ड अधिक देने पर वह अक्तूबर में माल दे सकेगा । यह भी सम्भव है कि कोई दूसरा देश एक पौंड कम मांगे, परन्तु फरवरी से पहले माल न दे सके । तो, इस सम्बन्ध में भी माल पहुँचाने की विभिन्न तारीखों या जल्दी माल भेजने के आधार पर मूल्य में अन्तर हो । एक दशा में तो मुझे दस ही दिन में माल पहुँच जायगा और दूसरी दशा में सम्भवतः ६ महीने लग जायें । तो इन बातों में तो फेर बदल की गुंजाइश है और इस करार में ऐसे फेर बदल की अनुमति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस करार पर हस्ताक्षर करने वाले देश, जो किसी अन्य ऐसे ही देश से कोई माल देने से करे, किसी ऐसे देश को रियायतें दे सकता है जिस ने इस करार पर हस्ताक्षर न किये हों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : करार में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । हम तो केवल इस करार के सिद्धान्तों द्वारा बाध्य है । बात केवल यही है कि यदि हम किसी कारण से करार से बाहर के किसी देश से अधिक मूल्य पर माल खरीदें और करार पर हस्ताक्षर करने वाले देश को उस की तुलना में कम मूल्य दें तो शायद परोक्ष रूप से इस करार के उपबन्धों को लागू करने के लिये कहा जा सकता है और हम यह कह सकते हैं कि राज्य द्वारा व्यापार सम्बन्धी किसी संस्था के दृष्टिकोण से यह भेदभावपूर्ण व्यवहार है । गैर-सरकारी लोग ऐसा करें तो हमारा इस से कोई वास्ता नहीं है । कोई व्यक्ति मूर्ख है और अधिक दाम दे कर माल खरीदता है तो हमारा उस से कोई सम्बन्ध नहीं । परन्तु यदि किसी देश ने या राज्य द्वारा व्यापार की किसी संस्था ने जान बूझ कर ऐसा किया है तो सम्भव है कि हमें इस के कारण बताने पड़ें । इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री गुरुपादस्वामी ने हमारी कठिनाइयों का बड़ा ध्यान रखा है । हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उन की उन्होंने प्रशंसा की है परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ शकायें हैं । एक मुख्य बात उन्होंने फेर बदल की इस गुंजाइश के सम्बन्ध में उठाई । उन का प्रश्न यह था: करार में हम जो कुछ मान चुके हैं क्या हम उससे बाध्य हैं या कि हम इस के अतिरिक्त भी कुछ कर सकते हैं ?

अन्य सदस्यों ने भी यह प्रश्न उठाया था । मैं ने अपने प्रारम्भिक भाषण में प्रश्न के इस पहलू की ब्यौरेवार चर्चा नहीं की थी क्योंकि मेरा विचार था कि सदस्यों को मात्रा सम्बन्धी

प्रतिबन्धों में अधिक रुचि है । परन्तु अब मैं प्रशुल्क सम्बन्धी गुंजाइश के प्रश्न पर कुछ कहना चाहता हूं ।

इस सम्बन्ध में अनुच्छेद २८ का बड़ा महत्व है । इस के महत्व को भली भांति समझने के लिये यह आवश्यक है कि इस अनुच्छेद के साथ निर्वचन सम्बन्धी जो टिप्पणियां, श्वेत पत्र के पृष्ठ ७४ से ७७ तक पर हैं, उन्हें भी पढ़ा जाय । इस अनुच्छेद का पूर्णतया पुनरीक्षण कर दिया गया है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस का श्रेय मुख्य रूप से हमारे प्रतिनिधि मंडल को है । हम ने इस अनुच्छेद का संशोधन करने के लिये न केवल उन देशों से जिन्हें कम उन्नत देश कहा जाता है बल्कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और यूनान से भी सहयोग किया है । इस अनुच्छेद में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किये गये हैं ।

पहली बात यह है कि इस अनुच्छेद और इस के निर्वचन सम्बन्धी टिप्पणों के अन्तर्गत कोई कम उन्नत देश किसी भी समय प्रशुल्क सम्बन्धी बन्धनों में परिवर्तन किये जाने के लिए बात चीत कर सकता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि पुरानी रियायतों के स्थान पर नयी रियायतें दिये जाने के आधार पर ही करार किया जाय । सम्भव है कि इस आधार पर समझौता हो जाये कि दोनों देश एक दूसरे को दी गयी रियायतें वापिस ले ल या दूसरा देश यह समझता हो कि जो रियायतें वापिस ली गई है उन का कोई महत्व नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किये गये प्रशुल्क सम्बन्धी बन्धन एक बार तीन वर्ष तक ही मान्य होंगे और इस कालावधि के अन्तिम ६ महीनों में यह बन्धन करने वाला कोई भी देश यदि समझौता करने में असफल रहे तो भी रियायतें वापिस ले सकता है । इस में सन्देह नहीं कि यदि कोई देश सम्बन्धो पक्ष से समझौता किये बिना रियायतें वापिस ले लेता है तो दूसरे देश को भी वैसी रियायतें वापिस लेने का अधिकार होगा । इस अधिकार का लाभ इस बात में है कि जिस देश ने रियायतें वापिस ली हैं उस देश की आवश्यकता से वह लाभ नहीं उठा सकेगा जिस के साथ बात चीत की जा रही हो । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य कृपया इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे । दूसरे शब्दों में इस बात का अर्थ यह कि हमें कोई ऐसी रियायत देने की आवश्यकता नहीं जो उचित से अधिक हो या जो हम आसानी से न दे सकते हों ।

इस अनुच्छेद में एक और उपबन्ध सम्मिलित कर दिया गया है । तीन वर्ष की कालावधि समाप्त होने पर हम यह कह सकते हैं कि हम उस अनुसूची पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखना चाहते जिस में रियायतों सम्बन्धी बन्धनों की चर्चा है । इस का अर्थ यह होगा कि हम उन में से किसी के भी सम्बन्ध में किसी समय भो एकतरफा कार्यवाही कर सकते हैं । यदि हम ऐसा करें तो स्वाभाविक ही है कि दूसरे देश भी ऐसी रियायतें वापिस लेने को स्वतंत्र होंगे जो उन्हों ने हमें दी हों । इस लिये इस उपबन्ध के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पहले किसी देश को इस बात का समाधान करना होगा कि उसे किसी स्वतन्त्रता के अन्तर्गत जो किसी एक ही देश की नहीं हो सकती, हानि नहीं बल्कि लाभ होगा । वास्तव में इन परिवर्तनों का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक देश यह समझ जायगा कि अन्य बातों की तरह प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतों में भी 'इस हाथ दे और उस हाथ लें' वाला मामला है । किसी भी देश को उस से अधिक रियायतें देने की आवश्यकता नहीं जितनी कि उसे मिलती है और यदि वह यह समझेगा कि उसे अपनी स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी है तो वह एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है कोई देश जो अपने को मिली हुई रियायतें अपने

[श्री टी० टी० कृष्णामाचारी]

पास ही रखना चाहता है, इस करार में हस्तक्षेप करने और जल्दबाजी करने में झिझक का अनुभव करेगा ।

संक्षेप में इस करार के अनुच्छेदों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यदि हम उन रियायतों को छोड़ना नापसन्द न करें जो हमें मिली हुई हैं तो हम सारी प्रशुल्क सम्बंधी रियायतें वापिस ले सकते हैं। मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र यह नहीं कह रहे कि हमें तो रियायतें वापिस लेने की स्वतंत्रता हो परन्तु और किसी देश को न हो। यदि इस करार के बारे में यह धारणा है तो वह बिल्कुल गलत है। इस करार का यह उद्देश्य नहीं है कि हमें या किसी अन्य देश को ऐसा विशेषाधिकार दिया जाय जो साथ ही किसी और देश को न मिले।

श्री गुरुपादस्वामी ने एक और प्रश्न निर्यात के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में उठाया है। यह प्रश्न और सदस्यों ने भी उठाया है। इस विषय पर अनुच्छेद १६ लागू होता है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे ज़रा पुराने अनुच्छद १६ को देखें। यह श्वेत पत्र में दिया गया है और बड़ा संक्षिप्त सा है इस में कोई सार नहीं और इसमें यह इच्छा मात्र ही प्रकट की गयी है कि किसी देश को निर्यात के लिये आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिये। यह अनुच्छेद नये सिरे से लिखा गया है और स्वाभाविक ही है कि इसे कुछ अधिक ठोस बना दिया गया है। वास्तविक स्थिति यह है कि जब यह अनच्छेद नये सिरे से लिखा गया तो कुछ सदस्य इस में उल्लिखित आभार को तत्काल ही स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। इसलिये पुराने अनुच्छेद के उपबन्धों में चार नये पैरा जोड़ दिये गये हैं। इन के अतर्गत यह मान लिया गया है कि इस प्रकार की सहायता हानिकर है और इस से बचना चाहिये। सम्भव है कि माननीय सदस्य कहें कि यह तो इच्छामात्र है। परन्तु इस में आगे यह उपबन्ध किया गया है कि प्रारम्भिक उत्पादों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता का परिणाम यह नहीं होना चाहिये कि इन उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के हाथ में अनुपात से अधिक रहे। जहां तक अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता देने का सम्बन्ध है, कोई देश नयी सहायता नहीं देगा। मंशा यह है कि १ जनवरी १९५८ से ऐसी सभी सहायता का दिया जाना बन्द हो जाना चाहिये। इस अनुच्छेद में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि समय समय पर इस सम्बन्ध में स्थिति का पुनरावलोकन किया जाय। इसलिये यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सिद्धान्ततः कोई मतभेद नहीं है, परन्तु कठिनाई इसे सभी की सहमति से लागू करने के सम्बन्ध में थी। मुझे बताया गया है कि अनुच्छेद १६ का यह प्रारूप सम्मेलन के तीसरे दिन तय हुआ और यही कारण है कि यह बात सम्बद्ध देशों पर छोड़ दी गयी कि वे कुछ समय के बाद इस का निर्णय कर सकते हैं।

एक बात की ओर श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने निर्देश किया था, जो मैं समझता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हों ने इस बात पर जोर दया है कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीया विनिश्चय में समझौता अनिवार्य है, और इसी कारण से दो व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के मध्य होने वाले किसी भी विनिश्चय में भी समझौता अनिवार्य है। जसा मैं ने पहले कहा था यदि यह कुछ भी न देने तथा सब कुछ लेने का ही प्रश्न है, तब तो कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। अनुच्छेद १६ के अनुसार, निर्यात सम्बन्धी राजकीय सहायता के बारे में करार करते समय हम ने इसी सिद्धान्त को अपनाया और इस में फेरबदल की अधिकाधिक गुंजाइश रखी गयी ताकि अन्य देशों को, जितनी मात्रा में हो सके इस मार्ग पर आने के लिये समय दिया जा सके ।

एक अन्य बात जो श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने कही है, वह उस विटो (विषेधाधिकार) के प्रश्न के सम्बन्ध में है जो वाणिज्य सहकारिता संगठन के प्रारम्भ होने के समय उपस्थित था। मेरा विचार है कि वे बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब आप यह कहते हैं कि वे देश जो कुल मिला कर विश्व वागिज्य के ८५ प्रतिशत भाग पर नियंत्रण रखने वाले हैं, इस करार का अनुसमर्थन करें, तो इस का अनिवार्य रूप से यह अर्थ हुआ कि विश्व वाणिज्य के लगभग २०-२० प्रतिशत भाग पर नियन्त्रण रखने वाले दोनों देशों, इंगलैंड और अमरीका, में से यदि कोई एक, हमारे इस करार में सम्मिलित नहीं होता, तो उस दशा में कुछ भी किया जाना सम्भव नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय करारों में इस बात का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ समय पूर्व गेहूं सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय करार के प्रश्न पर, जिस में अमेरीका अत्याधिक रुचि रखता था, इंगलैंड उस से असहमत रहा, और यह दीखता था कि मानो करार सफल नहीं हो सकेगा--और किसी भी प्रकार से, वह सफलता पूर्वक लागू नहीं किया जा सका।

यह हो सकता है कि एक ऐसा समय आ जाय जब विश्व वाणिज्य का लगभग २० प्रतिशत भाग हमारे हाथ में आ जावे और हम भी इस समस्या पर उसी दृष्टिकोण से विचार करें, किन्तु अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। किन्तु कारण क्या है? कारण यह है कि यदि वे देश जिन का विश्व वाणिज्य में बड़ा दांव है, किसी ऐसी संस्था का अस्तित्व ही नहीं चाहते, तो ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल यही बात मैं आई० एम० एफ० और ओ० टी० सी० के मध्य के सम्बन्ध के विषय में कहता रहा हूं, कि यदि यह हमारे लिये असुविधाजनक हो, और यदि हम चाहते हैं कि यह अस्तित्व में ही न आय, तो बहुत संभव है कि हम कई अल्प विकसित देशों को अपने पक्ष में ऐकत्रित कर सकें। मैं समझता हूं कि इस करार का अनुसमर्थन न किया जाना कोई अपराध नहीं है इस का केवल यही अर्थ है कि वे देश डरते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ है। अमरीका ने हवाना अधिकार-पत्र का अनुमोदन नहीं किया। यह भी सम्भव है कि अमरीका ओ० टी० सी० का अनुमोदन भी न करे, और हमें प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के कार्यवाहन के लिये अस्पष्ट कार्याधिकारी मण्डल बनाना पड़े।

डा० कृष्णास्वामी ने कुछ बातों पर जो विशेष बल दिया है उस के लिये मैं उन का अतीव आभारी हूं। मैं स्पष्ट कहूंगा कि उन्हों ने, आज हमारी सरकार को विदेशी वाणिज्य को संगठित करने के प्रश्न पर जिन जिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन सब समस्याओं का सहानुभूतिपूर्ण अवबोध प्रदर्शित किया है। उन्हों ने संकेत किया कि जहां तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, एक कार्यकारी योजना अवश्य होनी चाहिये। मुझे यह भी स्पष्ट कहना है कि हमारे पास भी योजना है और साथ ही, हमारी सभी विवशताओं (कठिनाइयों) के बावजूद भी हम ने पिछले चार वर्षों में पर्याप्त अच्छी प्रकार से कार्य किया है। किन्तु योजना बनाने में हम केवल आज का विचार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में, यदि मैं आज विदेशी विनिमय का अधिरक्षण करने का विचार करता हूं, जो कि मैं अन्यथा व्यय करना चाहता हूं, तो मैं आगामी पंचवर्षीय योजना के समय पर दृष्टिपात कर रहा हूं, जब मेरा पूंजीगत वस्तुओं का आयात, तीनों इस्पात के कारखानों के लिये सामान और अन्य कई वस्तुयें प्राप्त करनी पड़ेंगी, जिसके लिये मुझे विदेशी विनिमय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे सहकारी वित्त मंत्री महोदय प्रायः कहते रहे हैं कि अभी तक विदेशी विनिमय के संबंध में हमारी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है । यह तब कहा जा सकता है जब हम स्थिति का व्यापक अवलोकन करें; यदि हम संकुचित अवलोकन करें, तो हम निश्चित रूप से अच्छी अवस्था में हैं। यही कारण है कि हर बार जब हम अपनी नीति का पुनरावलोकन करते हैं, तो यही कुछ होता है जभी हम अर्ध वार्षिक नीति को प्रकाशित करते हैं, हम अगले अर्ध वर्ष का हिसाब लगाना प्रारम्भ कर देते हैं तब यह विचार प्रारम्भ होता है कि कौन २ सी वस्तुयें हैं जिन में हम अपने अभ्यंश (कोटा) को कम कर सकते हैं। और जहां तक मेरा संबंध है, मेरे मन में इस विषय में कोई सन्देह नहीं कि आगामी योजना काल में, मैं अपने हृदय पर हाथ रख कर गैट को बतला सकता हूं कि मेरी समस्या देनगी के सन्तुलन की समस्या है। केवल यही समस्या ही नहीं है; दूसरी समस्यायें भी हो सकती हैं, किन्तु प्रमुख समस्या लेन-देन की स्थिति की ही होगी ।

अतः कोटा निर्बन्धन की लम्बी सूची बनाने में मुझे कोई भय नहीं है। वास्तव में मैं नहीं जानता कि इस सदन में यह बताना मेरे लिये अच्छा है या नहीं, किन्तु फिर भी मैं यह बताता हूं कि हमारे पास एक हजार से कुछ अधिक वस्तु श्रेणियां हैं जिन के अनुसार हम ने आयात वाणिज्य अनुसूची को विभाजित किया है, और इन वस्तुओं में से ५३ प्रतिशत वस्तुयें कोटा निर्बन्धन में आ जाती हैं । मुझे इस बात की लज्जा नहीं है। मुझे तो मन्त्रालय की सराहना करनी चाहिये कि यह हमारी आवश्यकताओं का इतनी अच्छी तरह से मूल्यांकन करने में समर्थ हुआ है कि हम प्रायः हर प्रकार की आवश्यकता पूरी कर सके हैं । और आगामी पंचवर्षीय योजना में हम इन्हें पूरा करने की आशा करते हैं क्योंकि जहां तक हमारा संबंध है, यह अनिवार्य ही है । हम इस से दूर नहीं भाग सकते, और मैं पुराने करार की शर्तों के अनुसार भी इसे न्यायसंगत सिद्ध कर सकता हूं । ऐसा करने के लिये अनुच्छेद १८ के उपबन्ध में फेरबदल की जाने की गुंजाइश का सहारा नहीं लिया जायगा, क्योंकि वह पहले ही संशोधित हो चुका है । इसलिये मैं समझता हूं कि अनुच्छेद १८ का वर्तमान उपबन्ध मुझे दुहरा परित्राण प्रदान करता है। यह मुझे केवल अपनी वर्तमान विदेशी देनगी स्थिति में असन्तुलन की अवस्था की ओर ध्यान देने का ही अवसर प्रदान नहीं करता, अपितु मुझे भविष्य की ओर भी देखने का अवसर देता है । यह बात बिलकुल अलग है कि हमें कोटा निर्बन्धन के द्वारा अपने बढ़ते हुए उद्योगों का रक्षण करने का स्पष्ट अधिकार है।

एक बार पुनः मैं डा० कृष्णास्वामी का अतीव आभारी हूं कि उन्हों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह कोटा निर्बन्धन को अपनी अर्थ व्यवस्था का स्थायी पहलू न बना ले । वास्तव में प्रत्येक वस्तु जिस का हम कोटा द्वारा संरक्षण करते हैं, अपने संरक्षण को न्यायसंगत सिद्ध कर सकने के योग्य होनी चाहिये और शीघ्र ही वह कोटा निर्बंधन व्यवस्था से मुक्त ही जानी चाहिये ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हम प्रति अर्ध वर्ष में एक, दो या तीन मद ऐसे खोज लेते हैं जिन पर से कोटा निर्बन्धन हटा लिये जाते हैं । हम ने कपड़े के विषय में ऐसा किया है । मेरे माननीय मित्र श्री के० सी० सोधिया ने वित्त मंत्री द्वारा कपड़े पर से शुल्क कम कर दिये जाने के विषय में पूछा । हां, हम ने शुल्क कम किये ; हम न कोटा निर्बन्धन हटाये । और जहा तक आयात की स्थिति का सम्बन्ध है, वह किसी

ऐसे दर्जे तक नहीं बढ़ा है कि हमारी लेन-देन की स्थिति असुरक्षित हो जाये या कपड़े के क्षेत्र में हमारे ही उद्योग को प्रतियोगिता का खतरा पैदा हो जाय, जिस से कपड़े का उत्पादन और उस की बिक्री दोनों ही कठिन हो जायें । यह उस उदाहरण का बिल्कुल उलट है जिस में ब्रिटिश लोगों का यह कथन है कि "ओह, भारत कपास के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता देता है ।" बिल्कुल ऐसी ही बातें श्री के० के० बसु जैसे लोग यहां कहते हैं । श्री बसु की विचारधारा वाले कुछ अन्य साथी भी मिलते हैं । ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य तथा कपास के व्यापार में रुचि रखने वाले लोग कहते हैं कि हम कपास के मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता दे रहे हैं । किन्तु हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं । हम कपास के मूल्य को इस प्रकार नियंत्रित रखते हैं कि वह उत्पादक तथा कपड़े के उपभोक्ता, दोनों के लिये लाभप्रद रहे ; क्योंकि अपने कपास के उत्पादन का ९० प्रतिशत भाग हम अपने देश में ही प्रयोग कर लेते हैं ; और मैं, लंकाशायर के उद्योगपति के लाभ के लिये अथवा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनभिज्ञ सदस्यों के लाभ के लिये, कपास के और कपड़े के मूल्यों को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हूं । सर्वत्र ऐसा ही हुआ है । किन्तु यह एक ऐसा उदाहरण है जिस में हम ने कोटा के निर्बन्धन भी हटा दिये हैं और साथ ही शुल्क भी कम कर दिये हैं, और हम ने देखा है कि कोई विशेष हानि नहीं हुई । केवल इतना ही हुआ है कि इन वस्तुओं की कुछ मात्रा दूसरे देशों से हमारे देश में आ जाती है जिस से हमारी वस्तुओं के स्तर और किस्म में कुछ सुधार हो जाता है । डा० कृष्णास्वामी ने कुछ अन्य वस्तुओं के लिये प्रतीक कोटा के विषय में जो बात कही है वह बहुत अच्छी है । आखिरकार, यदि हम कुछ आयात वस्तुयें प्रयोग करना प्रारम्भ करेंगे, यदि हम उस वस्तु का उपभोग करने की प्रवृत्ति धारण करेंगे, तभी तो हमारे स्थानीय निर्माता उस का यहां उत्पादन प्रारम्भ करेंगे । वास्तव में, यदि आप किसी वस्तु का आयात न होने देंगे, तब यहां कोई विकास ही नहीं होगा, क्योंकि आयात के साथ अन्य देशों के औद्योगिक विकास की छाप भी आती है और हमारे देश के लोगों को यह प्रेरणा देती है कि वे यहां भी उसी वस्तु का निर्माण प्रारम्भ करें और इस से लोगों को रोजगार मिलता है और उस से अधिक कार्य और अधिक धन प्राप्त होता है और साथ ही लोगों का उपभोग का स्तर भी ऊंचा उठता है । आयात का यही प्रमुख कारण है । मैं विशेष रूप से उन का कृतज्ञ हूं कि उन्हों ने इस बात पर विशेष ज़ोर दिया है और मैं समझता हूं कि जब भी कोई माननीय सदस्य विदेशों के साथ व्यापार के प्रश्न पर बोलें तो इसी बात पर विशेष जोर दें । क्योंकि विदेश-व्यापार दोनों ओर से होता है, एक ओर से नहीं ।

मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र श्री बंसल और मेरे माननीय मित्र श्री बी० बी० गांधी, दोनों मुझे उन सब बातों पर ज़ोर देने के लिये नहीं कहेंगे जो कि उन्हों ने कही हैं । वास्तव में, श्री बंसल ने, जो, मेरे समान, अपने आप को परिवर्तित मतावलम्बी घोषित करने से नहीं डरते, यह बताया है कि संघ (फेडरेशन), जो एक देश के भीतर आन्तरिक नीतियों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विरोधी रहा है, और जिस ने राजकोषीय आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अपने एक पुराने अध्यक्षों में से एक के द्वारा विमत टिप्पण को प्रेरित कर हवाना चार्टर के विरुद्ध किया, किस प्रकार परिवर्तित मतावलम्बी बन गया है, और केवल परिवर्तित ही नहीं हुआ है वरन् सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का जोरदार समर्थक बन

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

गया है ताकि रुकावटों को दूर कर के वाणिज्य का सुगम एवं सहज प्रवाह चलता रहे । इसी बात के लिये मैं विशेष रूप से अनुग्रहीत हूं, क्योंकि यह मेरे वाणिज्य और उद्योग मंत्री होने के काल में ही हुआ है। आखिरकार, यह परिवर्तित मतावलम्बी होने को उत्सुक होने का प्रश्न भी संक्रामक सा दिखाई देता है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने इन समस्याओं का अध्ययन करने में कुछ समय लगाया है। उन्हें अन्त में बोलने का अवसर मिला जिस के कारण उन का अभिमत सीमित रहा। उन्हों ने सुझाव दिया कि हमारे गृह उद्योगों के लिये परित्याग (वेवर) की आवश्यकता है यदि हमें उस की आवश्यकता प्रतीत होती तो हम उस की मांग करते । श्री रेड्डी से क्षमायाचना पूर्वक मैं यही कह सकता हूं कि हमें अभी तक परित्याग की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ ।

दूसरी बात जो उन्हों ने कही है वह रूस और चीन के सम्मिलित होने के विषय म है । मैं समझता हूं कि यदि ये देश सम्मिलित होना चाहें तो उन के प्रवेश के बारे में कोई बन्धन नहीं है ; सम्भवतः वे सम्मिलित हो जायें । कदाचित उन के सम्मिलित होंने से नई समस्यायें खड़ी हो जायें और इस से देश के वाणिज्य में एक नया अध्याय जुड़ जाय । मैं समझता हूं कि उन के प्रवेश के बारे में कोई विशेष बन्धन नहीं है ।

उन्हों ने यह भी कहा कि करार के कार्य सँचालन का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया । मुझे यह आरोप स्वीकार करना पड़ता है । मुझे ज्ञात नहीं कि जो कुछ हम कह चुके हैं, उसके अतिरिक्त और मैं क्या कह सकता हूँ । हम ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, लोक सभा सचिवालय ने भी एक जारी किया है, जिस में उन्होंने इस करार का कार्य सँचालन समझाया है । इस का अन्तिम परिणाम यह रहा है कि मेरे माननीय मित्र श्री ए० वी० रामस्वामी ऐसे आंकड़ों से घबड़ा गये हैं जिन्हें वे स्वयँ भी नहीं समझते ।

अब मैं श्री रामस्वामी द्वारा कही गई बात के विषय में कुछ कहूँगा । मुझे प्रसन्नता है कि वह इस समय यहीं उपस्थित हैं । इस विषय में कठिनाई इस प्रकार है । आयात के आंकड़े हमारे लिये हितकर हैं । यदि हमारा आयात कम हो, तो हम उतना अधिक अधिमान नहीं दे सकते या उतनी अधिक प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें नहीं दे सकते जितनी कि हम ने स्वीकार की थीं । किन्तु मैं नहीं समझता कि यह इस विशेष मामले में होगा । जहां तक मशीनों का सम्बन्ध है हमारे शुल्क की दर बहुत कम है । श्री रामस्वामी के कथन में आंकड़ों को तनिक गलत पढ़ा गया है । मैं इस के लिये उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि जैसा मैं ने कहा है आज हमारी सब से बड़ी कठिनाई सांख्यकी की है । कोई व्यक्ति इस के बारे में कुछ कहता है, और अन्य कुछ अन्यथा कहता है और हम घबरा जाते हैं ।

इस करार के मूल्यांकन के सम्बन्ध में तथा साम्राज्य अधिमान के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कर जांच आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है । कर जांच आयोग में चाहे कुछ एक त्रुटियां रह गई हैं, तथापि इस आयोग ने एक महान सुयोग्य व्यक्ति की प्रधानता में कार्य किया था, और मुझे विश्वास है कि सभा यह अनुभव करेगी कि नीति के प्रत्येक विवरण अथवा नीति के सम्बन्ध में प्रत्येक सिफारिश में उस व्यक्ति का हाथ है । अधिमान के रूप में राजस्व की हानि के सम्बन्ध में यह विशेष कँडिका (पृष्ठ २६६, कँडिका ४२) यह कहती है;

"अधिमान के कारण राजस्व में होने वाली हानि का अनुमान

३.५ करोड़ रुपये लगाया जा सकता है उपनिवेशों से आयात पर २.६ करोड़ रुपये का। इन मामलों में कोई वास्तविक अधिमान नहीं दिया जाता क्योंकि या तो केवल अधिमान्य दर अथवा प्रमाणिक दर लागू होती है, और यह उपयुक्त रूप से यह समायोजित की जा सकती है। यदि ऐसे मद निकाल दिये जायें तो राजस्व की वास्तविक हानि इँग्लेंड से आयात पर २.१ करोड़ रुपये और उपनिवेशों से आयात पर ०.२ करोड़ रुपये हो सकती है जो कुल २.३ करोड़ रुपये बनती है। जहां तक उपभोक्ताओं पर कम करों के बोझ के द्वारा वास्तविक हानि को पूरा किया जाता है, इस अर्थव्यवस्था से कोई वास्तविक हानि नहीं होती।"

क्योंकि कर जांच आयोग ने इसे व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा है अपितु भारत के कर अदा करने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से देखा है :

"हमने व्यापार तथा बाजार सम्बन्धी सँगत बातों का अध्ययन करके इस बात का कोई ठीक ठीक प्राक्लकन तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया है कि अधिमानों का अर्थ व्यवस्था पर वास्तव में कितना बोझ पड़ेगा। फिर इसे प्राप्त किये गये अन्य लाभों से विशेष रूप से निर्यात व्यापार में वृद्धि से, संतुलित किया जाता है। इस चर्चा के क्षेत्र से पूर्णतया भिन्न प्रयोजन के लिये किये गये किसी आकस्मिक वक्तव्य पर निर्भर करना सरकार के प्रति एक अन्याय सा करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामस्वामी यह जानना चाहते हैं कि अन्य देशों को हमारे देश के प्रति अधिमान दिखाने पर कितनी हानि उठानी पड़ेगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अन्य देशों की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा करना मेरे लिये कठिन है। साम्राज्य अधिमान के सम्बन्ध में भी मैं ने २ वर्ष पूर्व सितम्बर १९५३ में मूल्यांकन किया था। उस मूल्यांकन से प्रतीत होता है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है उससे हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है और हम उस लाभ को कदापि छोड़ना नहीं चाहते। मैं एक ऐसी दस्तावेज में से उद्धरण नहीं देना चाहता जो कि सभा पटल पर नहीं रखी गयी थी। परन्तु मुझ से निश्चित रूप से कहा गया कि हमने जो रियायतें दी है वे निश्चित रूप से उन रियायतों के बराबर ही है जो कि हमें ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं, जिन की सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी भी प्रतियोगिता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह सभा पटल पर एक ऐसी दस्तावेज रखने की कृपा करें जिस से सभा को इस बात की तसल्ली होजाये कि सामान्य-अधिमान हमारे हित में है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अन्य माननीय सदस्यों ने भी ऐसे ही सुझाव दिये हैं। मैं नहीं समझता कि इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखना लोक-हित में होगा। हम सम्भवत: इस प्रश्न पर एक बार और विचार करेंगे और यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

एक और महत्वपूर्ण बात जापान के विषय में कही गई है। मेरे माननीय मित्र श्री सोमानी भले ही सोचते हों कि उनकी अवहेलना की गई है, परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्हों ने जापान के मामले पर कुछ चिन्ता प्रकट की। मैं यह बताना चाहता हूँ कि कुछ हद तक चिन्ता मुझे भी है। इस प्रकार का भय हमें हमेशा रहा है। साथ ही, यदि बड़े भाई की तरह नहीं तो भाई के समान तो रहना ही है। हम अन्य एशयाई देशों के हितों की पूर्णतः उपेक्षा तो नहीं कर सकते। जापान ने इतनी अधिक कठिनाइयां झेली हैं कि हमने सहानुभूति के रूप में उससे कोई प्रतिकर या युद्ध क्षतिपूर्ति नहीं लेनी चाही। हम ने जापान के करार में शामिल किये जाने का सक्रिय समर्थन किया। यदि किसी और वजह से नहीं तो कम से कम इस कारण से तो जापान करार सम्बन्धी अनौपचारिक नियमों का पालन करेगा ही।

हम स्वयं जापान के साथ सर्वधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्रों का सा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा हम तब से करते आये हैं जब कि उसके साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किये गये। हम उन देशों में से हैं जिन्होंने अपने आयात लाइसेंसों में जापान को सबसे पहले सुलभ मुद्रा देश माना। यद्यपि हम ने यह सब कुछ किया है, श्री सोमानी द्वारा व्यक्त किया गया भय, अब भी कायम है क्योंकि आखिर यह तो नहीं भुलाया जा सकता कि सरकार या कम से कम वाणिज्य और उद्योग मंत्री को कभी कभी 'बनिया–दृष्टिकोण' बनाना पड़ता है। हमारे बहुत से उद्योगों पर जापान द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रभाव पड़ जाता है–यद्यपि वे अन्य देशों की प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि इस का क्या कारण है–क्या आन्तरिक उपयोग के लिये उन के यहां लागत फैलाने का कोई भिन्न तरीका है। प्रशुल्क आयोग ने बार बार हमारा ध्यान इस बात की ओर दिलाया है और इसी लिये हमें जापान के विरुद्ध अनुच्छेद ३५ लागू किये जाने की मांग करने के लिये मजबूर होना पड़ा। इस का अर्थ यह हुआ कि हम जापान के प्रति आभारों को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। दूसरे अर्थों में अब हमारी स्थिति उन देशों के समान हो गई है जो पहले ही यह कदम उठा चुके हैं। इस का यह मतलब नहीं कि हमारा इरादा जापान के साथ भेद भाव बरतने का है। यह कार्यवाही तो केवल इस अभिप्राय से की गई है कि यदि भविष्य में कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाये तो उस का मुकाबला किया जा सके। मुझे आशा है कि कभी न कभी हम जापान के साथ समझौता कर सकेंगे जिस से हमारे उद्योग को उस देश से अनुचित प्रतियोगिता का खतरा नहीं रहेगा। और जब एक बार ऐसा समझौता हो जायेगा तो हमारे लिये इस बात का रास्ता साफ हो जायेगा कि हम उन तमाम या कुछ आभारों को स्वीकार करें जो करार के अन्तर्गत जापान के प्रति हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं ने जिस संकल्प की चर्चा की थी उस के बारे में भी हम कुछ जानना चाहते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन्हों ने जिस संकल्प का जिक्र किया वह आर्थिक विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन के विषय में था। मुझे आशा है कि यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य रहा तो हम उस ओर के भी एक दो माननीय सदस्यों को उस की किसी एक बैठक में भाग लेने के लिये भेज सकेंगे। वहां वे देखेंगे कि प्रायः ऐसे संकल्पों में कुछ उद्गार व्यक्त किये जाते हैं परन्तु उस में कोई विशेष बात नहीं होती।

आर्थिक विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन सम्बन्धी यह संकल्प--जिस में हम भी शामिल हैं--इस प्रकार है । अन्तिम प्रवर्ती अंश में कहा गया है :

> "संविदाकारी पक्ष सिफारिश करते हैं कि जो संविदाकारी पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन के लिये पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं और जो संविदाकारी पक्ष ऐसी पूंजी प्राप्त करना चाहते हैं, वे, वर्तमान और भावी विनियोजनों की सुरक्षा के लिये, दुहरा कराधान न होने देने के लिये और विदेशी विनियोजन पर आय के स्थानान्तरण की सुविधायें दी जाने के लिये उपयुक्त तरीकों से उपबंध किये जाने के महत्व का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, ऐसी दशायें उत्पन्न करने का भरसक प्रयत्न करें जिन से विभिन्न देशों में पूंजी का आदान प्रदान हो सके; और अनुरोध करते हैं कि संविदाकारी पक्ष, किसी संविदाकारी पक्ष की प्रार्थना पर, इन मामलों से सम्बन्धित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों के सम्पादन के लिये परामर्श करें या बात चीत में भाग लें ।"

बस यही कुछ है । संकल्प में ऐसी कोई बात नहीं है जिस के परिणामस्वरूप आय के कुछ आभार हों । यदि आप को धन प्राप्त करने की इच्छा हो और दूसरा पक्ष धन देने के लिये तैयार हो तो यह काम हो सकता है । यह व्यवहार 'विवाह' के समान है । जिस में एक पक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है और दूसरा उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है । हमारे ऊपर किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई आभार नहीं है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अमरीका और इंगलिस्तान के उत्याग (वेवर्स) के बारे में क्या रहा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक उत्याग का सम्बन्ध है, मैं श्री विश्वनाथ रेड्डी के, जिन्हों ने, मैं समझता हूं, स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझा है, प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्याग की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक कृषि-उत्पादों के सम्बन्ध में अमरीकी उत्यागों का सम्बन्ध है, उसे इसकी मांग इसलिये करनी पड़ी थी क्योंकि कृषि समायोजन अधिनियम के उपबन्धों से सरकार पर यह आभार आ जाता है कि वह अपनी वस्तुओं को मूल्य-संरक्षण दे । हमारा इस से कोई वास्ता नहीं है । किसी महानुभाव ने घी के आयात की चर्चा की । बताया गया है कि क्योंकि घी मुफ्त में दिया गया इसलिये किसी ने भी उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहा । गांधी मिशन सोसाइटी ने मुझे इस के बारे में यह लिखा था कि घी में बू आती है । यदि ऐसा है तो घी को फेंक दीजिये । इस की कीमत नहीं दी गई है । अतएव कुछ निःशुल्क भेंटों को छोड़ कर हमारे ऊपर अमेरीका को प्रदान किये गये उत्याग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने इस सम्बन्ध में सरकार का समर्थन किया ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । राजकोषीय आयोग ने सुझाव दिया था कि भारत के प्रतिनिधियों का विशेष रूप से यह ध्येय होना चाहिये कि विदेशी मंडियों में भारत को अधिकतम प्रशुल्क रियायतें दिलवायें और इसे विदेशों से आयात किये जाने वाले माल की प्रतियोगिता से बचायें । मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक

[श्री एन० बी० चौधरी]

इस करार का सम्बन्ध है, क्या कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा बनाये गये सामान के निर्यात के सम्बन्ध में हमें कोई लाभ पहुंचा है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने पहले कहा, इस बात को ध्यान में रखा गया है । इस समय उन्होंने इस सम्बन्ध में, उत्याग की मांग करना ठीक नहीं समझा ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो स्थानापन्न प्रस्ताव हैं, एक श्री के० के० बसु के और दूसरा श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर-उत्तर) के नाम से हैं । मैं पहले श्री बसु का प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

इस के पश्चात् श्री के० के० बसु का प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा **अस्वीकृत हुआ** ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वी० बी० गांधी का प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :

> "This house having considered the white paper on the General Agreement on Tariffs and Trade, approves of the revised Agreement and the policy followed by the Government in relation thereto."

> ["यह सभा प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार विषयक श्वेत पत्र पर विचार करके पुनरीक्षित करार और उस के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुसरित नीति का समर्थन करती है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगला कार्य करेगी ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने और तदनुसार भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम १९५१ में कतिपय आनुषांगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पंडित ठाकुरदास भार्गव, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री एस० सी० देव, श्री दुर्गा चरण बैनर्जी, श्री गणेश सदाशिव अल्तेकर, श्री बलवन्त राय गोपाल जी मेहता, श्री गोपाल राव बाजी राव खेडकर, श्री एच० सी० हेडा, श्री राधा चरण शर्मा, श्री बी० बी० वर्मा, श्री सी० डी० पांडे, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री रामेश्वर साहू, श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री फीरोज गांधी, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री एच० सिद्धनंजप्पा, श्री ए० एम० थामस, श्री रामस्वामी मुदलियर, श्री एम० एल द्विवेदी, श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई पटेल, श्री शिवराम रांगो राने, श्री नेतूर पी० दामोदरन, श्री श्रीपत् नारायण, श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री श्रीनारायण दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री ऐम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री

अमजद अली, सरदार हुकुम सिंह, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री आनन्दचन्द तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे ३० नवम्बर, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

इसी के साथ मुझे १९५१ के अधिनियम में संशोधन करने वाले एक और प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५ में अग्रेतर संशोधन करने और तदनुसार भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री एस० सी० देव, श्री दुर्गाचरण बैनर्जी, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता, श्री गोपाल राव बाजीराव खेडकर, श्री एच० सी० हेडा, श्री राधा चरण शर्मा, श्री बी० बी० वर्मा, श्री सी० डी० पांडे, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री रामेश्वर साहू, श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री फिरोज़ गांधी, पण्डित अलगू राय शास्त्री, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री एच० सिद्धनंजप्पा, श्री ए० एम० थामस, श्री सी० रामस्वामी मुदालियर, श्री एम० एल० द्विवेदी, श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई पटेल, श्री शिवराम रांगो राने, श्री नेत्तूर पी० दामोदरन, श्री श्रीमन् नारायण, श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री श्रीनारायण दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री अमजद अली, सरदार हुकुम सिंह, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री आनन्दचन्द तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे ३० नवम्बर, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

जैसा कि विधेयकों के उद्देश्यों व कारणों के विवरण में कहा गया है; हम अपने १९५० और १९५१ के जनप्रतिनिधान अधिनियमों में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उन का आधार १९५२ के निर्वाचन में प्राप्त हुए अनुभव हैं । ये अनुभव निर्वाचन आयोग तथा शासन को उस विधि को कार्यान्वित करते समय तथा उस के पश्चात् हुए हैं । इस का विस्तृत ब्यौरा विधेयक के खंडों में दिया गया है । यहां मैं उन के सिद्धान्तों व मूल परिवर्तनों ही का संक्षेप में वर्णन करूंगा ।

१९५० के अधिनियम में प्रथम विधेयक जो परिवर्तन करेगा वे बड़े साधारण और अविवादास्पद हैं । उनकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं । उन का सम्बन्ध मुख्यतः निर्वाचन-नामावलियां तैयार करने और उनका पुनरीक्षण करने से है । सभा को विदित ही है कि विधान सभाओं तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये पृथक पृथक् निर्वाचन-नामावलियां बनाने की वर्तमान प्रणाली में कितना अपव्यय और व्यर्थ का दोहरा काम करना पड़ता है । इस विधेयक द्वारा इस दोहरे कार्य को समाप्त कर दिया जायेगा । प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसके अन्तर्गत सभी विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की नामावली भी आजायेगी और फिर किसी संसदीय क्षेत्र की निर्वाचन-नामावली को पृथक् रूप से बनाने अथवा पुनरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

वर्तमान विधि—१९५० के अधिनियम की धारा २३ के अनुसार प्रति वर्ष निर्वाचन-नामावलियां तैयार होनी चाहियें । निर्वाचन-नामावलियों के वार्षिक संशोधन का कोई उपबन्ध नहीं है । घर घर जा कर प्रति वर्ष नामावलि तैयार करना न केवल मंहगा पड़ता है अपितु प्रायः अव्यवहारिक और पूर्णतः

[श्री पाटस्कर]

अनावश्यक भी है। नामावलियों का वार्षिक संशोधन पर्याप्त जान पड़ता है। इस समय निर्वाचन-नामावलियों में निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करने का अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। इस संबंध में अधिनियम में विशिष्ट उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है। विधेयक के खंड १३ में १९५० के अधिनियम में इन सब बातों का अर्थात् अतिरिक्त लोगों के नाम दर्ज करने का उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस विधेयक में कुछ अन्य मामले भी हैं, जिन का संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिये। पहला यह है कि अर्हता वाली अवधि में १८० दिन तक निर्वाचन क्षेत्रों में रहने की शर्त, अर्थात् जिस वर्ष नामावली तैयार की जाती है या संशोधित की जाती है, उस वर्ष से तुरन्त पहले किसी व्यक्ति को निर्वाचन-नामावली में दर्ज होने के अधिकृत करने के लिये व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक प्रतीत नहीं होती; इस सम्बन्ध में पूरी जांच करना भी संभव नहीं है। इसलिये इस शर्त को हटाने का विचार किया गया है और ऐसा विधेयक के खंड ११ द्वारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन-नामावली की तैयारी या संशोधन के संबंध में अर्हदाय तिथि के उपबन्ध से एक दृष्टांत उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के नाम, जो राज्य की विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचनों के समय स्थानीय प्राधिकारों के सदस्य नहीं रहे हैं, निर्वाचक-नामावलियों में चलते रहेंगे, और इस द्विवार्षिक निर्वाचनों के समय जो लोग स्थानीय प्राधिकारों के सदस्य होंगे उन के नाम निर्वाचक-नामावली में दर्ज करना संभव नहीं है। वास्तव में कठिनाई उत्तर प्रदेश और मद्रास की राज्य परिषदों के निर्वाचन में अनुभव की गई थी और उन राज्यों की सरकारें इस विषय में उपयुक्त संशोधन की मांग कर रही थीं। तदनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि विधेयक के खण्ड १६ में, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षत्रों के मामले में अर्हदायक तिथि हटा दी जाये, जिन की निर्वाचक-नामावलियों में से स्थानीय प्राधिकारों के भूतपूर्व सदस्यों नाम निकाल कर और उन में नवीन सदस्यों के नाम समाविष्ट करके उन को मुकम्मल रखा जायेगा।

"राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र" अभिव्यक्त भ्रमोत्पादक है और बहुत से सदस्य इसे समझ नहीं सके हैं। सवाल राज्य-सभा के सस्दय के निर्वाचन के लिये निर्वाचन क्षेत्र का नहीं है। किन्तु यह कच्छ, मनीपुर और त्रिपुरा (ग) भाग के राज्यों के निर्वाचक-गणों के सदस्य निर्वाचन करने के निर्वाचन क्षेत्र का है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करने के लिये इस का नाम बदल कर "निर्वाचक-गण निर्वाचन क्षेत्र" रखने का विचार किया गया है और विधेयक के खण्ड २ द्वारा यह कहने का प्रयास किया जा रहा है।

अन्त में, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में एक और साधारण मामले का उल्लेख करूंगा। "संसदीय निर्वाचन क्षेत्र" और "सभा निर्वाचन क्षेत्र" की परिभाषाओं में संशोधन करने का विधेयक के खण्ड २ में प्रयास किया गया है, जिस से यह न केवल वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र ही पर लागू हो सके जो कि वर्तमान लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के भंग होने तक जारी रहेंगे, किन्तु परिसीमन आयोग द्वारा बनाये गये नवीन निर्वाचन क्षेत्र भी आयेंगे क्योंकि आगामी सामान्य निर्वाचन इन नवीन, निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर किये जायेंगे। इस दृष्टिकोण से इन परिभाषाओं में संशोधन करने का प्रयत्न किया गया है। यह पहले

विधेयक के बारे में है और मझे इस में अधिक विवादस्पद बात दिखाई नहीं देती ।

१९५१ के अधिनियम सम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन करने वाले दूसरे विधेयक के बारे में मुख्य परिवर्तनों को इन श्रेणियों में एक साथ लेता हूं ।

(१) साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना संबंधी परिवर्तन ।

(२) निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी परिवर्तन।

(३) नाम निर्देशन पत्रों की तैयारी और पड़ताल संबंधी परिवर्तन ।

(४) निर्वाचन व्यय और निर्वाचन व्यों के विवरण संबंधी परिवर्तन । और

(५) निर्वाचन याचिकाओं और निर्वाचन न्यायाधिकरणों तथा भ्रष्ट और अवैध कृत्यों सम्बन्धी परिवर्तन ।

मैं क्रमपूर्वक इन को लूंगा ।

हम पहले साधारण निर्वाचनों की अधिसूचनाओं सम्बन्धी परिवर्तनों को लेंगे । १९५१ अधिनियम के भाग ३ में सामान्य निर्वाचनों की अधिसूचनायें दी गई हैं । जब कि धारा १४ (२) के अनुसार साधारण निर्वाचन लोक-सभा की अवधि समाप्त होने पर होने चाहियें, धारा १५ के परन्तुक में सुझाव दिया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों को उस सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन करने की सूचना देने वाली अधिसूचना उस की समाप्ति से पहले ही दी जा सकती है, किन्तु चार महीने से अधिक समय से पहले नहीं । धारा १६(२) और धारा १७ के परन्तुक में भी राज्यों की विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचनों के लिये इसी प्रकार के उपबन्ध हैं । वर्तमान लोक-सभा और आन्ध्र, पैप्सू, त्रावनकोर कोचीन को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों की विधान सभाओं की अवधि १९५७ के पूर्वार्ध में विभिन्न तिथियों को समाप्त हो जायेगी किन्तु धारा १५ और १७ के परन्तुक के अनुसार उन की अवधि समाप्त होने से पहले सामान्य निर्वाचन नहीं हो सकते । माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि समस्त देश में एक ही समय पर सामन्य निर्वाचन करने में बहुत लाभ है । तदनुसार धारा १५ और १७ के परन्तुकों को हटा देने का विचार किया गया है । १९५१ के धिनियम के भाग ३ में संविधान के अधीन पहले निर्वाचनों सम्बन्धी कतिपय उपबन्ध हैं । अब वे परन्तुक निरर्थक हो गए हैं । अतः इस के स्थान पर अब उपयुक्त परिवर्तनों के साथ एक नवीन भाग ३ जोड़ने का विचार किया गया है । विधेयक के खण्ड ६ में यह करने का प्रयत्न किया गया है ।

सदस्यों को विदित है कि हमारी निर्वाचन विधि के अधीन निर्वाचन प्रक्रिया बड़ी लंबी है । निर्वाचन की सूचना देने का लेख जारी करने और मतदान आरम्भ होने के बीच कम से कम ४२ दिन की अवधि होनी आवश्यक है । कम से कम अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि और मतदान आरम्भ करने के बीच कम से कम ३० दिन का समय होना चाहिये यह अनावश्यक रूप से लंबी अवधि है । साथ ही यह भी अनुभव किया जाता है, कि निर्वाचन कार्यक्रम यथासंभव अधिनियम में निश्चित किया जाना चाहिये । तदनुसार अधिनियम की धारा ३० के खण्ड (क), (ख) और (घ) में निर्धारित अवधियों को न केवल घटाने का विचार किया जाता है, किन्तु खण्ड (क) में यह भी उपबन्ध करने का विचार किया जाता है कि नाम निर्देशन करने की अन्तिम तिथि निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशित के उपरान्त दसवां दिन होनी चाहिये, और खंड (क) में कि जांच की तिथि नाम निर्देशन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् दूसरा दिन होना चाहिये । यदि

[श्री पाटस्कर]

ये परिवर्तन किये गये, तो निर्वाचन कार्यक्रम में लगभग एक पक्ष (१५ दिन) की कमी हो जायेगी, और इस के परिणामस्वरूप अभ्यर्थियों के समूचे निर्वाचन व्ययों में कमी हो जायेगी। खण्ड १२ में यह प्रयास किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तविक निर्वाचन की तिथि और नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि के बीच कितना समय रखा गया है ?

श्री पाटस्कर : इस समय में लगभग १२ दिन कम किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह समय तीस दिन ही रहेगा ?

श्री पाटस्कर : समूची अवधि ४२ दिन होगी, किन्तु इस अवस्था में यह लगभग २० दिन होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आठ लाख जनसंख्या के लिये कुल २० दिन ?

श्री पाटस्कर : दोनों दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है और मैं यह मामला प्रवर समिति पर छोड़ता हूं। सब से पहले, हम समय में अनावश्यक कमी नहीं करना चाहते, और न ही ऐसी कोई चीज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव किये गये हैं उन पर प्रवर समिति अधिक विचार करेगी और वह जो उचित निर्णय लेना चाहेगी, लेगी।

नाम निर्देशन पत्रों के उपस्थापन और जांच सम्बन्धी वर्तमान विधि कठिन और पेचीदा है। नाम निर्देशन पत्र के उपस्थापन के समय कई औपचारिक बातें करनी पड़ती हैं जिन का पालन करना प्रायः कठिन होता है और बहुत अनावश्यक होता है। धारा ३३ की उपधारा (२) उन नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या सीमित करती है जिन का एक ही सदस्य प्रस्ताव तथा अनुमोदन कर सकता है। देखा गया है कि इस प्रतिबन्ध से बड़ी कठिनाई होती है। इस उपबन्ध का कोई लाभप्रद उद्देश्य नहीं है और इस से बहुत सी उलझनें उत्पन्न हो गई हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से, इस बात में कोई महत्व नहीं है कि आया एक निर्वाचित एक या अधिक नाम-निर्देशन पत्र देता है। उपधारा (२) के परन्तुक के होने के कारण प्रायः नाम-निर्देशन पत्र गलत ढंग से रद्द किये जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी तक को मालूम नहीं होना कि प्रस्तावक या समर्थक ने कितने नाम-निर्देशन पत्र दिये हैं।

गत सामान्य निर्वाचनों का अनुभव यह है कि निर्वाचन अभिकर्ताओं (एजन्टों) की प्रणाली देश में अभ्यर्थियों में अधिक लोकप्रिय नहीं है। कुछ थोड़े मामलों को छोड़ कर बहुत से मामलों में, लोग अभिकर्ता नियुक्त नहीं करते। धारा ३३ की उपधारा (३) के अधीन प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र के साथ एक घोषणा होनी चाहिये कि अभ्यर्थी ने अपने आप को या अन्य किसी व्यक्ति विशेष को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया हैं। इस उपबन्ध को पूरा न करने के कारण पहले बहुत से नाम-निर्देशन पत्र रद्द हो गये हैं। इसलिये इस विधेयक के खण्ड १४ द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि उपधारा (२) में किये गये उपबन्धों को निकाल कर और निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति सम्बन्धी घोषणा की शर्त को निकाल कर धारा ३३ को सरल बना दिया जाय यदि कोई चाहे तो वह अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा, किन्तु यह अनिवार्य नहीं होगा और इस आधार पर किसी का नाम-निर्देशन पत्र रद्द नहीं किया जायगा। अन्यथा, इस समय यह विधि है कि जब तक व्यक्ति अपने आप आप या अन्य किसी व्यक्ति विशेष को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं करता,

उस का फार्म रद्द हो जाता है । अब इस में संशोधन किया जायगा । खण्ड २१ के द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना अभ्यर्थी की मरजी पर होगा । नाम-निर्देशन पत्र यथा-संभव सुरल होना चाहिये, इसलिये समर्थन-कर्ता को हटाने तथा अनुसूचित जाति या आदिम जाति के अभ्यर्थी के लिये पृथक घोषणा की शर्त हटाने का विचार किया गया है । नाम-निर्देशन पत्र में घोषणा होना ही पर्याप्त होगा । राज्य परिषद् या उस राज्य की विधान सुभा के द्वारा वहां की विधान परिषद् के निर्वाचनों के लिये निक्षेप आवश्यक प्रतीत नहीं होता । विधेयक के खण्ड १५ के द्वारा इस शर्त को हटाने का प्रस्ताव किया गया है । अधिनियम की धारा ३६ के अधीन पांच धाराओं पर नाम-निर्देशन पत्र रद्द किये जा सकते हैं । गत सामानय निर्वाचनों से होने वाली ३३८ निर्वाचन याचिकाओं में ११६ याचिकाओं में नाम-निर्देशन पत्रों के अनुचित रूप से रद्द किये जाने के आरोप थे । रिटर्निंग अफसर द्वारा नाम-निर्देशन पत्रों की पड़ताल संक्षेप रूप की होती है, इसलिये नाम-निर्देशन पत्रों के रद्द किये जाने के आधार सरल होने चाहियें ताकि रिटर्निंग अफसुर और ठीक निर्णय ले सके । किन्तु यह प्रश्न कि क्या अभ्यर्थी "अनर्ह किया गया है" साधारणतया पेचीदा है और इस में तथ्यों तथा विधि की कठिनाइयां अन्तर्ग्रस्त हैं । इसलिये इस प्रश्न को रिटर्निंग अफसर के पर्यवेक्षण से निकालने का प्रस्ताव किया गया है । आवश्यकता पड़ने पर, निर्वाचन पूरा होने के उपरान्त निर्वाचन याचिका द्वारा इस के लिये लड़ा जा सकता है । सो यह प्रतीत होगा कि इन संशोधनों के द्वारा विधेयक में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन और पड़ताल के कामों को अधिक सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

निर्वाचन व्ययों और उन के विवरण संबंधी विधि में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में मैं कहूंगा कि धारा ७६, ७७, ७८, और ४४ में दी गई उपबन्धित विधि को आवश्यक रूप से पेचीदा और पालन करने में कठिन समझा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई अभ्यर्थी २५ वर्ष से कम आयु का हो, तो क्या उसे निर्वाचन लड़ने दिया जायेगा क्या विचार यही है ?

श्री पाटस्कर : विचार यह नहीं है । इन सरल मामलों का निश्चय वह स्वयं करेगा क्योंकि जन्म पंजी या अन्य लेखों द्वारा इस बात का निश्चय किया जा सकता है कि आया वह २५ वर्ष का है या अधिक । परन्तु आया कोई व्यक्ति "अनर्ह" है यह मामला पेचीदा है और ये मामले रिटर्निंग अफसर के पर्यवेक्षण से निकाल दिये गये हैं । उद्देश्य यह है कि अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन को यथासंभव सरल बनाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि न्यायालयों में दावे की याचिकाओं के समान इसे भी प्रत्यक्षत: क्यों नहीं किया जाता ? जब लेख होने पर सम्पत्ति कुर्क की जाती है और उस के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज हो तो यदि वह दस्तावेज स्पष्टत : जाली न हो दावा स्वीकार कर लिया जाता है ।

श्री पाटस्कर : ऐसी व्यवस्था नियमों में किया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गड़गांव) : १९५३ में प्रवर समिति को भेजे गये पहले विधेयक में प्रवर समिति ने यह निर्णय किया था कि निर्वाचन प्रारम्भ करने के पूर्व ही नाम-निर्देशन अन्तिम रूप से पूर्ण हो जाने चाहियें । अन्यथा यह हो सकता है कि कोई अवयस्क निर्वाचित हो जाये और बाद में चल कर यह सिद्ध किया जाय कि वह अवयस्क था अथवा निर्वाचन के लिये अयोग्य व्यक्ति था । इस विषय में सिद्धान्तों में परस्पर मतभेद है ।

श्री पाटस्कर : वास्तव में पहले ही एक विधेयक था और मैं जानता हूं कि इन में से अनेक विषयों का दोनों प्रकार से निवचन किया जा सकता है। इस विधेयक में वर्तमान उपबन्ध जिस दृष्टिकोण से रखे गये हैं उसे स्पष्ट करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रकार के विषय में बहुत गहरा मतभेद अवश्यम्भावी है और इस विषय पर चर्चा के समय में प्रत्येक छोटी मोटी बात पर भी विचार करूंगा। इस प्रलेख को बनाने के उत्तरदायी व्यक्तियों के दृष्टिकोण से इस विधेयक में जिस प्रकार ये उपबन्ध रखे हैं मैं उन्हें सभा के समक्ष रखता हूं। हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

आगे निर्वाचन व्यय और निर्वाचन व्यय के लेखे संबंधी विधि में प्रस्तावित परिवर्तनों के विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि अधिनियम की धारा ७६, ७७, ७८ और धारा ४४ में भी निहित विध अनावश्यक रूप से पेचीदा और कठिन समझी गई और अनेक क्षेत्रों से बराबर यह मांग थी कि विधि का यह भाव अधिक सरल बनाया जाय।

पिछले विधेयक पर चर्चा के दौरान भी अनेक सदस्यों ने यह बात सामने रखी थी अतः हमने उस पर विचार किया है और मैं वर्तमान उपबन्धों का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।

अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस सम्बन्ध में विधि को अधिक सरल बनाया जाये और ऊपर उल्लिखित धाराओं में सुधार कर उसे कार्यान्वित करने योग्य बनाया जाय जैसे कि विधेयक के खंड ४१ में किया गया है। ये धारायें केवल लोक-सभा और राज्य विधान-सभाओं के निर्वाचनों के लिये ही लागू होंगी। इन निर्वाचनों में निर्वाचन - व्ययों के नियमित और अलग अलग लेखे रखने की जिम्मेदारी खुद उम्मीदवार पर होगी किन्तु यदि उस का कोई निर्वाचन-अभिकर्ता हो तो वह उसे लेखा रखने के लिये कह सकता है। गत निर्वाचनों का यह अनुभव था कि भिन्न दलों के मान्य संगठनों ने न केवल किसी विशिष्ट उम्मीदवार के निर्वाचन पर बल्कि उस संगठन की ओर खड़ा किये गये सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन पर खर्च किया था और यह शिकायत की थी कि प्रत्येक उम्मीदवार के नाम व्यय का नियतन करना बहुत कठिन था। उदाहरण के लिये किसी जिले में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक उम्मीदवार है और राज्य विधान-सभाओं के लिये अन्य उम्मीदवार हैं और दल संगठन सभी उम्मीदवारों के लिये खर्च कयिा था। ऐसे मामले में यह बताना असंभव है कि किसी विशिष्ट उम्मीदवार पर दल संगठन ने कितना खर्च किया था। अतः किसी दल के सगठन को विभिन्न उम्मीदवारों के बीच सारा खर्च मनमाने ही बांटना पड़ता था ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के अलग अलग व्यय-लेखे दिखाये जा सके। बाद में चल कर किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उन के बारे में पूछताछ की जा सकती हैं। वास्तव में पिछली बार अनेक सदस्यों ने इस आधार पर इस उपबन्ध का अपवाद रखा कि उन्हें इस रूप में लेखे तैयार करने और प्रस्तुत करने पड़ते हैं यद्यपि उन का यह विश्वास था कि जो कुछ वे करने जा रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

इस सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई यहमहसूस की गयी थी कि दल संगठन विभिन्न क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के लिये काफी प्रचार करते हैं। अनेक मामलों में दल की ओर से केवल एक ही उम्मीदवार हो सकता है और ऐसे मामले में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या दल ने साधारण तौर से सभी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया था अथवा केवल किसी खास उम्मीदवार के लिये। इस पर यह प्रश्न निर्भर था कि उस क्षेत्र में खर्च किया गया रुपया

निर्वाचन-व्यय के लेखे में दिखाया जाना चाहिये था अथवा नहीं । ये सब वास्तविक कठिनाइयां हैं जो पिछली बार वाद-विवाद में बतायी गयी थीं ।

इन पेचीदा बातों को दूर करने के लिये, यह प्रस्तावित किया जाता है कि मान्य दल-संगठनों द्वारा किये गये खर्च किसी उम्मीदवार के निर्वाचन-व्यय का अंग न होंगे । साथ ही, केवल निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को ही अपने निर्वाचन-व्ययों का लेखा प्रस्तुत करना होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनैतिक दलों को अपने लेखे प्रस्तुत करने होंगे ?

श्री पाटस्कर : अभी फिलहाल ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । मैं केवल प्रस्तुत की गई प्रस्थापनाओं को स्पष्ट कर रहा हूं । मेरे विचार से, प्रवर समिति के सामने सारे विषय पर विस्तार में विचार होगा ।

केवल निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को ही अपने निर्वाचन-व्ययों का लेखा प्रस्तुत करना होगा और वह भी बहुत पेचीदा लेखा न होगा जैसे कि अभी होता है । अन्त में, निर्वाचनों के सम्बन्ध में भुगतान पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर वर्तमान निर्बन्धन हटा दिया जायगा क्योंकि उस से कोई लाभ होता नहीं दिखायी पड़ता ।

अब मैं निर्वाचन याचिकाओं, निर्वाचन-न्यायाधिकरणों और भ्रष्ट तथा अवैध प्रथाओं के संबंध में प्रस्थापित परिवर्तनों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अधिकतम परिमाण में वृद्धि हुई है ? निर्वाचन क्षेत्र ७.५ से ८.५ लाख तक बढ़ा दिया गया है ।

श्री पाटस्कर : जी नहीं । मैं केवल उन्हीं प्रस्थापनाओं का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें हम ने संशोधन विधेयक में रखा है । अभी तक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिये परिसीमन की अवधि नियमों द्वारा की जाती है । यह ठीक नहीं मालूम होता । धारा में ही इस अवधि का उल्लेख करने की प्रस्थापना है । वह अवधि निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन की तारीख से दो महीने तक होगी । इस संबंध में नियमों में अभी तक बहुत गड़बड़ी है । इस समय धारा ८२ के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी विधिवत् नाम निर्देशित उम्मीदवार निर्वाचन याचिका के लिये प्रतिवादी के रूप में शामिल होंगे । विधिवत् नाम निर्देशित उम्मीदवारों की संख्या प्रायः बहुत अधिक होती है । किन्तु नाम निर्देशन के बाद उन में से अनेक निर्वाचन से अपना नाम वापस ले लेते हैं । फिर निर्वाचन से अथवा उस से उत्पन्न वाद में उन की कोई दिलचस्पी नहीं होती । निर्वाचन याचिका में केवल लड़ने वाले उम्मीदवारों को ही दिलचस्पी होती है । आगे चल कर धारा ९० में एक उपबन्ध है जिस के अनुसार कोई अन्य उम्मीदवार भी प्रतिवादी के तौर पर सम्मिलित हो सकता है । अतः विधेयक के खंड ४३ के द्वारा धारा ८२ में सुधार करने की प्रस्थापना है जिस से केवल वे ही उम्मीदवार प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें वास्तव में निर्वाचन-याचिका के परिणाम में दिलचस्पी हो । धारा ८३ (२) के उपबन्ध, जिस के अनुसार तथाकथित भ्रष्ट तथा अवैध-व्यवहारों की पूरी विवरण-सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है, उपयोगी नहीं सिद्ध हुए हैं । यदि याचिका ही पूरी हो और उस में भ्रष्ट तथा अवैध व्यवहारों के सभी विवरण दिये गये हों, तो सभी दृष्टिकोणों से वह अधिक सरल होगा । इसी दृष्टिकोण से धारा ८३ को संशोधित करने की प्रस्थापना है । वर्तमान धारा ८५ के अधीन निर्वाचन-आयोग के लिये यह अनिवार्य है कि यदि निर्वाचन-याचिका धारा ८१, ८३ और ११७ के अनुसार न हो तो वह उसे खारिज कर दे । धारा ८३ का

[श्री पाटस्कर]

उचित रूप से पालन किया गया है अथवा नहीं है, इस प्रश्न का निर्णय तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों दलों की सुनवाई न हो। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग के लिये यह देखना सरल हो जायेगा कि धारा ८२ का पालन किया गया है या नहीं। अतः धारा ८५ में धारा ८३ के स्थान पर धारा ८२ रखने की प्रस्थापना है। साथ ही यह भी विचार रखा गया है कि धारा ८५ में से विलम्ब को क्षम्य मानने का उपबन्ध निकाल दिया जाना चाहिये। धारा ८१, ८२ और ११७ का पालन न करने के कारण याचिका खारिज करने का अधिकार निर्वाचन-न्यायाधिकरण को भी दी जाने की प्रस्थापना है। इन विषयों के बारे में कुछ वाद और कुछ तर्क थे और हम इन उपबन्धों द्वारा उन्हें स्पष्ट करना चाहते हैं।

धारा ८६ के अधीन, निर्वाचन-न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होते हैं और जिस का अध्यक्ष या तो किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवा निवृत्त अथवा सेवा-लीन न्यायाधीश अथवा कोई सेवा-निवृत या सेवा-लीन जिलाधीश होगा दूसरा सदस्य कोई सेवा-निवृत या सेवा-लीन जिलाधीश होगा और तीसरा सदस्य एक वकील होगा जिस का सेवा-कार्य दस वर्ष से कम का न हो। अंशतः इस रचना के कारण ही अनेक निर्वाचन-याचिकाओं के निबटायें जाने में विलम्ब होता था। तीन सदस्यों का न्यायाधिकरण बनाने का आशय यह था कि उन के निर्णय अन्तिम हों और किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष उन की कोई अपील या पुनरावृत्ति (रिवीजन) न हो सके किन्तु उच्चतम न्यायालयों में कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद ६ तथा अनुच्छेद १३६ तथा अनुच्छेद २२८ और २२७ द्वारा दी गई शक्तियां अनुच्छेद न्यायाधिकरणों के सम्बन्ध में भी लागू की जा सकती हैं। अतः तीन सदस्यों के न्यायाधिकरण की वर्तमान रचना के कारण जो व्यय और विलम्ब होना उसे दूर करने के लिये धारा ८६ को संशोधित करने की प्रस्थापना है और केवल सेवा-लीन जिलाधीशों के दो सदस्यों वाले न्यायाधिकरण की व्यवस्था का उपबन्ध है। संशोधित धारा १०४ में यह भी उपबन्ध है कि अंतिम आदेश संबंधी किसी प्रश्न पर दो सदस्यों में मतभेद की स्थिति में वह प्रश्न निर्वाचन-आयोग द्वारा मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से उस कार्य के लिये नामनिर्देशित किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिये और तब न्यायाधिकरण उस अन्तिम आदेश को उस न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार बनाये। तो इस प्रकार हमारा यह विचार है कि न्यायाधिकरण में दो न्यायाधीश रहेंगे और यदि उन में मतभेद हो जाय तो निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशित किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वे मत ले सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : दो न्यायाधीशों की क्या जरूरत है?

श्री पाटस्कर : इस प्रश्न पर हम प्रवर समिति में विचार करेंगे। ऐसा करने से मेरा यह ख्याल है कि निर्वाचन-याचिकाओं के निर्णय जल्दी हो सकेंगे। इस समय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी निर्वाचन याचिका को एक न्यायाधिकरण से दूसरे न्यायधिकरण में स्थानान्तरित कर दे। इस का परिणाम यह होता है कि वह अधिकरण जितना समय चाहे उतना लेता है। इस कारण से अनावश्यक व्यय भी होता रहता है। अतः विधेयक के खण्ड ४८ के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है।

मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने के कारण सारे निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाय। अतः धारा १०० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) को हटा कर

उपधारा (२) में हम ने यह प्रस्ताव किया है कि यदि न्यायाधिकरण का यह मत हो कि किसी नाम निर्देशन पत्र को अनुचित रूप में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के कारण किसी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है तो केवल उस निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार यदि बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों में कोई रिश्वत या अनुचित दबाव का किसी निर्वाचन पर प्रभाव पड़ा हो तो वहां से रक्षित स्थान के लिये निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध कहना भी अनुचित है। यह उपबन्ध हम ने धारा १०० की उपधारा (१) में परन्तुक के रूप में जोड़ कर किया है। इह विधेयक में यह बात खण्ड ५३ के अन्तर्गत आई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने जो कहा उस का उल्ट भी तो हो सकता है। सामान्य स्थान के बजाय रक्षित स्थान में भी गड़बड़ हो सकती है।

श्री पाटस्कर : जी हां, इस पर भी प्रवर समिति विचार करेगी। इस के अतिरिक्त ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती कि नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय या उस को जांच के समय कोई व्यक्ति निर्वाचन के योग्य सिद्ध हो और बाद में वह अयोग्य सिद्ध हो जाये। इसके लिये हम ने धारा १०० की उपधारा (२) में एक नया उपबन्ध रखा है कि यदि न्यायाधिकरण उसे अयोग्य समझे तो उस का निर्वाचन अवैध माना जायेगा।

१९५१ के अधिनियम की धारा १२३ (८) के खंड (८) के अनुसार किसी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी ग्राम अधिकारी को धारा १२३ (८) के उपबन्ध से मुक्त कर दे। इस से यह होता है कि कोई ग्राम अधिकारी निर्वाचन के समय किसी व्यक्ति को मत दिलाने का प्रयत्न नहीं कर सकता। इस के कारण अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं इसलिये हम ने खंड (क) में यह उपबन्ध कर दिया है कि राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया जाय।

अनेक फैसलों से यह सन्देह पैदा हो गया है कि जो लोग निर्वाचन एजेंट, मतदान एजेंट अथवा गणना एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्या वे भी उस व्यक्ति के निर्वाचन में सहायक कहलायेंगे। विधेयक के खंड ६० के अन्तर्गत हम ने यही उपबन्ध किया है कि उन्हें सहायक कहा जायेगा।

निर्वाचन आयोग को धारा १३९ या १४० के अधीन यह अधिकार नहीं है कि वह सदस्यता के लिये किसी की अयोग्यता को दूर कर दे किन्तु १४४ के अधीन उसे यह अधिकार दिया गया है। जब उसे एक स्थान पर अधिकार है तो फिर दूसरे स्थानों पर ऐसा ही अधिकार न होना संवैधानिक नहीं है। अतः हमने नई धारा १४०क के अधीन आयोग को यह अधिकार देने का प्रस्ताव किया है। यह बात इस विधेयक में खंड ६५ में आई है।

मै निर्वाचन विधि के लगभग सभी प्रमुख संशोधनों के बारे में कह चुका हूं। एक बात और बता दूं और वह यह है कि पिछले निर्वाचन में हमें यह अनुभव हुआ है कि निर्वाचन व्यय आदि कि जांच के लिये दो महीने का समय बहुत थोड़ा है अतः हम ने धारा ८(१) के खंड (ख) के अधीन यह उपबन्ध किया है कि जिस दिन से निर्वाचन आयोग इस विषय का निश्चय करे उस दिन से दो महीने का समय वैध कहा जायेगा। इसे खंड ३ और ४ के अन्तर्गत इस विधेयक में लाया गया है।

इन दोनों विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व सभा में एक और विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिस का उल्लेख पंडित ठाकुर दास

[श्री पाटस्कर]

भार्गव ने किया है। इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा गया था जिस ने अपना प्रतिवेदन दिया था। उसके बाद यह महसूस किया गया कि उस विधेयक में सारी बातें नहीं आने पाई हैं अतः एक वृहत् विधेयक प्रस्तुत किया जाय। तदनुसार उसे वापस लिया गया और ४ अगस्त को मैं ने यह दो विधेयक पुरःस्थापित किये। इन विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व हम ने उस प्रवर समिति की सिफारिशों पर भली भांति विचार किया है और अधिकांश स्थानों पर हम उन से सहमत हैं।

इन दो विधेयकों में की गई प्रस्थापनायें केवल निर्वाचन आयोग एवं सरकार के गत निर्वाचन सम्बन्धी अनुभव पर ही आधारित नहीं अपितु आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर भी आधारित हैं। इन का क्षेत्र काफी बड़ा है। मुझे आशा है कि प्रवर समिति उन पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और सभा उन्हें स्वीकार करेगी।

अब मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि भारत में निर्वाचित विधान सभाओं का विकास किस प्रकार हुआ। हमारी विधि अंग्रेजी विधि पर आधारित है।

१८३३ तक हमारे देश में सरकार की कार्यपालिका द्वारा दिये गये आदेशों से ही हमारी विधि का निर्माण होता था। ब्रिटेन की संसद् द्वारा १८३३ में पारित चार्टर अधि-नियम द्वारा लार्ड मेकाले भारत के प्रथम लॉ मेम्बर नियुक्त हुये और गवर्नर जनरल की परिषद् भारत की विधान परिषद् बनी।

१८५३ में इस परिषद् में और छः सदस्यों की वृद्धि हुई जिन में से दो व्यक्ति कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के अंग्रेज जज थे।

१८६१ में भारतीय परिषद् अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास में स्थानीय विधान मंडल बने जिन में आधे व्यक्ति ग़ैर-सरकारी होते थे और वे नाम निर्देशित होते थे।

१८९२ में भारतीय परिषद् अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद् एवं स्थानीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का उपबन्ध किया गया। सेक्रेटरी आफ स्टेट की अनुमति से गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह नाम निर्देशन के बारे में नियम बना सकता था। उस समय तक निर्वाचन का कहीं नाम-निशान भी न था।

१९०९ में देश के अशांत वातावरण के कारण मिन्टो-मारले सुधार किये गये और भार-तीय विधान-सभाओं के इतिहास में पहली बार यह उपबन्ध किया गया कि भारतीय एवं स्थानीय विधान परिषदों में कुछ निर्वा-चित सदस्य भी सम्मिलित किये जायें किन्तु ये सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किये जाते थे।

भारत सरकार अधिनियम, १९१९ द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार प्रारम्भ हुये जो मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुकूल थे। इस अधिनियम की धारा ६४ में यह उपबन्ध था कि गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी नियम बनाये जायें, वे ऐसे नियम भी हों कि उन के झगड़ों का किस प्रकार फैसला किया जाय। उसी अधिनियम की धारा ७२क (४) में स्थानीय विधान परिषदों सम्बन्धी उपबन्ध थे। इस प्रकार हमारे देश में निर्वाचन विधि का प्रारम्भ हुआ।

१९२० में भारतीय निर्वाचन अपराध और जांच अधिनियम पारित हुआ जिस में निर्वाचन सम्बन्धी मामलों को तय करने के उपबन्ध थे। निर्वाचन में आचरण सम्बन्धी

यह प्रथम अधिनियम था । इस के बाद भारत सरकार अधिनियम, १९३५ आया । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस अधिनियम के अन्तर्गत १९३७ में पहली बार निर्वाचन हुये थे । इसकी धारा २९१ के अधीन सरकार को समय-समय पर निर्वाचन सम्बन्धी आदेश जारी करने का अधिकार था । इस प्रकार अनेक आदेश जारी होते रहे जिन के विस्तार में जाने की यहां कोई जरूरत नहीं है ।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी निर्वाचन विधि में अभी तक व्यस्क मताधिकार को कोई स्थान नहीं दिया गया था । हम ने स्वयं अपने संविधान में अनुच्छेद ३२६ के अन्तर्गत इसे पहली बार स्थान दिया । संविधान के भाग १५ में जो उपबन्ध हैं और संघ सूची की सातवीं अनुसूची में जो उपबन्ध हैं उन के अनुसार संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ पारित किये गये । निर्वाचन आयोग से काफी परामर्श करने के बाद इन दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत १९५२ में वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण निर्वाचन हुये ।

विधान-सभाओं के इस इतिहास से पता चलता है कि वह अधिक पुराना नहीं है । हमने अपने संविधान में जो उद्देश्य निर्धारित किये हैं वे प्रजातन्त्रीय आधार पर हैं जिनसे स्वतंत्र रूप से निर्वाचन किये जा सकते हैं । यही हमारे प्रजातंत्र में सब से महत्वपूर्ण विषय है। हमें सन्देह था कि भारत जैसे विशाल देश में प्रजातंत्र सफल हो सकेगा या नहीं । अन्य देशों में भी प्रजातंत्र विद्यमान हैं । उदाहरण के लिये ब्रिटेन को ही लीजिये । किन्तु वहां इस का विकास होने में अनेक शताब्दियां लग गईं ।

हमारे संविधान में निर्वाचन पर अधिक जोर दिया गया है । हमारे पिछले निर्वाचन काफी सफल रहे हैं और जनता दिन-पर-दिन उन्हें अपना रही है । हमारा पहला अनुभव होने के कारण १९५० और १९५१ के अधिनियमों में हमें कुछ त्रुटियां भी मिलीं ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : त्रुटियां तो बहुत सी हैं ।

श्री पाटस्कर : उन्हीं को दूर करने के लिये हम ने ये विधेयक प्रस्तुत किये हैं । ज्यों-ज्यों लोक प्रजातंत्रीय विधान को समझते जायेंगे त्यों-त्यों त्रुटियां भी दूर होती जायेंगी ।

गत साधारण निर्वाचन में एक सबसे बड़ी गड़बड़ी यह थी कि बाद में बहुत सी याचिकायें पेश की गयीं और बहुत बार उनकी जांच होती रही । गत साधारण निर्वाचन के परिणामस्वरूप यह बातें लाभदायक सिद्ध होंगी ।

निर्वाचन के संबंध में (क) लोक-सभा में—३९, (ख) राज्य-सभा में—३, (ग) राज्य विधान सभाओं में—२८६, और (घ) राज्य विधान परिषदों में—१०, कुल ३३८ निर्वाचन याचिकायें पेश की गयी थीं । निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने के पूर्व वापस ली गयी याचिकाओं और निर्वाचन आयुक्त द्वारा रद्द की गई याचिकाओं की संख्या १८ थी । आयोग में ३१४ याचिकाओं की अनुमति दी और ६४ निर्वाचन न्यायाधिकरण बनाये गये । जुलाई १९५५ तक निर्वाचन न्यायाधिकरणों पर किया गया कुल व्यय लगभग १६ लाख रुपये था ।

मैं आप के सामने सम्पूर्ण चित्र उपस्थित कर देना चाहता हूं ताकि आप स्वयं निश्चय पर पहुंच जायें । इस को तुलना में यदि हम देखेंगे तो इंग्लैंड में ऐसी याचिकायें बहुत कम दी जाती हैं । गत निर्वाचन के बाद वहां पर अभी केवल एक याचिका पेश की गई है । हमारे देश में निर्वाचन के

[श्री पाटस्कर]

विवादों को ठीक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। इन विवादों को केवल दो विरोधी दलों की मुकदमेबाजी के समान समझा जाता है और न्यायाधिकरण न्यायालय भी ऐसे विवादों और साधारण मुकदमेबाजी में कोई अन्तर नहीं मानते।

निर्वाचन विवाद केवल दो विरोधी दलों की मुकदमेबाजी नहीं बल्कि इस का संबंध जनता को अपनी पसन्द का प्रतिनिधि विधान सभा या संसद् में भेजने के अधिकार से है। हम को इन विवादों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये।

मैं इन अधिनियमों के इतिहास के बारे में बताऊंगा, प्रारम्भ में, ब्रिटेन में, संसद् अपनी एक समिति नियुक्त कर के यह तय करती थी कि अमुक सदस्य का चुनाव वैध है। राजनैतिक पक्षपात को पूरा करने के लिये १८६८ के संसदीय निर्वाचन ऐक्ट (अधिनियम) के अनुसार यह अधिकार एक न्यायाधीश को दे दिया गया बाद में १८७९ में संसदीय निर्वाचन भ्रष्टाचार अधिनियम के अनुसार इसके लिये न्यायाधीशों की संख्या दो कर दी गयी। पर इन दोनों ऐक्टों के कारण संसद् के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९४९ में १८६८ के अधिनियम को रद्द कर के समय-समय पर पारित किये गये सभी उपबन्धों को सम्मिलित कर लिया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका में कांग्रेस की प्रत्येक सभा के संविधान को निर्वाचन विवादों के निपटाने का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के अनुच्छेद १ की धारा ५ के खंड (१) में यह उपबन्ध है।

"प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के निर्वाचनों, चुनावों और अर्हताओं का निर्णयक होगा"

हमारे संविधान निर्माताओं, जिस में विरोधी दल के माननीय सदस्य भी हैं, को पता था कि हम लोग स्वतंत्र और न्यायपूर्वक निर्वाचन के लिये ही पर्याप्त उपबन्ध नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे न्यायालयों से दूर रखने का भी उपबन्ध कर रहे हैं। इसीलिये अनुच्छेद ३२९ में स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि किसी भी निर्वाचन पर संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद् द्वारा निश्चित विधि के अनुसार निर्वाचन याचिका पेश न की जाये। इसीलिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में विस्तृत व्याख्या की गई थी कि निर्वाचन याचिकाओं का परीक्षण विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाये। इस का मुख्य आशय यह था कि निर्वाचन याचिकाओं का निर्णय जल्दी हो जाया करे। अनुभव से पता लगा है कि इन न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली तथा उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अनेक आदेशों के कारण इन विवादों के निबटारे में काफी विलम्ब हुआ है।

मैं न्यायपालिका के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि भारत के न्यायाधीश इंग्लैंड के न्यायाधीशों की भांति जनता की न्यायभावना को भली भांति समझते हैं और अब उन को कोई छूट मिलती है तो वे एक सीमा के भीतर न्याय करते हैं और जब उन्हें कोई छूट नहीं मिलती तो वे कभी कभी ऐसा निर्णय देते हैं जो जनता की रुचि के अनुसार नहीं होता। ऐसे मामलों में वे चाहते हैं कि उचित प्राधिकारी कुछ उपाय करें। मैं समझता हूं कि हमें इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिये कुछ करना चाहिये। इसी कारण विभिन्न प्रजातन्त्र देशों के संबंध में यह सब बातें मैं ने आप के सामने रखीं। मैं किसी विशिष्ट उपबन्ध की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं ने केवल इसी उद्देश्य को सामने रख कर यह सब कहा कि हम इन

मामलों को शीघ्रता से निबटाने के लिये कुछ करना चाहिये । मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति इन सब बातों पर विचार करेगी।

मैं सभा से अपने प्रस्तावों को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मुझे श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन की पूर्व सूचना मिली है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि प्रथम प्रस्ताव मैं "the mover" ["प्रस्तावक"] शब्द के पश्चात् यह अंश जोड़ा जाय :

"With instructions that matters other than those dealt with in the Bill, but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of the People Acts, 1950 and 1951 (XLIII 1950 and 1951) be considered and amendments allowed to be moved and made and also,"

["इन अनुदेशों के साथ कि उन मामलों पर जिन का विधेयक में वर्णन नहीं किया गया है परन्तु जिन का सामान्यतया निर्वाचन से सम्बन्ध है, तथा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (१९५० और १९५१ का ४३वां) में वर्णित मामलों पर विचार किया जाय और संशोधनों का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाये । और यह भी कि"]

(२) कि द्वितीय प्रस्ताव में "the mover" ("प्रस्तावक") शब्द के बाद यह अंश जोड़ा जाये :—

"With instructions that matters other than dealt with in the Bill, but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of People Acts, 1950 and 1951 (XLIII of 1950 and 1951) be considered and amendments allowed to be moved and made and also,"

["इन अनुदेशों के साथ कि उन मामलों पर जिन का विधेयक में वर्णन नहीं किया गया है परन्तु जिन का सामान्यतया निर्वाचन से सम्बन्ध है, तथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (१९५० और १९५१ का ४३वां) में वर्णित मामलों पर विचार किया जाय और संशोधनों का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाये और यह भी कि"]

माननीय मंत्री ने एक स्पष्ट भाषण दिया है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं—जैसा कि श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन ने कहा था, कि यदि कुछ सुधार किये जाये तो स्वतन्त्र और ईमानदार निर्वाचन हो सकता है । कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर प्रवर समिति में चर्चा करना आवश्यक है । यदि आप निर्वाचन याचिकाओं की संख्याओं को देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि ३३६ में से २०० से अधिक याचिकायें अनुचित व्यय और नाम निर्देशन को रद्द करने के सम्बन्ध में थीं ।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

शेष याचिकायें अन्य प्रकार की थीं और २९,००० उम्मेदवारों में इतनी थोड़ी संख्या एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। अतः हमें ठीक प्रकार से विचार करना चाहिये कि क्या हमें निर्वाचन के व्यय का सारा ब्योरा जमा करने के लिये कठोर नियम बनाने चाहिये। इसके अतिरिक्त अनर्हता आदि के संबंध में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको विधेयक में नहीं रखा गया है।

श्री पाटस्कर : इन सब बातों पर निश्चय ही प्रवर समिति में विचार किया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव। अनर्हताओं के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के भिन्न भिन्न निर्णय हैं। धारा ७ को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री एन० सी० चटर्जी : धारा ७ के अनुसार निर्वाचन व्यय का विवरण समय के भीतर जमा न करने से व्यक्ति को अनर्ह घोषित कर दिया जाता है। प्रवर समिति को इस मामले पर भी विचार करना चाहिये। अतः धारा ७ को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय भी ऐसी समस्या प्रस्तुत हुई थी। १६ धाराओं में से केवल ४ धारायें ली गयी थीं। प्रधान मंत्री ने उस समय कहा था कि अन्य मामलों पर विचार करने का अधिकार होना चाहिये। दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन के समय भी ऐसी ही बात हुई थी। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति के ऊपर ऐसा कुछ प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि वह अमुक बात पर ही विचार करे और अमुक बात पर न करे। मैं आशा करता हूं कि सभा को और मंत्री महोदय को इस संबंध में कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होनी चाहिये ताकि प्रवर समिति अपना कार्य ठीक प्रकार कर सके।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इन भाषणों पर ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास काफी समय है।

श्री पाटस्कर : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा श्री एन० सी० चटर्जी से एक बात कहना चाहता हूं। उनके भाषण सुनने के बाद हमें पता लगता है कि विधेयक के उपबन्धों पर विचार करते समय प्रवर समिति सभी बातों पर विचार करेगी। उदाहरण के लिये विधेयक का खंड ७७ लीजिये। हमारे सामने जो योजना है उस में यह कोई जिक्र नहीं है कि निर्वाचन के खर्चे का ब्योरा जमा किया जायेगा। पहले दो कार्य थे। एक हिसाब रखना और दूसरा निर्वाचन के व्यय का ब्योरा जमा करना।

श्री के० के० बसु : (डायमंड हार्बर) : तब भी क्या आपत्ति है?

श्री पाटस्कर : सदस्यों को विधेयक के उपबन्धों पर विचार कर लेने दीजिये। यदि अन्त में यह आवश्यक हो कि किसी बात पर विचार करना हैं, किन्तु यदि उस के लिये मेरे द्वारा किसी संशोधन के स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता होगी, तो उस समय मेरा ध्यान आकर्षित करना उचित होगा। इस समय कोई संशोधन स्वीकार करना मेरे लिये कठिन होगा। अतः मैं सभापति से एक अपील करना चाहता हूं। चर्चा तीन दिनों तक चलेगी। ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छोड़ी गयी है जो प्रवर समिति के सामने आनी चाहिये थी। यदि ऐसी कोई बात होगी तो मैं उसका ध्यान रखूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधि और प्रथा के अनुसार हम ऐसी किसी बात पर प्रवर समिति में विचार नहीं कर सकते जिस का उल्लेख इस विधेयक में नहीं किया गया है। जैसे अनर्हताओं की बात लीजिये।

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय दिये हैं। इस सम्बन्ध में धारा ७ को लिया जाना चाहिये था पर उस के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। अत. प्रवर समिति इस संबंध में कुछ भी विचार नहीं कर सकती। अतः मैं चाहता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की भांति हमें प्रवर समिति को निर्देश देना चाहिये कि वह ऐसे मामलों और संशोधनों पर भी विचार कर सके। अतः १९५० के अधिनियम ४३ और १९५१ के अधिनियम ४३ के अधीन आने वाले सभी मामलों पर विचार करने के लिये प्रवर समिति को अनुमति दी जानी चाहिये। हम सभी सदस्यों को कुछ न कुछ अनुभव है ही; हम जानते हैं कि क्या क्या कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। दोहरे निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी हमारे सामने तरह तरह की समस्यायें आती हैं, इसी प्रकार अन्य कठिनाइयां भी हैं जिन के संबंध में हम प्रवर समिति में चर्चा नहीं कर सकेंगे। मेरा विनम्र सुझाव यह है कि प्रवर समिति के सदस्यों को १९५० तथा १९५१ के अधिनियमों का अध्ययन कर संशोधन रखने चाहियें—सदस्यों को चुनाव कार्य के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें दूर करने के लिये भी इन संशोधनों पर विचार करना उचित होगा।

सभापति महोदय : हम इस विधेयक पर १६ घंटे चर्चा करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि ३६ करोड़ व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखता है। अतः इसकी यथासम्भव पूर्ण होना चाहिये। इस समय हम भाषणों को जारी रखेंगे।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। वह यह है कि सभा ने मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये एक प्रस्ताव पर विचार करना था। उस प्रस्ताव पर एक संशोधन उस के क्षेत्र को व्यापक करने के आशय से रखा गया। अब मंत्री जी के लिये उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। अब सारी सभा ही इस बात का निर्णय करेगी कि उसका क्षेत्र व्यापक किया जाय अथवा नहीं।

श्री पाटस्कर : निःसन्देह, मैं नहीं कह सकता, न मैंने कभी कहा ही है कि मैं उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करता हूं। प्रश्न जितना मैं समझ सका हूं यह है कि वस्तुतः मैं आशा भी नहीं करता कि सदस्य सभी प्रश्न रखेंगे—इस समय मुझे यह ज्ञात होता है कि ये मामले प्रवर समिति के विवाद के क्षेत्र से बाहर रहेंगे। कुछ भी हो, हमें विधेयक पर विचार करना चाहिये और यदि चर्चा के दौरान में हमें यह ज्ञात हो कि कुछ बातें विधेयक की सीमा में नहीं आतीं, यद्यपि वे महत्वपूर्ण तथा स्वीकार किये जाने योग्य हैं, तो मैं उन पर विचार करने को प्रस्तुत हूं। हमें विधेयक की चर्चा करनी चाहिये तथा जैसे जैसे हम बढ़ते जायेंगे, हमें इस बात का ज्ञान होता ही जायेगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं इसी सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। संशोधन प्रस्तुत किये जाने पर अब यह आप के अधिकार में है यदि आप संशोधन की अनुमति देंगे तो आप पूर्व सूचना मांगेंगे तब मुख्य प्रस्ताव तथा संशोधन पर चर्चा होगी तथा विधि-कार्य मंत्री तथा संसद-कार्य मंत्री को सहमत होने का अवसर मिलेगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : वस्तुतः हमारे तथा सरकारी पक्ष के बीच कोई मतभेद नहीं है। वे लोग भी किसी बात को पृथक से नहीं रखना चाहते हैं। हम लोग भी केवल उसे वैध रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस से कि संशोधन प्रस्तुत करने में दिक्कतें न हों। मैं प्रवर समिति का सदस्य रहा हूं तथा मैं कह सकता हूं कि इस में वे सारे प्रश्न नहीं हैं जिन्हें हम प्रवर समिति के सुझाव रखना चाहते

[श्री एन० सी० चटर्जी]

थ । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि प्रवर समिति को सारे मूल विधेयक को लेना चाहिये तथा प्रवर समिति हमें एक सम्पूर्ण प्रतिवेदन दे ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : यह संशोधन विधेयक, १९५० तथा १९५१ के अधिनियमों के संशोधन के लिये लाया गया है । यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें उन बुराइयों को रोकना है जो कि इन चुनावों से पैदा हुई हैं ।

यद्यपि एक पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था वाले देश में वयस्क मताधिकार का अधिकार महत्वपूर्ण वस्तु है, तथापि, जब तक समाज में विषमता है, मिल मालिक व मजदूर हैं, तब तक उन पर दबाव पड़ता रहेगा । यह दबाव राजनीतिक भी हो सकता है इसलिये हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि इस प्रकार का कोई अवांछनीय प्रभाव चुनावों पर न पड़ सके ।

निष्पक्ष, तथा सच्चे चुनावों का तात्पर्य यह है कि हम धन का अवांछनीय प्रभाव न पड़ने दें । हमें इस प्रकार का कदम उठाना चाहिये कि धनिक लोग किसी प्रकार अनुचित लाभ न उठा सकें । दूसरा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि सरकारी पदाधिकारी शासकीय पक्ष की सहायता के लिये मतदाताओं पर दबाव न डाल सकें ।

धन के प्रभाव से मुक्ति के अन्तर्गत यह बात भी आ जाती है कि एक धनहीन व्यक्ति भी बिना किसी असुविधा के चुनाव लड़ सकें । यह धारणा कि केवल पढ़े-लिखे ऊंची श्रेणी के लोग ही जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, बदल जानी चाहिये । गरीब लोगों को जीवन के दुःखों और संघर्षों का व्यवहारिक अनुभव होता है. इसलिये प्रतिनिधान विधि में दो सिद्धान्तों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये पहिला सिद्धान्त यह कि हमारी चुनाव विधि सरल और प्रगतिशील हो, और दूसरे , वह मितव्ययी हो ।

यदि हम चुनाव में धनवान व्यक्तियों के प्रभाव को रोकना चाहें तो हमें चुनाव व्यय में किये जाने वाले अधिकतम व्यय में एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी । वर्तमान सीमा को और भी कम करना होगा । इस समय किसी व्यक्ति के लिये दल द्वारा किये गये व्यय का लेखा नहीं लिया जाता । कुछ भी हो, व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले व्यय की सीमा घटा देनी चाहिये । हम जानते हैं कि चाला पल्लई के राजा साहब ने चुनाव के लिये पांच लाख रुपये व्यय किये किन्तु वह जीत नहीं सका ।

सभापति महोदय : सदस्यों को सभा में किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करना चाहिये, विशेषतः जब कि अमुक व्यक्ति सभा में उपस्थित न हो ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन के निर्वाचिन क्षेत्र में सभी इस बात को जानते हैं । वहां भी इस बात के लिये कुछ संविहित उपबन्ध अवश्य होंगे, किन्तु उन की ओर ध्यान नहीं दिया गया । इसी लिये मैं चाहती हूं कि किसी दल के सदस्य के लिये व्यय की उच्चतम सीमा घटा दी जाये ।

कुछ अन्य प्रश्नों की ओर में आप का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । लोक-सभा की सदस्यता के लिये, तथा मतदाता सूची के लिये ५०० रुपये और २५० रुपये, क्रमशः, जमा करने पड़ते हैं जो कि बहुत बड़ी राशि है । साथ ही साथ झूठे मत को चुनौती देते समय ही १० रुपये जमा करने पड़ते हैं । यह बहुत अधिक राशि है ।

एक और बात पर भी मैं प्रवर समिति से विचार करने को कहूंगी वह यह है कि सदस्यता की याचिका प्रस्तुत करते समय १,००० रुपये प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यह भी बहुत अधिक राशि है। इस के अलावा चुनाव के दिन मतदाताओं को निर्वाचन स्थान तक पहुंचाने के साधनों की संख्या पर, जिस की सीमा भी निर्धारित की गई है, प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है।

यद्यपि हम लोग वयस्क मताधिकार की दुहाई देते हैं तथापि हमारी चुनाव विधि में ही कुछ ऐसी बातें हैं जहां वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को नहीं माना जाता है। उदाहरण स्वरूप मेरे राज्य में राज्य सभा के चुनाव में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से एक ऐसा सदस्य लिया गया है जो कि उस द्वारा दिये गये करों या शिक्षा सम्बन्धी योग्यता के आधार पर लिया गया है। दूसरे, यह चुनाव भी परोक्ष रूप से होता है। स्थानीय निकाय, राज्य विधियों के अन्तर्गत निर्मित हैं, किन्तु चुनाव आयोग तथा संसद् को यह देखना चाहिये कि वहां भी वयस्क मताधिकार तथा गूढ़ शलाका द्वारा मतदान प्रणाली के सिद्धांतों का पालन होना चाहिये।

मेरा एक अन्य प्रश्न सदस्यों की अनर्हताओं के संबंध में है। निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों तथा धनिक वर्ग के लोगों के दबाव से राजनीति को बचाने के लिये यह एक आवश्यक शर्त है तथा विशेषत: ठेकेदारों के संबंध में अनर्हता अनिवार्य है। प्रस्तावित संशोधन से अनर्हता पर चुनाव पदाधिकारी के द्वारा जांच के समय कोई तर्क नहीं किया जायेगा, केवल इस के आधार पर चुनाव याचिका भेजी जा सकेगी। मेरे विचार से इतने विलम्ब से चुनाव इत्यादि में व्यय हो जाने के बाद याचिका प्रस्तुत करना व्यर्थ है अत: इस संशोधन पर आपत्ति की जानी चाहिये। तथा मूल विधि में से भी 'उपर्युक्त सरकार' शब्दों को हटा देना चाहिये। किसी व्यक्ति का सरकारी ठेकेदार होना ही उस व्यक्ति की अनर्हता के लिये पर्याप्त होना चाहिये।

कुछ अन्य अनर्हतायें दूर हो जानी चाहियें। उदाहरण स्वरूप, यदि आप को दो वर्ष से अधिक के लिये सजा हो जाये तो आप अनर्ह हो जायेंगे। हमारे एक सहयोगी इस समय बिहार सार्वजनिक सुरक्षा आदेश के अन्तर्गत लगभग दो वर्ष से वन्दी हैं और कुछ ही महीनों के उपरान्त वे अनर्ह हो जायेंगे। कांग्रेस सरकार को भली भांति ज्ञात है कि केवल राजनैतिक कारणों से कई व्यक्तियों को सजा दी जाती है। उन्हें अनर्ह करना ठीक नहीं।

एक और खंड भी है कि राज्य के प्रति निष्ठा न होने पर सदस्य को अनर्ह बना दिया जायेगा। किन्तु राज्य के प्रति अनिष्ठा का क्या तात्पर्य है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि अनिष्ठा या अभक्ति का क्या तात्पर्य है। इसी संबंध में एक संशोधन इस प्रकार का है कि चुनाव आयोग अनर्हताओं पर विचार करा के उन्हें क्षमा कर सकता है। मेरा सुझाव है कि ठकेदारों तथा भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें माफी न दी जाये।

धन के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये, गोपनीयता बढ़ानी चाहिये, नामों के सामने संख्या लिखने की प्रथा ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि चुनाव के स्थान पर संख्यायें नहीं लिखी जानी चाहियें।

यहां मैं डाक द्वारा मतदान का उल्लेख करूंगी। यह प्रणाली असफल इसलिये रही है कि सैनिक बल के बहुत से लोगों ने डाक द्वारा मतदान नहीं किया क्योंकि उस में हस्ताक्षर करने पड़ते थे। सैनिक बल के किसी भी व्यक्ति के लिये विरोधी पक्ष के सदस्य को मत देना सम्भव नहीं है। अत: कोई ऐसी

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

प्रणाली विकसित की जाये कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे।

एक सिद्धान्त यह होना चाहिये कि अधिकतम व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसलिये मतदानस्थल एक मील के भीतर ही होना चाहिये क्योंकि कई लोग दूरी के कारण अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते ; विशेषत: स्त्रियों को दूरी से आकर मत देने में बड़ी कठिनाई हो जाती है ।

दूसरा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि शासक दल सरकारी कर्मचारियों को मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिये काम में न लायें। पिछले चुनावों में हम ने देखा कि विरोधी दल के विरूद्ध मतदाताओं को भड़काने का कार्य में सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किया गया ।

श्री कामत : बिल्कुल ठीक ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमारे लिये कोई उपाय कर सकना असम्भव था जबकि मंत्रियों ने अपने पद का लाभ उठा कर यह कह कर प्रचार किया कि अपने राजनीतिक विचारों का प्रचार करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। पिछले त्रावनकोर-कोचीन के निर्वाचन में भी हम ने देखा था और जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, श्री जवाहरलाल नेहरु के निर्वाचन-दौरे में सरकारी निधि में से राज्य सरकार ने कुछ राशि व्यय की थी। किन्तु बताया यह गया था कि उन की वैयक्तिक सुरक्षा के लिये ऐसा किया गया था । मुझे स्मरण है कि पिछले निर्वाचन में श्री नेहरु ने सारे भारत का भ्रमण एक विशेष 'विमान' से किया था। क्या विरोधी दल के लिये ऐसा करना सम्भव है? इस के अतिरिक्त पिछले सामान्य निर्वाचन में मंगलौर का हवाई अड्डा उन्हीं के लिये विशेष रूप से जल्दी तैयार कराया गया था। मंगलौर से कन्नूर तक उन्होंने विशेष रेलगाड़ी से यात्रा की थी। क्या ये सारी चीजें सही नहीं हैं? हर आदमी ये सब बातें जानता है।

मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जबकि ये लोग इस प्रकार अपने दल का प्रचार करते हैं तो वणिज्यिक और औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने वाले मजदूरों पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं कि वे चुनाव में किसी का प्रचार नहीं कर सकते और ऐसा करना सेवा की शर्तों के विरुद्ध है। दिखाया यह जाता है कि निष्पक्षता की जाती है, परन्तु वास्तव में होता यह है कि सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों के लिये किये गये प्रचार कार्य की ओर आंखें मूंद ली जाती हैं। इस के विपरीत विरोधी दल के साथ पक्षपात का तनिक भी सन्देह होने पर अधिकारियों द्वारा चेतावनी दी जाती है तथा अन्य विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के बिना किसी अपवाद के उन लोगों को निर्वाचन में किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिये अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। जो सरकारी नौकरी के द्वारा मतदाताओं पर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा केवल संसद् के संविहित उपबन्ध के द्वारा ही किया जा सकता है । इस संशोधक विधेयक में एक उपबन्ध यह रखा गया है कि भविष्य में राज्य सरकारें, यदि चाहें तो, कुछ सरकारी कर्मचारियों को प्रचार में भाग लेने के लिये अनुमति दे सकेंगी। यदि सरकारी कर्मचारियों को इस के लिये अनुमत्ति दे दी गई है, भले ही वह अपवाद स्वरूप हो, तो उसका परिणाम यह होगा कि उन से कांग्रेस का प्रचार कार्य करवाया जायेगा।

इस कारण में इस प्रकार के उपबन्ध के सर्वथा विरुद्ध हूं ।

इस के अतिरिक्त वणिज्यिक और औद्योगिक संस्थाओं के मजदूरों और रेलवे तथा डाक और तार विभाग के समान स्तर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों आदि को, जिसे भी वे चुनें, उसका प्रचार करने की अनुमति होनी चाहिये । अन्यथा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने का अवसर अर्थात् अपनी पसन्द के उम्मीदवार का प्रचार करने का अवसर खोना पड़ेगा । वे इस से वंचित रह जायेंगे । ऐसा करना तो उन्हें निर्वाचन में भाग लेने के मूल अधिकार से वंचित करना होगा । जब कि एक मंत्री को यह अधिकार है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक राजनीतिक दल को अपने पद के कारण लाभ पहुंचा सकता है तो फिर आप मजदूरों का यह अधिकार क्यों छीनते हैं ?

हम केवल यह चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी ऐसा होने के नाते मतदाता पर प्रभाव डालते हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाये । इसीलिये हम धारा १२३(८) की व्याख्या में परिवर्तन किये जाने का जोरदार विरोध करते हैं ।

सत्ताधारी दल निर्वाचन-प्रचार के सम्बन्ध में रेडियो से भी काम लेता है । समाचारपत्र तो पहले से ही उन के पक्ष में हैं । परन्तु रेडियो का उपयोग पूर्णतः कांग्रेस दल द्वारा किया जाता है । बहाना यह है कि मंत्री केवल राजनीतिक वाद-प्रतिवाद पर ही नहीं वरन् पंचवर्षीय योजना आदि पर भी बोलते हैं ।

हमारी मांग यह है कि सामान्य निर्वाचन के दौरान में आकाशवाणी का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग की सामान्य देख रेख में संचालित होना चाहिये, और सभी दलों को रेडियो के जरिये अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिये । अन्य समय भी रेडियो सभी दलों के नेताओं के लिये उपलब्ध रहना चाहिये और मंत्रियों के जरिये केवल कांग्रेस दल के लिये ही रक्षित नहीं रहना चाहिये ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि माइक्रोफोन के प्रयोग में कोई भेद भाव नहीं बरता जाना चाहिये । यद्यपि स्थानीय विधियों द्वारा बिना लाइसेंस के माइक्रोफोन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध रहता है, तथापि प्राय देखा जाता है कि सत्ताधारी दल इन विधियों का उल्लंघन करता है ।

अतः पूजा के स्थानों अथवा अस्पतालों के समीप के स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर माइक्रोफोन के किसी भी पक्ष द्वारा उपयोग करने पर रोक नहीं होनी चाहिये ।

मैं इस विधेयक की इन प्रस्थापनाओं का स्वागत करती हूं कि निर्वाचन जल्दी जल्दी होने चाहियें और मत गणना काल के समय में यथासम्भव कमी की जानी चाहिये ।

निर्वाचन-याचिका के कारणों सम्बन्धी प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि गणना का कार्य जितना भी सरल हो उतना ही अच्छा रहेगा । इस विधेयक में निर्वाचन आयोग को एक न्यायाधिकरण से दूसरे न्यायाधिकरण में अभियोग स्थानान्तरित करने की शक्ति देने के सम्बन्ध में एक संशोधन रखा गया है। किन्तु हम चाहते हैं कि किसी भी मामले में एक सदस्य की बेंच न बनाई जाये जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव रखा है ।

निर्वाचक-नामावली के सम्बन्ध में मेरी समझ से यह उपबन्ध है कि १९५६ में उस की पुनरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसा करना बड़ा गलत होगा क्योंकि १९५७ में सामान्य निर्वाचन ही होने जा रहा है अतः उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पाटस्कर : यह प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है । अब इस की आवश्यकता नहीं है । अब उस का केवल पुनरीक्षण किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जहां तक मैं समझ सकी हूं मुझे ऐसा जान पड़ा है कि १९५६ में पुनरीक्षण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । इसके पश्चात् मैं विस्थापित व्यक्तियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगी कि पूर्वी पाकिस्तान से हज़ारों की संख्या में जो विस्थापित व्यक्ति आ रहे हैं उन का वर्गीकरण किया जाना चाहिये और छः मास रहने पर उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये । यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ।

निर्वाचक-नामावली का खूब प्रचार होना चाहिये और सभी राजनीतिक पक्षों को अन्तिम प्रारूप सूची दी जानी चाहिये जिससे उसमें और नाम जोड़ जा सकें और परिवर्तन किये जा सकें । पररूपधारण अथवा जाली मत देने को रोकने के लिये मृतकों की सूची निर्वाचन से पन्द्रह बीस दिन पूर्व टंगवा दी जानी चाहिये ।

मैं अपने राज्य के लिये एक सुझाव यह भी देना चाहूंगी कि निर्वाचक-नामावली वर्णों के आधार पर न होकर गांवों के आधार पर ग्रामवार होनी चाहिये । मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में ऐसा किया जा रहा है । किन्तु हमारे राज्य में ग्रामवार निर्वाचक-नामावली नहीं तैयार की जाती है । मैं चाहूंगी कि यह चीज सम्पूर्ण भारत में लागू की जानी चाहिये । अतः मैं प्रवर समिति से निवेदन करूंगी कि वह इस विधेयक और उस के सम्पूर्ण खण्डों पर विचार करे और उन खण्डों के प्रश्न पर कोई प्रतिबन्ध न रहे जिन को संशोधक विधेयक में नहीं रखा गया है ।

श्री कामत : मैं प्रारम्भ में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सभा के अधिकांश सदस्यों की अपेक्षा निर्वाचन का अनुभव मुझे अधिक है । संविधान द्वारा स्थापित निर्वाचन आयोग के कार्य की भी मैं सराहना करता हूं । निर्वाचन आयोग के बहुत कुछ पक्षपात रहित कार्य संचालन का अनुसरण राज्यों, जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकारिणी-व्यवस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है । अब मैं निर्वाचक-नामावली के तैयार किये जाने से लेकर निर्वाचन याचिका की अन्तिम प्रक्रिया तक के विषय में कुछ कहूंगा जिस का उल्लेख स्वयं माननीय मंत्री ने किया था ।

जहां तक निर्वाचक-नामावली तैयार करने का प्रश्न है, देश के समस्त संगठित दलों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे उन मतदाताओं की सूची यथोचित प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत कर सकें जिन के नाम जान बूझ कर अथवा गलती से निर्वाचक-नामावली के प्रारूप में दर्ज होने से रह जाते हैं । इस का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं । सामान्य निर्वाचन और उप-निर्वाचन दोनों में ही मेरा नाम नामावली में नहीं था । बाद में अपना नाम दर्ज करवाने के लिये मुझे शुल्क देना पड़ा था । अतः मेरा सब से पहला सुझाव यह है कि किसी निश्चित तिथि तक इन नामों के बिना किसी शुल्क के दर्ज किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये । जिस की जांच बाद में सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा की जानी चाहिये । मेरी समझ से तो सम्भव हो सके तो दो अन्यथा कम से कम एक निर्वाचक-नामावली की सूची प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को निःशुल्क मिलनी चाहिये

जिस के लिये इस समय ५०० - ६०० रुपये देने पड़ते हैं और प्रत्येक राज्य के दल की समिति को उस के उपयोग के लिये तीन निःशुल्क प्रतियां मिलनी चाहिये । मतदान और मतगणना के सम्बन्ध में मैं श्रीमती चक्रवर्ती के इस कथन से पूर्ण सहमत हूं कि देश के अधिकांश भागों में कार्यपालिका मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था । इस के मैं दो-एक उदाहरण दूंगा ।

हमारे देश में सामान्य निर्वाचन मे पूर्व मंत्री और प्रधान मंत्री सरकारी मोटरों और हवाई जहाज़ों में चढ़ कर अपने दल के सदस्यों का प्रचार करन के लिये दौरा किया करते हैं । इतना ही नहीं, होशंगाबाद में तो हवाई जहाज़ को उतारने की पट्टी बनाने का प्रस्ताव था जो अन्ततोगत्वा भूमि के उपयुक्त न होने के कारण कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता । खण्डवा से जबलपुर तक विशेष रेलगाड़ी का प्रबन्ध किया गया था जिस का व्यय मुझे पता नहीं कि राज्य ने दिया अथवा अन्य किसी ने । किन्तु सत्तारूढ़ दल द्वारा अथवा प्रशासन द्वारा सरकार के साधनों का दुरुपयोग किया जाना निन्दनीय है । ब्रिटिश मज़दूर दल के नेता और —तत्कालीन प्रधान मंत्री मिस्टर एटली, १९५१ में ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के भंग हो जाने के पश्चात् अपनी निजी मोटर में घूमे थे । ऐसी खबर समाचार-पत्र में छपी थी ।

मेरे मित्र द्वारा आल इंडिया रेडियो का निर्देश किया गया था । यह तो सत्तारूढ़ दल का मेगाफोन है जिस का उपयोग युद्ध के पश्चात् भी दलों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है । इस पर तो सरकार का एकाधिकार है आज आल इंडिया रेडियो से किसी छोटे मंत्री या सभा सचिव द्वारा किसी चाय या पान की दुकान का उद्‌घाटन करने तक के समाचार प्रसारित किये जाते हैं जबकि दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण जैसे देश के प्रमुख नेता के उस भाषण का उल्लेख तक रेडियो से नहीं किया गया था जो उन्हों ने प्रधान मंत्री के भाषण की आलोचना करने के सम्बन्ध में दिया था । मैं इस सम्बन्ध में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के इस कथन का समर्थन करता हूं कि इंग्लिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति यहां भी सामान्य निर्वाचन में रेडियो का उपयोग करने का अधिकार सभी दलों को दिया जाये । बी० बी० सी० सामान्य निर्वाचन के समय सभी दलों को प्रसारण करने के लिये इजाज़त देता है ।

नामनिर्देशन पत्र के सम्बन्ध में मैं सुझाव देता हूं कि उन की जांच डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर द्वारा न की जाकर ज़िला के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये ।

जहां तक मतदान स्थानों का सम्बन्ध है गांव से ५ या ५ १/२ मील की दूरी पर न हो कर या जंगलों में न हो कर सामान्यतः एक डेढ़ मील से अधिक दूर नहीं होने चाहियें ।

पिछले निर्वाचन में गणना के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें की गई थीं । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने नागपुर तथा अन्य राज्यों का दौरा किया था और बाद में बताया था कि शलाका पेटियां (बैलट बाक्स) ऐसी थीं जिन की सील तोड़े बिना या जिन को खोले बिना शलाका पत्र निकाले जा सकते थे । यद्यपि निर्वाचन याचिका के लिये यह सिद्ध करना पड़ता था कि उन में कुछ गड़बड़ी की गई है जिस का सिद्ध करना अनेक मामलों में बड़ा कठिन था । मैं यह कहना चाहूंगा कि शलाका पेटियां ऐसी होनी चाहियें जिन में जाल न किया जा सके ।

[श्री कामत]

शलाका पेटियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में यह भी किया जा सकता है कि गणना मतदान के दो तीन दिन बाद ही हो जाये। मतदान के बाद मतगणना में पिछले निर्वाचन की भांति पांच छः सप्ताह नहीं लगने चाहियें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान पर निर्वाचन ३० दिसम्बर १९५१ को हुआ था जब कि गणना ३ फरवरी १९५२ को हुई। इस बीच में कहा जाता है कि शलाका पेटियां एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान ले जाई गईं। इस कारण मैं ने अपने उप-चुनाव में निर्वाचन आयुक्त से कहा कि उम्मीदवार को यह अनुमति होनी चाहिये कि वह शलाका पेटियों के हटाये जाने के समय या तो स्वयं उपस्थित रहे या अपने किसी अभिकर्ता को इस के लिये नियुक्त कर दे। इस के अतिरिक्त शलाका पेटियां ऐसी होनी चाहियें जिन में किसी प्रकार की शरारत न की जा सके। हमारे देश के सरकारी अफसरों में अभी तक लोकतन्त्र की भावना पूर्णतः नहीं आ पाई है। उन्हें कोई भी हारे या जीते इस से कोई मतलब नहीं होना चाहिये। उदाहरण के लिये इंगलैंड में किसी को गणना आदि के विषय में कोई मतलब नहीं रहता। सरकार पर सभी को भरोसा रहता है। पिछले चुनाव में कुछ ऐसी घटनायें हुई थी जिन से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों पर मंत्रियों तथा अन्य बड़े बड़े अधिकारियों का प्रभाव पड़ता है।

सरकार की दुर्भावना का एक उदाहरण निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ २०७ की सिफारिश संख्या १८ में मिलता है। उसमें निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि मूल अधिनियम की धारा १२९ सभी कर्मचारियों पर बिना किसी अपवाद के, लागू की जानी चाहिये। यह धारा बड़ी महत्वपूर्ण है और निर्वाचन आयोग का सामान्य निर्वाचन में यह अनुभव रहा कि यह धारा न केवल अधिष्ठता पदाधिकारी अथवा निर्वाचन पदाधिकारी पर ही लागू न हो कर सारे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु कुछ विधियां ऐसी भी हैं जिन के अधीन किसी उम्मीदवार विशेष का प्रचार करने पर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कामत : निर्वाचन याचिका तो बाद में दायर की जाती है किन्तु विधि में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। संशोधक विधेयक में ही क्यों न इसे सम्मिलित कर दिया जाये?

श्री एस० एस० मोरे : इस का निर्णय कौन करे कि विधि का उल्लंघन किया गया है ?

श्री कामत : मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन की इस सिफारिश पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। यदि यह व्यवस्था विधि में है तो निर्वाचन आयोग द्वारा इस सिफारिश करने की अवश्यकता नहीं थी। मंत्री अनुभवी पदाधिकारी की अपेक्षा अधिक जानते हैं।

मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और देने हैं और वे ये हैं कि शलाका पेटियां सीलबन्द करके बोरों में बन्द कर दी जाये जिन पर निर्वाचन पदाधिकारी तथा ऐजेंट की सीलें लगी हों। कई बार गणना में भी गड़बड़ी हो जाती है जिस को सिद्ध नहीं किया जा सका।

उम्मीदवार के साथ ही ऐजेंट भी गणना के समय उपस्थित रह सकते हैं। अतः इस कार्य में सुविधा की दृष्टि से गणना के समय काफी ऐजेंटों को उपस्थित रहने की अनुमति होनी चाहिये।

प्रस्तावक और अनुमोदक की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता

है या निर्वाचन के लिये खड़ा हो सकता है उसे खड़े होने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री पाटस्कर : प्रस्ताव यह है कि अनुमोदक को हटा दिया जाये ।

श्री कामत : प्रस्तावक को भी हटाया जा सकता है। अधिकरण में दो जिला न्यायाधीशों को रखना खतरनाक होगा। इस से निर्णय में अत्याधिक समय लग सकता है जैसा कि मेरे राज्य मध्य प्रदेश में हो चुका है । अतः इस विजय पर भी प्रवर समिति को विचार करना है ।

इंलैंग्ड की भांति हमारे यहां भी उम्मीदवारों को कुछ डाक सम्बन्धी सुविधायें मिलनी चाहियें क्योंकि हमारी विधि भी इंग्लैंड की विधि पर आधारित है ।

एक महत्वपूर्ण बात जिस पर श्रीमती चक्रवर्ती द्वारा भी जोर दिया जा चुका है, उस पर मैं भी पुनः जोर देना चाहूंगा । वह बात यह है कि इस के लिये कोई उपाय ढ़ंढा जाना चाहिये कि निर्वाचन कार्य के लिये किसी मंत्री के जाने पर वह मंत्री के रूप में न कार्य करे । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को ऐसा करके एक मिसाल कायम करनी चाहिये । जब कभी राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री दौरे पर जायें तो वे किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार न करें । दलों के अध्यक्ष केवल अपने दल के उम्मीदवार का प्रचार कर सकते हैं । किन्तु किसी एक उम्मीदवार के लिये आन्दोलन न चलायें । प्रधान मंत्री को कांग्रेस के सभापति के रूप में सभी छोटे मोटे निर्वाचन क्षेत्रों में दौरा करना अच्छा नहीं जान पड़ता परन्तु, मेरे पास प्रधान मंत्री द्वारा शेख अब्दुल्ला को लिखे गये पत्र की फोटो प्रति है जिस में उन्हों ने लिखा था कि कुछ कुशल कार्यकर्ताओं को भेजना ठीक रहेगा जिनका उपयोग "विशेष निर्वाचन" क्षेत्रों में किया जा सके । अब "विशेष निर्वाचन क्षेत्र" रहे ही नहीं जबकि प्रधान मंत्री ने ऐसा लिखा है ।

इस प्रकार के अनेक पर्चे बांटे गये थे जिस में प्रधान मंत्री या कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने दल के उम्मीदवारों को मत देने की अपील की गई थी किन्तु दूसरे दल के उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रचार करना शोभा नहीं देता । ऐसा नहीं होना चाहिये । मैं तो कहूंगा कि इन सब चीजों से मेरी हो नहीं वरन् अन्य लोगों की भी धारणा यह है कि प्रधान मंत्री भी जातियता के भेद भाव को दूर नहीं कर सके हैं । जिन्हों ने शेख अब्दुल्ला का पत्र देखा है वे यह बात भली भांति समझ गये हैं । अन्य बातों का निर्देश में इस विधेयक के प्रवर समिति से वापस लौट आने पर करूंगा ।

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।